बुधवार,
२३ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

१९५५ १९५६

लोक सभा

बुधवार, २३ दिसम्बर १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

*प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत तथा संयुक्त राज्य अमरीका के बीच व्यापार

*१२९६. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि १९५३ में भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच के व्यापार की मात्रा में उल्लेखनीय कमी हुई है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उस के मुख्य कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). भारत-अमरीका व्यापार में कमी हुई है। किन्तु भारत के कुल निर्यात के अमरीका के प्रतिशत अंश में कोई कमी नहीं हुई है यद्यपि भारत के आयातों में अमरीकी अंश निम्नलिखित कारणों से कम हुआ है :

(१) अमरीका से गेहूं तथा रुई की आयात में कमी;

(२) दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों से सामान लाने पर लगाये गए आयात विनियम; तथा

(३) सुलभ मुद्रा क्षेत्रों में, जहां से सामान लाने पर कम नियंत्रण हैं, वस्तुओं की अधिक उपलब्धि ।

राजघाट समाधि निधि

*१२९७. **श्री एस० एन० दास :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोई राजघाट समाधि निधि स्थापित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जनता से कोई चन्दा प्राप्त हुआ है ; तथा

(ग) अब तक कितना पैसा प्राप्त हुआ है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) समाधि के दर्शन के लिए आने वाली जनता ने दिये हुए अल्प नगद दानों के अलावा कोई विशेष चन्दा प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) लगभग १८ हजार रुपये ।

गृह निर्माण के लिए ऋण

१२९८. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री चालू वित्तीय वर्ष में औद्योगिक गृह-व्यवस्था

*प्रश्न काल निलम्बित किया गया—संपादक, संसदीय प्रकाशन

परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को ऋण के रूप में दी गई कुल राशि बताने की कृपा करेंगे ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : औद्योगिक गृह-व्यवस्था की सहायता-प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत ९४·०१ लाख रुपये की राशि राज्य सरकारों को ऋणों के रूप में देने के लिए मंजूर की गई है ।

टायर तथा ट्यूबे

*१२९९. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री मोटरों, बाइसिकलों तथा अन्य वाहनों के लिए टायर एवं ट्यूबों की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता बताने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १]**

एन्टीबायोटिक्स

*१३००. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किन्हीं भारतीय औषध तथा रसायन निर्माण सार्थों ने पेनिसिलिन, आरोमिसिन, क्लोरोमिसेटिन अथवा टेरामिसिन निर्माण करने की अथवा उन्हें बोतलों में भरने की अनुमति मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी सार्थ को इस की अनुमति दी गई है; तथा

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) पेनिसिलिन आरोमिसिन, क्लोरोमिसेटिन तथा टेरामिसिन जैसे एन्टीबायोटिक्स का निर्माण तथा/अथवा उन्हें बोतलों में भरने का कार्य उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम द्वारा नियंत्रित है । मेसर्स स्टैण्डर्ड फार्मस्युटिकल वर्क्स, कलकत्ता तथा मेसर्स अलेम्बिक केमिकल वर्क्स, बड़ोदा, द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन पेनिसिलिन के निर्माण की अनुमति मांगी है । मेसर्स अलेम्बिक केमिकल वर्क्स, बड़ोदा, ने एन्टीबायोटिक्स को बोतलों में भरने के लिए भी अनुमति मांगी है ।

(ख) तथा (ग). मेसर्स अलेम्बिक केमिकल वर्क्स, बड़ोदा द्वारा एन्टीबायोटिक्स को बोतलों में भरने के लिए मांगी गई अनुमति तब तक के लिए अस्वीकार की गई है जब तक कि फार्मस्युटिकल जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता । इस सार्थ द्वारा तथा मेसर्स स्टैण्डर्ड फार्मस्युटिकल वर्क्स द्वारा पेनिसिलीन के निर्माण के बारे में दिये गए प्रार्थनापत्र अभी विचाराधीन हैं ।

मंजाब में चाय के बाग

*१३०१. **श्री डी० सी० शर्मा** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९५१ के अन्त में पंजाब स्थित चाय बागों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या इन में से कोई १९५२ तथा १९५३ में बन्द हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमर कर) : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

पाकिस्तान से यात्री

*१३०२. **श्री डी० सी० शर्मा** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में भारत स्थित पवित्र स्थानों के दर्शन की अनुमति के लिए पाकिस्तान के मुस्लिम यात्रियों के कितने दलों ने प्रार्थनापत्र भेजे थे ?

(ख) उन में से कितनों को अनुमति दी गई ?

(ग) क्या किसी को अनुमति देना अस्वीकार किया गया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) अब तक ४०।

(ख) २८।

(ग) हां ।

निलोखेरी बस्ती

*१३०३. **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्री के० पी० सिन्हा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार निलोखेरी की बस्ती पंजाब सरकार को सौंपने का विचार कर रही है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) (१) हाई स्कूल, पशुओं का दवाखाना तथा अस्पताल पंजाब सरकार को सौंपे जायेंगे । इन की सारी सम्पत्ति पंजाब सरकार को बिना मूल्य दी जायेगी ।

(२) अन्य इमारतें, संस्थाएं आदि केन्द्रीय सरकार की ओर से पंजाब सरकार द्वारा प्रबन्धित होंगी । सारी आय केन्द्रीय सरकार के नाम से जमा की जायेगी और यदि कोई हानि हुई तो वह भी केन्द्रीय सरकार को ही उठानी पड़ेगी ।

(३) प्रशासन तथा नगरपालिका संबंधी व्यय में प्रथम वर्ष केन्द्रीय सरकार अधिक से अधिक ८३,५०० रु० तक हाथ बटायेगी ।

शिल्पिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण

*१३०४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) डी० जी० आर० इ० केन्द्रों में तथा पोलिटैक्निक संस्थाओं में शिल्पिक अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण पाये हुए विस्थापित व्यक्तियों की संख्या; तथा

(ख) प्रशिक्षण के बाद लाभदायक कामों में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या के बारे में क्या सरकार का अपना कोई अनुमान है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) सितम्बर १९५३ तक डी० जी० आर० इ० द्वारा चालित केन्द्रों में तथा पोलिटैक्निक संस्थाओं में पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए २१२४८ विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है ।

(ख) नहीं । संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

पीतल तथा तांबे के बर्तनों का उद्योग

*१३०५. **श्री दाभी :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बलवन्तसिंह महता :
श्री सिद्धननजप्पा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह तथ्य है कि देश में 'स्टेनलेस स्टील' (निर्मल इस्पात) के बर्तनों का उपयोग बढ़ जाने के कारण पीतल तथा तांबे के बर्तनों के देशी उद्योग पर भारी आघात हुआ है; तथा

(ख) सन् १९५०–५१, १९५१–५२ तथा १९५२–५३ में भारत में आयात की गई 'स्टेनलेस स्टील' की चद्दरों की मात्रा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) 'स्टेनलेस स्टील' के बर्तन पीतल तथा तांबे के बर्तनों से अत्यधिक

महंगे होते हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि बर्तन बनाने के लिए 'स्टेनलेस स्टील' की चद्दरों का उपयोग होने से पीतल तथा तांबे के बर्तनों के उद्योग पर भारी प्रभाव पड़ा है।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २]**

ढलाई की रेत

***१३०६. श्री ईश्वर रेड्डी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'पिस्टन-रिंग कास्टिंग्ज़' के लिए ढलाई की देशी रेत के उपयोग की संभावनाओं की जांच करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(ख) इस के देशी स्रोतों के विकास की क्या संभावनाएं हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) 'पिस्टन-रिंग कास्टिंग्ज़' के लिए ढलाई की देशी रेत के उपयोग की संभावना की जांच राष्ट्रीय धातुकर्मिक प्रयोगशाला, जमशेदपुर, में हो रही है। पता चला है कि हमारे देश का एक कारखाना 'पिस्टन-रिंग कास्टिंग्ज़' के लिए ढलाई की देशी रेत का उपयोग कर भी रहा है।

(ख) देशी स्रोतों के विकास की संभावनाएं हैं। इन रेतों की उपलब्धि का परिमाप किया जा रहा है।

अफ़गानिस्तान भेजे गये अध्यापक

***१३०७. श्री बी० के० दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अफगानिस्तान के विद्यालयों में अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिये अब तक भारत से कितने अध्यापक भेजे जा चुके हैं;

(ख) उन की भर्ती किस प्रकार की गई है; तथा

(ग) उन की नौकरी की शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य-मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान): (क) छः अध्यापक १९५० में तथा दस १९५३ में भेजे गये हैं।

(ख) राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा जिन प्रार्थियों की सिफ़ारिश की जाती है उन में से, शिक्षा मन्त्रालय प्रारम्भिक रूप में प्रार्थियों को चुनता है। चुने गये प्रार्थी एक चुनाव-समिति के समक्ष उपस्थित होते हैं, जिस में शिक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय तथा भारत में अफ़गानिस्तान के शाही राजदूतावास के प्रतिनिधि होते हैं। अन्तिम चुनाव अफ़गान सरकार करती है।

(ग) प्रार्थियों के लिये बी० ए० बी० टी० होने के साथ साथ पांच वर्ष का पढ़ाने का अनुभव तथा अफ़गानिस्तान में वहीं भी काम करने के लिये उद्यत होना आवश्यक होता है।

नौकरी की शर्तें निम्न हैं :—

संविदा काल	दो से तीन वर्ष तक
वेतन	५०० रु० प्रति मास
मकान-किराया	६०० अफ़गानी रुपये (लगभग १३५ रुपये)
वस्त्र आदि भत्ता	४०० रु०
यात्रा-व्यय	३०० रु० नियुक्ति होने पर और संविदा-काल पूर्ण होने पर भारत लौटने के लिए ३०० रु०

कोयला

***१३०८. श्री नानादास :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कोयला आयुक्त ने श्रेणी २ तथा ३ के कोयले का उत्पादन करने वालों से कहा है कि वे इस का कारण बतायें कि प्रचलित छूट की दृष्टि से इन श्रेणियों के मूल्यों में कमी क्यों न कर दी जाये ?

(ख) यदि हां तो, कोयला खदानों से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) कोयला आयुक्त ने कोयला उद्योग तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को सूचित किया था कि उसे विश्वास है कि श्रेणी २ तथा ३ का कोयला सरकार द्वारा निश्चित मूल्य से कम पर बिक रहा है और उस ने सुझाव दिया कि इन श्रेणियों के लिये निश्चित मूल्यों में कमी की जा सकती है। अत: कोयला आयुक्त ने प्रस्ताव रखा था कि कोयला मंत्रणा समिति की बैठक में मूल्य में कमी करने के प्रश्न पर विचार विमर्श किया जाये।

(ख) भारतीय खदान संस्था, भारतीय खदान फीड्रेशन तथा भारतीय कोयला खदान-स्वामी संस्था ने, कोयला उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हुए, कोयला आयुक्त के पास एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल भेजा है और कहा है कि वर्तमान मूल्यों में कोई भी कमी उद्योग के लिये हानिकारक होगी। मूल्यों में छूट देने का कारण, जिनके सम्बन्ध में खबरें मिली हैं, यह था कि कुछ कोयला-खानों की, जिन के पास धन के साधन अपर्याप्त हैं, अवस्था खराब हो गई थी और वे अपने एकत्रित भण्डारों को किसी भी प्रकार बेचने पर बाध्य हो गई थीं। उन्हों ने एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिस का उद्देश्य कोयला खदानों द्वारा दी जाने वाली ऐसी अवैध छूटों को रोकना है और यह विचाराधीन है।

औरंगाबाद में अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन

*१३०९. **श्री एम० आर० कृष्ण :**
श्री एच० जी० वैष्णव :

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि औरंगाबाद में अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन को चालू रहने दिया जाये; तथा

(ख) क्या भारत सरकार इस प्रार्थना पर विचार कर चुकी है, यदि हां तो, उस का निश्चय क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) अखिल भारतीय रेडियो का औरंगाबाद स्टेशन, जिस में १/२ के० डब्लू० का दूरप्रेषक था, १ नवम्बर १९५३ को बन्द कर दिया गया था। परन्तु बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यह प्रश्न, कि दूर प्रेषक का उपयोग कैसे किया जाये, विचाराधीन है।

दामोदर घाटी निगम बोर्ड

*१३१०. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम कितने समय तक बिना बोर्ड के रहा ?

(ख) बोर्ड के दो सदस्यों ने त्यागपत्र क्यों दिया है अथवा छट्टी क्यों ली है ?

(ग) क्या कोई अस्थायी बोर्ड स्थापित हो गया है ?

(घ) यदि हां तो, कब से ?

(ङ) स्थायी बोर्ड कब बनेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) निगम कभी भी बिना बोर्ड के नहीं था।

(ख) बोर्ड के किसी भी सदस्य ने त्यागपत्र नहीं दिया। सभापति ने अपनी पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर छट्टी ली थी। एक सदस्य ने अपनी अर्जित छट्टी अस्वस्थ होने के कारण अपनी कार्यावधि समाप्त होने तक के लिये ली थी।

(ग) तथा (घ), हां, श्रीमान। ७ जुलाई १९५३ से एक अस्थायी बोर्ड बना दिया गया है।

(ङ) अति शीघ्र।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण विकास

*१३११. **श्री माधव रेड्डी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के लिये ६०४.४५ लाख रु० की विकास योजना मंजूर की है ?

वैदेशिक कार्य-मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : भारत सरकार ने योजना आयोग की सहमति से उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के लिये एक पंच वर्षीय विकास योजना मंजूर की है । योजना की अनमानित लागत ३ करोड़ रु० है । इस के अतिरिक्त अभिकरण में कुछ महत्वपूर्ण सड़कें ३०४.४५ लाख रु० की लागत से बनाई जा रही हैं ।

योजना में शिक्षा तथा डाक्टरी सुविधाओं, कृषि के उत्तमतर ढंगों, वनों, कुटीर उद्योगों तथा जन-स्वास्थ्य-कार्यवाहियों के विकास के सम्बन्ध में बहुत सी उपयोजनायें सम्मिलित हैं ।

सीताराम मिल्स

*१३१२. **श्री ए० के० गोपालन : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रावंकोर-कोचीन राज्य सरकार ने सीताराम स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स को अधिकार में लेने के लिये भारत सरकार से प्रार्थना की है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निश्चय किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ग). इस के सम्बन्ध में एक बार त्रावंकोर-कोचीन सरकार ने इस प्रकार की प्रार्थना भारत सरकार से की थी। परन्तु इस के पूर्व कि हम कुछ निश्चय करते, मिल के एक लेनदार ने मामला न्यायालय में दे दिया ।

हमारा ख्याल है कि त्रावंकोर-कोचीन सरकार ने इस मिल को एक समझौते के अनुसार जो उन के तथा न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक के बीच हुआ था, अपने अधिकार में ले लिया है ।

काफी उद्योग

*१३१३. **श्री गोपाल राव** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काफी के एकत्रित स्टाकों के विक्रय के लिये सरकार, यदि कोई पग उठाना चाहती है तो, क्या पग उठायेगी ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि काफी उद्योग की वर्तमान स्थिति के फलस्वरूप मजदूरों में बेकारी बढ़ रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) काफी का विक्रय नियमित रूप से सार्वजनिक नीलाम द्वारा और सहकारी संस्थाओं द्वारा तथा भारतीय काफी बोर्ड के प्रचार विभागों को बांट द्वारा होता है । इस के अतिरिक्त हाल में ही १९५२–५३ की फसल में से ३,००० टन काफी निर्यात के लिये मुक्त कर दी गई है ।

(ख) सरकार के पास जो सूचना है उस से इस विचार की पुष्टि नहीं होती है ।

उत्तर बिहार में बाढ़

*१३१५. **श्री विभूति मिश्र : क्या सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बाढ़ों को रोकने के लिये मुख्यकर उत्तर बिहार में सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है; तथा

(ख) क्या सरकार ने सम्बन्धित क्षेत्र का परिमापन करने के लिये किसी विशेषज्ञ को वहां भेजा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) प्राय: यह सम्बन्धित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी सीमाओं में बाढ़ों को रोकने के लिये पर्याप्त कार्यवाही करें। उत्तर बिहार में कोसी के सम्बन्ध में जो केन्द्रीय सरकार की जांच पड़ताल के अन्तर्गत रहा है उन्हों ने बाढ़ों पर काबू पाने के लिये एक योजना बनाई है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान सिंचाई तथा विद्युत मंत्री के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित करूंगा जो उन्हों ने १४ दिसम्बर १९५३ को एक अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ के उत्तर में दिया था। जहां तक उत्तर बिहार में कोसी के अतिरिक्त सामान्य बाढ़-समस्या का प्रश्न है राज्य सरकार को एक सुझाव दिया गया है कि वह उस क्षेत्र में बाढ़ों पर काबू पाने तथा जल निकलनें की व्यवस्था में सुधार करने के लिये विस्तृत परिमाप तथा जांच पड़ताल करे जिस से कि कोई योजना तैयार की जा सके।

(ख) नहीं श्रीमान्।

मोटर गाड़ी उद्योग

***१३१६. श्री राधा रमण** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** १९ अगस्त, १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ के उत्तर को ध्यान में रख कर यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मोटर गाड़ियां बनाने वाली फर्मों ने अपने विशेष कार्यक्रमों का ब्यौरा सरकार को दे दिया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इन कार्यक्रमों की प्रति सदन पटल पर रख दी जायगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) इन पर विचार किया जा रहा है आशा है कि सरकार १९५४ के लिए निश्चित लक्ष्यों का सार अगले सत्र के प्रारम्भ में बता सकेगी।

केन्द्रीय बायलर बोर्ड

***१३१७. सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष में केन्द्रीय बायलर बोर्ड की बठक कितनी बार हुई है ?

(ख) बोर्ड ने रेलवे इंजनों के बायलरों तथा बायलर-प्लेटों के बनाने के सम्बन्ध में क्या नए सुझाव दिए हैं ?

(ग) इस बोर्ड पर प्रति वष कितना धन खर्च किया जा रहा है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) दो बार।

(ख) बायलर अधिनियम रेलों पर लागू नहीं होता, अत: इस बोर्ड का रेलवे इंजनों के बायलरों के निर्माण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ग) इस बोर्ड पर होने वाले खर्च में से केन्द्रीय सरकार का अंश लगभग ५००० रुपय प्रति वर्ष होगा।

भारत-पाकिस्तान सीमा

***१३१८. श्री भागवत झा** : (क) क्या **प्रधान मत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर खानाबदोश बिना परमिटों के आते जाते रहते हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे आक्रमणों से उस क्षेत्र में सम्पत्ति तथा पशुओं को बहुत हानि पहुंच रही है ?

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान): (क) समाचार मिला है

कि १ जनवरी, १९५३ से, खानाबदोशों का केवल एक दल पाकिस्तान से राजस्थान में घुस आया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) पाकिस्तानी खानाबदोशों को अवैध रूप से भारत में आने से रोकने के लिये समुचित प्रबन्ध हैं।

विस्थापित व्यक्तियों

*१३१९. **श्री भागवत झा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने प्रतिशत विस्थापित लोगों को बसा दिया गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : इस बात का ठीक ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि कितन प्रतिशत विस्थापित व्यक्तियों को 'बसाया' या फिर से बसा गया है, क्यों कि :

(१) इस बात की परिभाषा करना आसान नहीं कि किस स्तर तक आर्थिक अवस्था ठीक होने पर यह समझा जाय कि कोई व्यक्ति 'बस' गया है और अब तक न तो ऐसी परिभाषा का सुझाव दिया गया है और न ऐसी परिभाषा तैयार की गई है।

(२) बहुत से विस्थापित व्यक्ति स्वयं ही प्रयत्न कर के बस गए हैं और क्यों कि विस्थापित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति की जांच नहीं की गई है अत: ऐसे लोगों की सख्या का आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता।

(३) उन लोगों के मामले में भी, जिन्हें प्रत्यक्षत: सरकारी सहायता मिली है, राज्यों में ऐसा कोई सगठन नहीं जो यह पता रखे कि वे बस गए हैं या नहीं।

नई दिल्ली में कार्यालयों का स्थानान्तरण

*१३२०. **श्री भागवत झा :**
श्री के० सी० सोधिया :
श्री एन० एम० लिंगम :

क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री ११ अगस्त, १९५३ को पूछे गए अतरांकित प्रश्न संख्या २०३ के उत्तर को ध्यान में रख कर यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कुछ कार्यालयों को दिल्ली से बाहर ले जाने के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया है ?

निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : जी, नहीं। अभी नहीं।

सीमा पर घटना

*१३२१. **श्री गिडवानी :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अक्तूबर १९५३ के अन्तिम सप्ताह में कुछ पाकिस्तानियों ने पूर्वी पंजाब सीमा पर भारत के क्षेत्र में कुछ खम्बे तथा तार लगा दिये थे ?

(ख) क्या यह सच है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (सीमा) फिरोज़पुर ने इन चीज़ों को हटा दिया था ?

(ग) यदि हां, तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) जैसा कि सामान्यतया किया जाता है, फिरोज़पुर के भारतीय पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने कसूर के पाकिस्तानी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को फौरन ही इस बात की सूचना दी और उस ने यह वचन दिया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावत्ति को रोकने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

आसाम का औद्योगीकरण

*१३२२. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने आसाम राज्य के औद्योगीकरण की योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने का वचन दिया है और आसाम सरकार से कहा है कि ऐसी योजनाएं प्रस्तुत करे ?

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कौन सी योजनाएं भेजी हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

पश्चिमी बंगाल की सिंचाई योजनाएं

*१३२३. **श्री के० के० बसु** : क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के लिए सिंचाई की और योजनाओं पर--योजना काल में—कम से कम उन की जांच के लिए —विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या गंगा बांध, इन योजनाओं में से एक है; और

(ग) क्या सुन्दर वन क्षेत्रों के विकास तथा सुधार का कोई प्रस्ताव है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). गंगा बांध के सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

(ग) जी हां ।

डीजल तेल के प्रयोग के लिए आविष्कार

*१३२४. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में उदयपुर के एक व्यक्ति ने एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया है जिस से पैट्रोल से चलने वाली गाड़ियां, डीज़िल तेल से चल सकेंगी;

(ख) यदि हां, तो आविष्कार किस प्रकार का है और आविष्कर्ता का नाम क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस विषय में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या मालूम हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). पता चला है कि उदयपुर के ठाकुर मंगल सिंह ने ऐसे यंत्र का आविष्कार किया है जिसे उन्हों ने पेटेंट कराया है । इस यंत्र का पूरा ब्योरा १ मई १९५० के पेटेंट नम्बर ४३०४७ सम्बन्धी विवरण में दिया गया है । यह विवरण प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्ज, दिल्ली से खरीदा जा सकता है ।

(ग) तथा (घ). सरकार ने इस की जांच की है परन्तु यह मालूम हुआ है कि प्रस्तुत रूप में यह व्यवहार्य नहीं है ।

अखिल भारतीय करघा सप्ताह

*१३२५. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय करघा बोर्ड की स्थायी समिति न भारत सरकार से सिफ़ारिश की है कि १९५४ के प्रारम्भ में एक अखिल भारतीय करघा सप्ताह मनाया जाय;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सिफ़ारिश स्वीकार कर ली है; और

(ग) क्या यह सच है कि अ० भ० करघा बोर्ड एक ऐसी योजना पर विचार कर रहा है कि करघे पर बने कपड़े को एक से दूसरे राज्य

में बेचने को बढ़ावा देने के लिए एक केन्द्रीय सहकारी संस्था प्रारम्भ की जाय ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). जी हां।

निष्क्राम्य कृषि भूमि

*१३२६. **श्री राम दास** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शहरी और देहाती दोनों प्रकार की निष्क्राम्य भूमि विस्थापित व्यक्तियों को दे दी गई है ?

(ख) यदि नहीं तो कारण क्या हैं ?

(ग) बांट के लिये कितनी देहाती और शहरी भूमि अभी तक उपलब्ध है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). जहां पर पहले से ही काश्तकार थे, उन स्थानों को छोड़ कर निष्क्राम्य कृषि भूमि विस्थापित व्यक्तियों को अस्थायी पट्टे अथवा अर्धस्थायी बांट में दी गई थीं। जहां पर विस्थापित व्यक्ति नहीं मिलते थे, वहां पर ऐसी जमीनें अविस्थापित व्यक्तियों को दे दी गई थीं। पाकिस्तान में छट गई ज़मीनों के लिये दावों की पड़ताल हो जाने के उपरान्त, अब उन ज़मीनों के आधार पर बंटवारों को समायोजित करना संभव हो गया है। अस्थायी रूप से दिये जाने की एक शर्त यह थी कि जिस व्यक्ति को वह ज़मीन दी गई है, वह व्यक्ति स्वयं उस में खेती करे। अब यह देखा गया है कि इस प्रकार से भूमि पाने वाले बहुत से व्यक्ति जमीनों में स्वयं खेती नहीं कर रहे हैं और दूसरों को किराये पर उठा दी हैं। जांच पड़ताल के फलस्वरूप अविस्थापित व्यक्तियों को तथा उन विस्थापित व्यक्तियों को, जो उस जमीन पर स्वयं खेती नहीं करते हैं, दी गई जमीनें अब बांट के लिये उपलब्ध होती जा रही हैं। पंजाब तथा पेप्सू में उन व्यक्तियों ने, जिन्हें भूमि दी गई, ५७,००० एकड़ भूमि को अपने कब्जे में नहीं लिया क्योंकि उन का यह विचार था कि वह अच्छे प्रकार की नहीं है और वह भूमि अभी तक बिना बंटी पड़ी हुई है। अन्य राज्यों के सम्बन्ध में निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है, किन्तु राजस्थान और हैदराबाद में यह अनुमान लगाया गया है कि जांच पड़ताल करने पर लगभग एक लाख एकड़ भूमि उपलब्ध हो जायेगी। इन ज़मीनों को उन विस्थापित व्यक्तियों को बांटने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं जिन के भूमि सम्बन्धी दावे हैं।

भारत-नेपाल व्यापार

*१३२७. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सितम्बर १९५२ में भारत और नेपाल के बीच आवश्यक वस्तुओं के अबाध आवागमन के सम्बन्ध में कोई अनुदेश जारी किये गये थे; तथा

(ख) क्या सरकार को पता है कि बिहार के कुछ भागों में आवश्यक वस्तुओं के आवागमन पर अभी तक प्रतिबन्ध लागू किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान। सितम्बर १९५२ में ये अनुदेश जारी किये गये थे कि नेपाल से होने वाले आयात तथा वहां को होने वाले निर्यात पर यथासंभव अधिकतम सीमा तक प्रतिबन्ध ढीले कर दिये जायें।

(ख) साधारणतः जब तक कि ऐसी वस्तुओं के आवागमन पर देश के अन्दर नियंत्रण नहीं होते, भारत और नेपाल के बीच वस्तुओं के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यदाकदा किसी गलतफहमी के कारण स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। बिहार में कुछ प्रतिबन्धों के लगाये

जाने के सम्बन्ध में हाल ही में एक शिकायत प्राप्त हुई है और उसके सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

चाय के बाग़

*१३२८. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२–५३ में उत्तरी भारत के कितने चाय-बागों को सरकारी प्रत्याभूति के अधीन सरकारी ऋण प्राप्त हुए थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : कहा जाता है कि सरकार ने जो सीमित प्रत्याभूति योजना घोषित की थी उसके अधीन गैर सरकारी बैंकों ने एक सौ ग्यारह चाय बागों को ऋण दिये हैं। सरकार द्वारा चाय-बागों को कोई ऋण नहीं दिये गये।

मैसूर में सिंचाई परियोजनाएं

*१३३०. **श्री एन० राचय्या** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मैसूर राज्य की भद्रा तथा नूगू सिंचाई परियोजनाओं के लिये योजना आयोग द्वारा कोई राशि मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो वह राशि कितनी है; तथा

(ग) मंजूरी किन शर्तों पर दी गई थी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). स्वीकृत कार्यक्रम के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने मैसूर सरकार को नूगू जलाशय परियोजना के लिए ५० लाख रुपये का एक ऋण तथा भद्रा परियोजना सम्बन्धी कार्य की पहली अवस्था को पूरा करने के लिये तीन करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया है। यह ऋण ३० वर्ष के लिये होगा और पहले पांच वर्षों के लिये ब्याज से मुक्त होगा।

राजस्थान में सामुदायिक परियोजनायें

*१३३१. **श्री भीखा भाई** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान की सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर चालू वर्ष के लिये कुल अनुमानित व्यय कितना है; तथा

(ख) उसमें (१) सामुदायिक परियोजना प्रशासन तथा (२) राज्य सरकार, का कितना अंशदान होगा ?

सिंचाई था विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख). १९५२–५३ में नियत किये गये सात सामुदायिक विकास क्षेत्रों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त आय व्ययक प्राक्कलन के आधार पर ८५.९ लाख रुपये। अनुमान है कि अनुदानों और ऋणों में से केन्द्र का हिस्सा क्रमशः ३० लाख तथा ४१.५ लाख रुपये होगा। ऋण के अतिरिक्त अन्य मदों में होने वाले व्यय में राज्य का अंशदान १४.४ लाख रुपये होगा।

१९५३–५४ में नियत किये गये सामुदायिक विकास क्षेत्रों सम्बन्धी आय-व्ययक प्राक्कलन की राज्य सरकार से प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

कपड़ा उद्योग

*१३३२. श्री वल्लाथरास : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के कपड़ा-आयुक्त ने, जो अभी हाल में जापान का दौरा करने गये थे, सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ?

(ख) कपड़ा उद्योग के बड़े और छोटे कारखानों के कार्यों के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करने के लिये क्या कोई योजना विचाराधीन है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कपड़ा आयुक्त

ने जापान का दौरा कपड़ा जांच समिति की सहायतार्थ आंकड़े जमा करने की दृष्टि से किया था। अतः उनसे किसी विशेष प्रतिवेदन के देने के लिये नहीं कहा गया है।

(ख) इस प्रश्न पर कपड़ा जांच समिति विचार कर रही है।

हीराकुड परियोजना

*१३३२. **श्री संगण्णा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार हीराकुड परियोजना से होने वाले प्रत्यक्ष लाभों के सम्बन्ध में कोई परिमाप कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस परिमाप का क्षेत्र एवं उद्देश्य क्या है; तथा

(ग) इस परिमाप की अनुमानित लागत क्या है?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). एक परिमाप उस समिति द्वारा किया गया था जिसे सरकार ने जल-कर, सुधार-कर तथा इस परियोजना से सिंचाई के विकास सम्बन्धी अन्य मामलों की जांच करनें तथा उनके संबंध में अपनी सिफारिशें देने के लिये नियुक्त किया था।

(ग) वास्तविक व्यय १३,४९३ रुपये है।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण

*१३३३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के अप्रशासित क्षेत्रों में प्रशासन के लाभ पहुंचाने के लिये भारत सरकार ने क्या विभिन्न उपाय किये हैं?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के आदिमजाति क्षेत्रों के भीतरी भागों में नियमित प्रशासन धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। स्वतन्त्रता के बाद लगभग १६,००० वर्ग मील के अतिरिक्त क्षेत्र में प्रशासन स्थापित किया गया है। इस क्षेत्र की जनसंख्या लगभग ८,००,००० है।

भीतरी भागों में जिला सदर मुकाम तथा प्रशासकीय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। आदिम-जाति लोगों को शिक्षा सम्बन्धी, डाक्टरी और लोक स्वास्थ्य सुविधाएं, कृषि के सुधरे हुए तरीके, कुटीर उद्योग केन्द्र तथा सुधरे हुए संचार मार्ग आदि की प्रशासन-सुविधायें दी जा रही हैं।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के लिये पंचवर्षीय विकास योजना के अनुसार आरम्भ किये गये कल्याणकारी कार्यों का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३]**

उत्तर पूर्वी सीमांत अभिकरण प्रशासन

*१३३४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में कुछ प्रशासकीय सुधार करने का विचार है; तथा

(ख) यदि हां, तो उस सुधार की विशेष बातें क्या हैं?

वदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) तथा (ख). उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में कुछ प्रशासकीय सुधार करने का विचार है। ऐसे और योग्य अधिकारियों को चुनने का विचार है जो आदिम जाति की सेवा को अपने जीवन का मुख्य कार्य बनायें और उनकी भाषाओं, रीत-रिवाजों और सामाजिक आदतों, को सीख कर आदिम जाति लोगों की सहानुभूति के साथ देखभाल करें और उन्हें स्वयं उत्तर-दायित्व को संभालने की प्रशिक्षा दें। आदिम जाति के लोगों को, उनके सामाजिक ढांचे

में हेर फेर किये बिना ही आधुनिक प्रशासन का लाभ प्राप्त कराया जायेगा जैसे कि उन्हें संचार, चिकित्सा तथा शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें आदि दी जायेंगी ।

छोटी कारें

*१३५५. **श्री जी० पी० सिन्हा :**
श्री बादशाह गुप्त :

(क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ भारतीय सार्थों ने छोटी कारों के निर्माण की प्रस्थापनाएं भेजी हैं ?

(ख) क्या इन सार्थों को आवश्यक अनुज्ञा दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इन प्रस्थापनाओं पर विचार हो रहा है ।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्ति

*१३३६. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि दिल्ली राज्य सरकार ने उन विस्थापित व्यक्तियों को गृह-व्यवस्था सम्बन्धी और सुविधाएं प्रदान करने के लिए पत्र व्यवहार किया है, जो इस समय अपने रिश्तेदारों और मित्रों के पास रह रहे हैं; तथा

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार दिल्ली राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना पर विचार कर रही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) कोई विशेष योजना नहीं है परन्तु सामान्य रूप से विषय पर विचार हो रहा है ।

मध्य भारत की कपड़े की मिलें

*१३३७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य भारत मिल मालिकों की संस्था के सचिव द्वारा २९ नवम्बर १९५३ को दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिस में कहा गया है कि कपड़े की ६ मिलों में कोयले की कमी होने वाली है और वर्तमान भांडार केवल १२ दिन चलेगा ;

(ख) इन मिलों को प्रति मास उनकी मांगों पर कितना कोयला दिया जाता है;

(ग) किन कोयले की खानों से कोयला भेजा जाता है; तथा

(घ) इन ६ मिलों में कितने कर्मचारी लगे हुए हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार को निर्देशित वक्तव्य विदित है । आवश्यक उपाय अपनाये गये हैं और अब स्थिति संतोषजनक बताई जाती है ।

(ख) इंदौर में ६ कपड़े की मिलों को जिनमें ९,०६२ टन का औसत मासिक उपयोग होता है, प्रति मास औसत ९,८१२ टन कोयला दिया जाता है ।

(ग) इन मिलों को (१) मध्य प्रदेश कोयले की खानों (२) बंगाल / बिहार कोयले के क्षेत्रों और (३) विंध्य प्रदेश के कोयले के क्षेत्रों से कोयला भेजा जाता है ।

(घ) इन ६ मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या २२,२०९ है ।

बनारसी कालीन तथा बनारसी साडी उद्योग

*१३३८. **श्री रूप नारायण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारसी

कालीन तथा बनारसी साड़ी के पुराने उद्योग के उपक्रमियों ने उनसे इस उद्योग की बर-बादी के सम्बन्ध में भेंट की थी तथा अपने उद्योग की कठिनाइयों को बताया था;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मुझे ज्ञात नहीं कि यह प्रश्न किसे निर्दिष्ट किया गया है और मैं उत्तर नहीं दे सकता।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गिरडीह रेलवे की कोयले की खानें

*१३३९. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या उत्पादन मंत्री १४ सितम्बर १९५३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४६ के (छ) भाग के उत्तर की ओर ध्यान देंगे और बतायेंगे कि क्या गिरडीह राज्य रेलवे की कोयले की खानों के कर्मचारियों ने भारत सरकार को अभ्या-वेदन भेजा है कि सरकार सभा-मंडप को अनाज की दुकान के प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने और उस पर अधिकार करने के लिये किराया दे ?

(ख) यदि ऐसा है तो उन्होंने कब तथा किस तिथि से और किस दर पर किराया मांगा ?

(ग) क्या सरकार ने इस विषय में कोई निर्णय किया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख). संस्था के अवैतनिक सचिव की ओर से गिरडीह कोयले की खान के अधी-क्षक को २४ फरवरी १९५० दिनांक का एक पत्र मिला है जिसमें १ जनवरी १९४५ से ९७/२/३ रुपये की दर से किराया मांगा गया है।

(ग) संस्था के भवन की रचना खानों की निधियों में से कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए की गई थीं और सरकार समझती है कि कर्मचारियों को अनाज देकर लाभ पहुंचाने के लिए भवन का जो भाग प्रशासन प्रयोग कर रहा है उसके लिए कोई किराया नहीं देना चाहिये।

मचकुंड जल-विद्युत परियोजना

*१३४०. **श्री संगण्णा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मचकुंड जल-विद्युत् परियोजना (उड़ीसा) में से उड़ीसा सरकार के हिस्से में आने वाली बिजली के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से पत्र व्यवहार किया है ;

(ख) क्या भारत सरकार उपरोक्त परियोजना में से उड़ीसा राज्य के विभिन्न स्टेशनों को बिजली देने की योजना आरम्भ करने के लिये २२ लाख रुपया की पूंजी लगाने का विचार रखती है; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो इस समय विषय की क्या स्थिति है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). दुदमा वितरण योजना पर १९५३–५४ वर्ष के लिए ३५ लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया है।

साबुन निर्माण

*१३४१. **श्री जेठालाल जोशी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि साबुन निर्माताओं से प्रार्थना की गई है कि वे नारियल के तेल की बजाए अन्य अभक्षणीय तेल साबुन निर्माण प्रयोग किया करें ?

(ख) उन की ओर से क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) प्रमुख साबुन निर्माताओं से प्रार्थना की गई थी कि वे सीमित कालावधि के लिए, साबुन बनाने के लिए नारियल का तेल न खरीदें।

(ख) प्रतिक्रिया ठीक रही है।

राष्ट्रीय विस्तार योजना

*१३४२. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद राज्य को राष्ट्रीय विस्तार योजना के अधीन कोई अनुदान दिया गया है; और

(ख) यदि ऐसा है तो कितनी राशि मंजूर की गई और किस प्रयोजन के लिए मंजूर की गई ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) ३.७४ लाख रुपया। यह केन्द्रीय सरकार की ओर से ३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले प्रथम अर्ध वर्ष के व्यय के लिए अनुदान का भाग है और इस लिए तदर्थ आधार पर दिया गया है ताकि राज्य सरकार राज्य को दिये गये विकास विभागों के कार्यक्रमों और आय-व्ययक प्राक्कलनों के लम्बित कार्य को आरम्भ कर सके।

त्रिपुरा सरकार को ऋण

*१३४३. **श्री दशरथ देव : क्या पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में त्रिपुरा सरकार को कोई राशि विस्थापित लोगों को पुनर्वास ऋण देने के लिए दी है; और

(ख) यदि ऐसा है तो कुल कितनी राशि दी गई ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां।

(ख) ५० लाख रुपये।

सारभूत प्रदाय (अस्थायी अधिकार) अधिनियम

*१३४३. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सारभूत प्रदाय (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९४६ (१९४६ के २६) की धारा ३ की उप-धारा ४ के अधीन वस्तुओं के उत्पादन और संभरण के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को प्राधिकृत करने का आदेश जारी किया है;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार आदेश की एक प्रति तथा वे अनुदेश जो केन्द्रीय सरकार ने उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को जारी किये हैं, सदन पटल पर रखेगी; और

(ग) वर्तमान पदाधिकारी अथवा पदाधिकारियों को क्या पारिश्रमिक दिया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां श्रीमान्।

(ख) सारभूत प्रदाय (अस्थायी अधिकार) अधिनियम १९४६ की धारा ३ (४) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये आदेश की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४]** ये आदेश भारत के गजट की धारा ३ भाग २ में प्रकाशित किए गये जिनकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) उपरिनिर्दिष्ट आदेशों में दिये जाने वाले पारिश्रमिक का वर्णन है। किन्तु एक मामले में प्राधिकृत नियंत्रक सरकारी

पदाधिकारी है और इस लिए उसे कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता।

कोलम्बो योजना

*१३४४. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा १९५३-५४ की मांग संख्या १३० के अधीन उपबंधित है, कोलम्बो योजना के अधीन चालू वर्ष में जल-विद्युत् परियोजनाओं के लिए प्राप्त की गई सामग्री और वस्तुओं का कुल मूल्य क्या है ?

(ख) किस देश अथवा देशों से यह सहायता प्राप्त की गई और किन देशों से सामग्री प्राप्त की गई ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) अब तक ९ लाख रुपया।

(ख) आस्ट्रेलिया।

खली

*१३४४. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में खली का कुल अनुमानित वार्षिक उत्पादन कितना है ?

(ख) जानवरों को खिलाने के लिये खली की अनुमानित वार्षिक खपत कितनी होती है ?

(ग) खली से तेल निकालने वाले फैक्टरियों को प्रति वर्ष कितनी खली की आवश्यकता होती है ?

(घ) ऐसी फैक्टरियों की कुल संख्या कितनी है और क्या सरकार नई फ़ैक्टरियों के लिये अनुमति देने का विचार रखती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). भारत में खली का कुल अनुमानित वार्षिक उत्पादन लगभग २० लाख टन है जिसमें से आधी से कुछ अधिक मात्रा जानवरों के खाने के काम में लाई जाती है।

(ग) खली से तेल निकालने वाली फ़ैक्टरियों को इस समय लगभग ३१,५०० टन खली की प्रति वर्ष आवश्यकता होती है।

(घ) इस समय तीन फ़ैक्टरियों में खली से तेल निकालने का काम होता है; अभी उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत २० नई फ़ैक्टरियों को, जिनकी कुल क्षमता लगभग २ लाख टन है, अनुज्ञप्तियां दी गई हैं।

मीर लायक अली की सम्पत्ति

*१३४५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद राज्य के निज़ामाबाद ज़िले में स्थित निष्क्रांत कृषि भूमि को, जो पहले मीर लायक़ अली की थी, हाल ही में नीलाम किया गया था या पट्टे पर उठाया गया था; तथा

(ख) यदि हां तो ऐसी कितने एकड़ भूमि नीलाम की गई है अथवा पट्टे पर उठाई गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) मीर लायक़ अली की कृषि भूमि के किसी भाग को नीलाम नहीं किया गया है। हां, कुछ भूमि विस्थापित व्यक्तियों के चार दलों को पट्टे पर दे दी गई है।

(ख) ३८५।

समुद्री डकैती

*१३४६. **श्री घोलकिया** : क्या **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ११ नवम्बर १९५३ को या इसके लगभग आधी रात को फ़ारस की खाड़ी में नाना सबसु अ पर एक कच्छी व्यापारी की भारतीय देशी नाव नारनपासा पर अरब के कुछ समुद्री डाकुओं ने लूट मार की थी;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है; तथा

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या क़दम उठाये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) तथा (ख). १६ नवम्बर को सरकार को कच्छ मांडवी के द्वारकादास लाल जी के पास से एक तार मिला था जिसमें कहा गया था कि उनकी देशी नाव नारन पासा पर ११ नवम्बर की अर्द्धरात्रि को फ़ारस की खाड़ी में माना-सुलेमान पर अरब के समुद्री डाकुओं ने हमला किया था। नाव पर सवार लोगों को ज़बर-दस्ती उतार दिया गया था और नाव को, जिसमें खजूर भरे थे, डाकू लेकर भाग गये थे।

(ग) भारत सरकार ने मस्कट तथा बहरीन स्थित ब्रिटिश अधिकारियों को तुरन्त एक तार भेजा था जिसमें उनसे इस मामले में उचित कार्यवाही करने के लिये प्रार्थना की गई थी।

सीमान्त घटना

*१३४७. {**श्री जेठा लाल जोशी** : **श्री भीखा भाई** : क्या **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बारह राजस्थानी पुलिस सिपाहियों और दो भार-तीय नागरिकों को मीरपुर खास (पाकिस्तान) के सेशन्स जज ने जेल की सज़ा दी है;

(ख) क्या यह सच है कि ये लोग जान-वर उठा ले जाने वाले पाकिस्तानियों का पीछा कर रहे थे जिनकी पाकिस्तानी पुलिस वाले मदद कर रहे थे और इन पुलिस वालों ने भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया था; तथा

(ग) यदि ऐसा है तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

616 P. S. D.

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) से (ग). राजस्थान में हमारी एक सीमान्त चौकी के दो हैड कान्सटेबिल और दस कान्सटेबिलों को एक पाकिस्तानी पुलिस-दल ने भारतीय क्षेत्र में घेर कर पकड़ लिया था। ये लोग कुछ सशस्त्र पाकिस्तानियों का पीछा कर रहे थे जो भार-तीय क्षेत्र में घुस आये थे और दो भारतीय नागरिकों के कुछ जानवरों और ऊंटों को उठा कर ले गये थे। दो अन्य भारतीय नागरिकों को भी पाकिस्तान ले जाया गया था—एक को जानवर उठा ले जाने वाले ले गये थे और दूसरे को पाकिस्तान की पुलिस वाले भगा ले गये थे।

इन सब १४ भारतीय नागरिकों को एक पाकिस्तानी अदालत ने अवैध प्रवेश के लिये १५ महीने की कड़ी सज़ा दी थी। नवीनतम सूचना के अनुसार शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत उन पर एक और मुक़द्दमा चल रहा है।

इस मामले को पाकिस्तान सरकार के सामने रखा गया था, जिसके फलस्वरूप अब यह तय हुआ है कि पाकिस्तान सरकार इन बारह पुलिस वालों को छोड़ देगी और भारत सरकार कुछ पाकिस्तानी पुलिस सिपाहियों को, जो इस समय भारत में नजरबन्द हैं, छोड़ देगी। दो असैनिक नागरिकों के छोड़ दिये जाने की भी आशा की जाती है।

सिंदरी कृषिसागर फैक्टरी

*१३४८. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **उत्पादन** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी कृषिसार फ़ैक्टरी के प्रबन्धकों ने फ़ैक्टरी के कर्मचारियों को दिया जाने वाला सिन्दरी भत्ता और अन्य विशेषाधिकार खत्म कर दिये हैं;

(ख) क्या कर्मचारियों ने इस पर विरोध किया है; तथा

(ग) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या करने का विचार रखती है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी नहीं। भत्ता बन्द नहीं किया गया है और जो लोग यह भत्ता पहले से ले रहे थे, उन्हें यह अब भी दिया जा रहा है। परन्तु प्रबन्धकों द्वारा यह फ़ैसला किया गया था कि ३० अप्रैल १९५२ के बाद फ़ैक्टरी की वेतन श्रेणियों पर नियुक्त होने वाले नये लोगों को वेतन के अतिरिक्त विशेष स्थानीय भत्ता नहीं दिया जायेगा।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न नहीं उठते।

सामूहिक परियोजनायें

*१३४९. **श्री वोडयार** : (क) क्या **योजना** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सामूहिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रचार कार्य तथा रचनात्मक कार्य पर अब तक कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ?

(ख) राज्य वार कितने 'बुलडोज़र' ट्रेक्टर, जीप तथा 'पिक-अप' दिये गये हैं ?

(ग) क्या अब तक काम कार्यक्रम के अनुसार होता रहा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ३०-६-५३ तक १,२०,६८,०७८ रुपये।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५**]।

(ग) आम तौर पर काम की प्रगति संतोषजनक रूप से हुई है।

होनेमण्डू परियोजना

*१३५०. **श्री वोडयार** : (क) क्या **योजना** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मैसूर राज्य स्थित होनेमराडू परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर विचार हो रहा है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार ने मैसूर सरकार को उसके द्वारा प्रस्तुत की गई योजना में परिवर्तन करने या उस पर पुनर्विचार करने के लिये कहा है ?

(घ) इस परियोजना पर अनुमानतः कुल कितना व्यय होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) अभी जांच-पड़ताल पूरी नहीं हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) जांच पड़ताल पूरी हो जाने के बाद ही व्यय का अनुमान लगाया जा सकेगा।

प्रधान मंत्री की सहायता निधि

*१३५१. **श्री वोडवार** : क्या **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रधान मंत्री की सहायता निधि में से महाराष्ट्र के हाल ही के दुर्भिक्ष के लिये कोई राशि मंजूर की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि में से महाराष्ट्र के वर्ष १९५३ के दुर्भिक्ष और बाढ़ सम्बन्धी सहायता कार्यों के लिये ४७,३५५ रु० की राशि भेजी गई थी।

लोहे की कच्ची धातु का निर्यात

*१३५२. **श्री बुच्चिकोटय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ नवम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २५७ के उत्तर के निर्देश से यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कौन सी कम्पनियां मसूली-पटम और काकीनाडा के पत्तनों द्वारा विदेशों को लोहे की कच्ची धातु का निर्यात कर रही हैं;

(ख) आंध्र राज्य के किन भागों में यह धातु पाई जाती है;

(ग) आंध्र में पाई जाने वाली कच्ची धातु में लोहे की मात्रा कितने प्रतिशत होती है; तथा

(घ) यह कच्ची धातु मुख्यतः किस काम आती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) दो सूचियां जिन में मसूलीपटम और काकीनाडा पत्तनों द्वारा विदेशों को लोहे की कच्ची धातु निर्यात करने वाले निर्यातकों के नाम दिये गये हैं सदन पटल पर रखी जाती हैं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६]**

(ख) लोहे की कच्ची धातु के निक्षेप आंध्र राज्य से कडप्पा, कुरनूल, विशाखापटनम, नेलोर और गुन्टूर ज़िलों में पाये जाते हैं।

(ग) यह ४८ से ६५ प्रतिशत तक होती है।

(घ) आंध्र की लोहे की कच्ची धातु की खानें इस समय मुख्यतः निर्यात के लिये खोदी जाती हैं। इस कच्ची धातु से धातविक लोहा निकाला जा सकता है।

सूची संख्या ३

१९५२ और १९५३ में मसूलीपटम पत्तन द्वारा लोहे की कच्ची धातु निर्यात करने वाले निर्यातकों के नाम।

१. मैसर्ज़ बैस्ट एण्ड कम्पनी लि० मद्रास—१

२. मैसर्ज़ आर० बी० एस० एस० नरसिंहम होस पेट

३. मैसर्ज़ देवीदयाल (सेल्ज़) लिमिटेड, बम्बई

४. मैसर्ज़ खेमका एंड कम्पनी (एजेंसीज) मद्रास—१

५. मैसर्ज़ ज्योति ब्रदर्स, कलकत्ता

६. मैसर्ज़ इंटरनैशनल मिनरल्ज़ बम्बई

७. मैसर्ज़ मुरलीधर झुनझुनवाला कलकत्ता।

औद्योगिक सांख्यकी निर्देशालय

*१३५३. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्राक्कलन समिति की यह सिफ़ारिश जो कि सरकार ने १९४९ में स्वीकार कर ली थी कि औद्योगिक सांख्यकी निदेशालय को व्यापारिक जानकारी तथा सांख्यकी विभाग में मिला दिया जाये, कार्यान्वित कर दी गई है ; तथा

(ख) क्या यह भी सत्य है कि प्राक्कलन समिति की यह सिफ़ारिश (जिसे सरकार ने १९४९ में स्वीकार कर लिया था) कि व्यापारिक जानकारी तथा सांख्यिकी विभाग का अध्यक्ष एक प्रशिक्षित सांख्यिक होना चाहिए, अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) समिति की सिफ़ारिश बहुत हद तक कार्यान्वित की जा चुकी है ।

(ख) व्यापारिक जानकारी तथा सांख्यकी के महा निदेशक के कर्तव्य केवल सांख्यिकीय ही नहीं हैं, प्रशासनात्मक भी हैं। सरकार इस समय सरकारी सांख्यकों और गैर-सरकारी सलाहकारों की सहायता से इस संस्था के कार्यक्षेत्र और कृत्यों की जांच कर रही है। इसके समाप्त होने पर सरकार इस बात पर विचार करेगी कि महानिदेशक के लिए सब से अधिक उपयुक्त योग्यताएं क्या होनी चाहिएं।

नजर अली मिल्स उज्जैन

*१३५४. { **श्री बी० वी० विट्ठल राव :**
श्री यू० एम० त्रिवेदी :

(क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री नजर अली मिल्ज़, उज्जैन, मध्य भारत के बन्द होने के कारण बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) इसके बन्द होने के फलस्वरूप कितने मज़दूर बेकार हो गये हैं ?

(ग) १९५२ में और १९५३ में इसके बन्द होने तक उत्पादन कितना था ?

(घ) क्या सरकार का मिल्ज को पुन: खोलने के लिए कोई पग उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कहा जाता है कि मिल्ज़ को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । मशीनरी पुरानी हो चुकी है और घिस चुकी है ।

(ख) १,००० ।

(ग) १९५२—५५ लाख गज़ कपड़ा और १६.४ लाख पौंड सूत ।

१९५३—२३ लाख गज कपड़ा और ४ लाख पौंड सूत । सूत के आंकड़े केवल १९५३ के पहले तीन मासों के लिये हैं । इस मामले के सम्बन्ध में मध्य भारत सरकार से पत्र व्यवहार हो रहा है ।

वायदे के सौदे विनियमन अधिनियम

***१३५५. श्री मूलचन्द दुबे :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वायदे के सौदे विनियमन अधिनियम देश के किसी क्षेत्र में क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) इस अधिनियम के लागू करने के लिये यदि कोई पग उठाये गये हैं तो वे क्या हैं ; और

(ग) क्या इस अधिनियम को कानपुर और अन्य स्थानों के सराफा बाजारों पर लागू करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). वायदा बाजार आयोग स्थापित कर दिया गया है और उन वस्तुओं तथा क्षेत्रों का चुनाव, जिन पर अधिनियम के विनियामक उपबन्ध लागू होंगे, विचाराधीन हैं ।

टीन के डिब्बे के कारखाने

***१३५६. श्री के० के० बसु : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टीन के डिब्बों के कारखाने के उत्पादन-सामर्थ्य का पुन-निर्धारण कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या टीन के डिब्बों के कारखानों का पुनर्निर्धारित उत्पादन-सामर्थ्य पहले निर्धारित की गई उत्पादन-सामर्थ्य से भिन्न है ;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ङ) क्या टीन के डिब्बों के कारखानों के उत्पादन-सामर्थ्य के निर्धारण का आधार संशोधन किया गया है ; तथा

(च) यदि हां, तो किस तारीख से ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (च). पहले उन कारखानों को जो २० मार्च, १९५० से पहले चालू हो गये थे, टीन की चादरें या किसी अन्य प्रकार का फौलाद मिल सकता

था । चूंकि टीन की चादरें और कुछ अन्य प्रकार के फौलाद पहले से अधिक आसानी से मिलने लगे थे, इसलिये हाल में यह निर्णय किया गया था कि उन कारखानों को भी, जिन्होंने अपना काम बढ़ा दिया है या जो २० मार्च, १९५० से ३१ मार्च १९५२ तक के बीच नये लगाये गये हैं, यह सामग्री दी जाय। इसके लिये कुछ कारखानों के उत्पादन सामर्थ्य का निर्धारण करना आवश्यक था । चूंकि आवंटन के वर्तमान आधार के विरुद्ध उद्योग से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे, इस लिये इस अवसर से यह लाभ उठाया गया कि डिब्बे बनाने के लिए काम में लाई जाने वाली विभिन्न मशीनों के कार्य को अच्छी तरह देख कर सब पुराने कारखानों के उत्पाद सामर्थ्य का पुनर्निर्धारण कर दिया गया ।

अधिकांश मामलों में पुनर्निर्धारित सामर्थ्य पहले सामर्थ्य से भिन्न है और पुनर्निर्धारित सामर्थ्य के आधार पर अप्रैल-जून १९५४ की तिमाही से आवंटन किये जायेंगे ।

हाथ कर्घा बुनकर

***१३५७. श्री गौर्डलिंगन गौड़ :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बुनकरों को सहायता देने के लिये आंध्र और मद्रास के राज्यों को हाथ कर्घा निधि में से कितनी राशियां दी गई हैं ?

(ख) क्या यह सहायता केवल सहकारी संस्थाओं के बुनकरों को मिलेगी या सब बुनकरों को ?

(ग) इस निधि में से बुनकरों को सहायता देने के विषय में राज्य सरकारों को क्या हिदायतें जारी की गई हैं ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मद्रास ७६,११,८१५ ; आंध्र ३६,९०,९२५ ।

इन में १० लाख रुपये की वह राशि सम्मिलित नहीं है, जोकि एक सहकारी कताई मिल स्थापित करने के लिए मद्रास राज्य को सामान्य राजस्व से एक विशेष ऋण के रूप में दी गई थी ।

(ख) इसे राज्य सरकारों के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है, किन्तु जहां तक संभव है, राज्य सरकारों को उन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जो कि सहकारी संस्थाओं द्वारा चालू की जाती हैं ।

(ग) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे हाथ कर्घा उद्योग के विकास के लिए अखिल भारतीय हाथ कर्घा बोर्ड द्वारा निर्धारित सामान्य सिद्धान्तों पर आधारित योजनाएं प्रस्तुत करें । इन की एक प्रति तारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर में १६ नवम्बर, १९५३ को सदन पटल पर रखी गई थी ।

सूत

***१३५८. श्री गौर्डलिंगन गौड़ :** (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या देश में सूत का उत्पादन बढ़ गया है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि सूत के फालतू होने के कारण सरकार ने अन्य देशों को सूत निर्यात करने की अनुमति दे दी है ?

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो कितनी गांठों का और कितने नम्बर (काउंट) के सूत का निर्यात करने की अनुमति दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) उत्पादन बढ़ रहा है ।

(ख) थोड़े से माल को निर्यात करने की अनुमति दी गई है ताकि मिलों के पास बहुत सा माल जमा न हो जाये ।

(ग) १९५३ की प्रत्येक छमाही में ३६ तक के नम्बर (काउंट) वाली २१००० गांठों का और ३६ से अधिक किन्तु ८० से कम नम्बर (काउंट) वाली ४००० गांठों का ।

लाजपत नगर के लिये पानी की व्यवस्था

*१३५९. **(श्री नन्द लाल शर्मा)** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५२ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १२३९ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि क्या लाजपत नगर को छना हुआ पानी देने का सरकार का वचन पूरा किया गया है और क्या अब लाजपत नगर के निवासियों को जल दिया जाने लगा है ?

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार कब तक पानी की व्यवस्था कर देगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) तथा (ख). जल प्रदाय योजना की पहली कड़ी पूरी की जा चुकी है और लाजपत नगर के लिए छना हुआ पानी प्राप्य है । यह पानी स्थानीय निकाय के मारफत दिया जाता है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के मारफत बात चीत शीघ्र पूरी होने की आशा है ।

लाजपत नगर में पानी की व्यवस्था

*१३६०. **श्री नन्द लाल शर्मा** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर-पालिका लाजपतनगर के घरों में पानी के नल लगाने के पूर्व फ्लश लगाने पर ज़ोर दे रही है ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि फ्लश लगाने की लागत (जो ८०० से १००० रु० तक होती है) प्रायः लाजपतनगर के निवासियों के सामर्थ्य से बाहर है ?

(ग) बस्ती को साफ़ पानी देने के लिये सरकार ने अब तक क्या पग उठाये हैं या भविष्य में वह क्या पग उठायेगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). नई दिल्ली नगर-पालिका की उप-विधियों के अनुसार व्यक्ति-गत उपभोक्ता को पानी का नल देने से पहिले फ्लश आदि के लगाने तथा धरती के भीतर नाली बनाने की व्यवस्था करना आवश्यक है । फिर भी पुनर्वास बस्तियों के मामलों में, नगरपालिका ने फ्लश के स्तरों को कुछ गिराना स्वीकार कर लिया है । उन्होंने यह भी छूट दी है कि यदि स्वामी पानी का नल लगने की तारीख से छः मासों में फ्लश आदि लगाने का आश्वासन दे तो पानी का नल लगाया जा सकता है । इन व्यवस्थाओं की अनुमानित लागत प्रत्येक घर से धरती के नीचे नाली की दूरी के अनुसार भिन्न भिन्न होगी । सार्वजनिक नल लगाने का विचार है जिन से लाजपतनगर-वासियों को साफ़ पानी उपलब्ध होगा ।

आंध्र में नवीन योजनायें

*१३६१. **श्री लक्ष्मय्या** : क्या **योजना** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र सरकार ने पंच वर्षीय योजना में सम्मिलन के लिये कुछ नवीन योजनाओं तथा जलाशयों की सिफ़ारिश की है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या तुंगभद्रा की ऊंची सतह वाली नहर भी उन में से एक है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) हां ।

तुंगभद्रा की ऊची सतह वाली नहर

*१३६३. **डा० रामा राव** : **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या

आंध्र सरकार ने तुंगभद्रा की ऊंची सतह वाली नहर के निर्माण कार्य, तथा कुरनूल-कुडप्पा नहर को अन्य रूप देने के कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिये कोई नैतिक सहायता की प्रार्थना की है ? यदि हां तो, कितनी ?

सिचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : कुरनूल-कुडप्पा नहर के लिये वैत्तिक सहायता का प्रश्न केन्द्रीय सरकार तथा आन्ध्र सरकार के बीच विचाराधीन है । जहां तक तुंगभद्रा की ऊंची सतह वाली नहर का प्रश्न है, इस की अभी जांच पड़ताल हो रही है और इसलिये वैत्तिक सहायता का प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं होता है ।

कृष्णा नहर

*१३६४. **डा० रामा राव** : (क) योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खोसला समिति तथा योजना आयोग ने कृष्णा नदी के सीधे किनारे से एक नहर के लिए जांच पड़ताल करने तथा प्राक्कलित व्यय-विवरण के लिये प्रार्थना की है ?

(ख) क्या यह सच है कि आरम्भ में जिस नहर के लिये योजना बनाई गई थी उस की अपेक्षा नीचे के धरातल पर एक नहर के सम्बन्ध में नाप तोल तथा योजना बनाने का कार्य हो रहा है ?

(ग) इस परिवर्तन के क्या कारण हैं और इस का आदेश किस ने दिया था ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) नन्दीकोण्डा के सीधे किनारे की नहर तथा पुलिचिन्तला के सीधे किनारे की नहर की व्यवस्थाओं के मिलने पर क्षेत्री जांच पड़ताल के फलस्वरूप, आन्ध्र सरकार का यह विचार था कि यह उत्तम तथा अधिक बचत वाला होगा कि नन्दीकोण्डा के सीधे किनारे की नहर को टेकनिकल समिति द्वारा प्रस्तावित रूपरेखा की अपेक्षा निम्न स्तर पर बनाया जाये ।

रेशम के कीड़ों का पालन

*१३६५. **श्री सी० आर० नरसिंहन्** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उन विशेषज्ञों का जिन की सेवायें केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने प्राप्त की थीं, मत यह था कि काश्मीर राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रकार का रेशम का कोवा तथा कच्चा रेशम उत्पन्न किया जाता है क्योंकि रेशम के कीड़ों के पालन के लिये वहां की जलवायु तथा भू-स्थितियां अति उत्तम हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या हिमालय के पास वाले प्रदेशों में, जहां जलवायु, भू, तथा गांवों की स्थितियां काश्मीर राज्य जैसी हैं, रेशम के कीड़ों के पालन के उद्योग के विकास की सम्भावनाओं की जांच की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां ।

(ख) हां, श्रीमान् । केन्द्रीय रेशम बोर्ड पहिले ही अनुमान के रूप में इस उद्देश्य के लिये पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों को वैत्तिक सहायता दे चुका है ।

गंगानगर में ज़मीनें बांटना

*१३६६. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री गंगानगर के सीनियर सेटलमेंट आफीसर ने १३०० हरिजन शरणार्थियों को दी गई ज़मीनें इस आधार पर वापिस ले ली हैं कि उन की भाषा और वेशभूषा राजस्थानी है ;

(ख) क्या यह सच है कि माननीय मंत्री जी ने पहले कभी यह आश्वासन

दिया था कि जिन शरणार्थियों को ज़मीनें मिल चुकी हैं, अब उन से नहीं छुड़ाई जायेंगी; और

(ग) यदि हां, तो अब किस कारण से ज़मीनें वापिस ली जा रही हैं ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). नहीं । गंगानगर भूमि जांच समिति ने जिस प्रकार के कुछ अनियमित नियतनों की सूचना दी, उन्हें ज्येष्ठ पुनर्वास पदाधिकारी ने इस कारण रद कर दिया है कि नियतनधारी या तो विस्थापित व्यक्ति न थे या भूमिहीन विस्थापित व्यक्ति थे जो स्वयं नियत भूमि में कृषि नहीं कर रहे थे ।

(ख) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, परन्तु विस्थापित व्यक्तियों, जिन में नियत भूमि में स्वयं कृषि करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, के नियतनों को रद करने का विचार नहीं है ।

बिहार में सामूहिक विकास

१३६७. **पंडित एस० सी० मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५३-५४ के अन्त तक बिहार राज्य को सामूहिक विकास और फ़ोर्ड फाउण्डेशन योजना के अन्तर्गत कितने रुपये की सहायता दी जानी है और कितनी राशि दी जा चुकी है; और

(ख) सहायता में कितना विकास संबंधी सामान किस किस परियोजना को दिया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) सामूहिक विकास योजना : २ अक्टूबर १९५२ से ३१ दिसम्बर १९५३ तक के लिये १५.०८,७०० रू० दिया जा चुका है ।

फोर्ड फाउण्डेशन : ८,२८,६८० रु०. आरम्भ में राज्य राजस्व से व्यय होता है और देयांश समायोजन के लिये केन्द्रीय राजस्व के महा लेखापाल के पास भेज दिया जाता है । वास्तव में कितने धन का समायोजन हुआ है, इस के सम्बन्ध में सूचना बिहार सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) सामूहिक विकास योजना : विकास प्रगति तथा विभिन्न परियोजनाओं ब्लाकों की दी गई सामग्री संबंधी विवरण पटल पर रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७**].

फोर्ड फाउण्डेशन : विकास सम्बन्धी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है और प्राप्त होने पर पटल पर रखी जायेगी । जहां तक सामग्री का सम्बन्ध है, अब तक चार जीपें दी गई हैं ।

(बिहार में) पंचवर्षीय योजना

*१३६८. **पंडित एस० सी० मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंच वर्षीय योजना का व्यय बढ़ाने की स्कीम में से कितनी राशि बिहार को दी जायेगी ; और

(ख) बेकारी दूर करने की योजनाओं में से बिहार को किस प्रकार की सहायता और कितनी पूंजी दी जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) . योजना के हाल के विस्तार में, बाढ़ सहायता की मध्यम परियोजनाओं के लिए बिहार राज्य को ३ करोड़ रु० नियत किया गया है ।

बिहार में टैक्नीकल शिक्षा

*१३६९. **पंडित एस० सी० मिश्र :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने उस राज्य में टैक्नीकल शिक्षा के लिये नई शिक्षण संस्थाओं को खोलने की कोई स्कीम योजना आयोग के पास भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

मद्रास में बिजली तथा सिंचाई योजनाए

*१३७०. **श्री एस० वी० रामस्वामी :**
श्री एन० एम० लिंगम :

क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य की पंच वर्षीय योजना के अधीन सिंचाई तथा बिजली सम्बन्धी अधिकतर योजनाएं १९५४ में पूरी हो जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजनाओं के लागू किए जाने में ऐसी अन्तरावधि भी होगी जब कि कोई योजना लागू नहीं की जा रही होगी जिस से ट्रेनिंग प्राप्त कर्मचारियों में से कुछ प्रति दिन के प्रशासनीय काम में लगा दिए जायेंगे और कुछ नौकरी से हटा दिए जायेंगे ;

(ग) क्या मद्रास सरकार ने अपने अनुपूरक कार्यक्रम में बिजली तथा सिंचाई की योजनाओं का प्रस्ताव किया है ;

(घ) यदि हां, तो वे कौन सी योजनाएं हैं और उन पर कितना खर्च होगा; और

(ङ) संघ सरकार वह खर्च कैसे पूरा करेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८**]

(ङ) "अवर्षण-ग्रस्त क्षेत्रों में सुधार" के कार्यक्रम के अधीन अमरावती और वैगाई जलाशय परियोजनाएं स्वीकार कर ली गई हैं । बिजली तथा सिंचाई की अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सहायता देने का प्रश्न अभी तक विचाराधीन है ।

सिग्रेट और सिगार

६०२. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १ जुलाई, १९५३ को सिग्रेट तथा सिगार उद्योग में कितनी पूंजी लगी हुई थी ;

(ख) इस उद्योग में कितने मज़दूर काम कर रहे थे ; और

(ग) १९५०-५१ से १९५२-५३ तक इस उद्योग के मज़दूरों को कुल कितना रुपया वेतन के रूप में मिला और प्रत्येक मज़दूर की औसत मासिक आय कितनी थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) कहा जाता है कि भारत में सिग्रेट उद्योग म १९.८ करोड़ रुपया लगा हुआ है । सिगार उद्योग में कितनी पूंजी लगी हुई है—यह मालूम नहीं ।

(ख) और (ग). यह जानकारी नहीं मिलती ।

साइकल उद्योग

६०३. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५० से १९५३ तक भारत के साइकल उद्योग में कुल कितनी पूंजी लगाई गई और उस में विदेशी पूंजी कितनी थी ;

(ख) उपरोक्त वर्षों में इस उद्योग में कितने मज़दूर काम कर रहे थे और प्रति मज़दूर औसत मासिक आय कितनी थी ; और

(ग) उपरोक्त वर्षों में इस उद्योग के लिए विदेशों से मंगाए गए सामान का कुल मूल्य कितना था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार के पास ठीक ठीक जानकारी नहीं है ।

(ख) ९ भाग 'क' राज्यों और तीन भाग 'ग' राज्यों—अजमेर, कुर्ग और दिल्ली —के बारे में ही जानकारी मिलती है जिन्हों ने मजूरी भुगतान अधिनियम के अधीन १९५० और १९५१ के सम्बन्ध में निम्न-लिखित जानकारी दी है :

वर्ष	मज़दूरों की प्रति दिन की औसत संख्या	प्रति मज़दूर की सऔत मासिक आय
१९५०	१५२१	१२३.० रुपये
१९५१	१५६८	१४५.८ रुपये

१९५२ और १९५३ के आंकड़े नहीं मिलते ।

(ग) इस उद्योग के लिये बाहर से मंगाए गए माल का कुल मूल्य मालूम नहीं है क्योंकि सीमा शुल्क के हिसाब किताब में वे मदें अलग से नहीं दिखाई जातीं जो विशेषतया साइकलों के निर्माण के लिए बाहर से मंगाई गई हों । साइकल के विदेशों से मंगाए गए पुर्जों (रबड़ टायरों के अतिरिक्त) का कुल मूल्य इस प्रकार था :

वर्ष	मूल्य, हज़ार रुपयों में
१९५०	४४,०४
१९५१	१,७०,१५
१९५२	१,३१,३०
१९५३ (सितम्बर तक)	७७,७९
कुल	४,२३,२८

मोटरगाड़ी उद्योग

६०४. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १९५३ तक भारत के मोटर गाड़ी उद्योग में कितनी पूंजी लगाई गई थी और वर्ष १९५० से १९५३ तक कितनी पूंजी लगाई गई ;

(ख) क्या इस उद्योग में विदेशी पूंजी भी लगी हुई है, यदि हां, तो कितनी ;

(ग) उपरोक्त वर्षों में मोटर गाड़ी उद्योग के लिए विदेशों से कुल कितने मूल्य का सामान मंगाया गया ; और

(घ) उपरोक्त वर्षों में इस उद्योग में कितने मज़दूर काम कर रहे थे और प्रति मज़दूर औसत मासिक आय कितनी थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सदन में २४ अगस्त, १९५३ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ४०२ के उत्तर में बताया जा चुका है कि मोटरगाड़ी-उद्योग में लगभग १०.०३ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है । १९५०-५३ तक के वर्षों में या किसी विशेष वर्ष में लगाई गई पूंजी का ब्यौरा नहीं मिलता ।

(ख) लगभग ९०.१ लाख रुपये ।

(ग) इस उद्योग के लिए बाहर से मंगाए गए माल का कुल मूल्य मालूम नहीं है क्योंकि सीमाशुल्क के हिसाब किताब में वे मदें अलग से नहीं दिखाई जातीं जो विशेषतया मोटर-गाड़ी उद्योग के लिए बाहर से मंगाई गई हों।

पिछले तीन वर्षों में मोटर गाड़ियों के लिए बाहर से मंगाए गए पुर्ज़ों, जिन में टायर और ट्यूब भी शामिल हैं, का मूल्य इस प्रकार है :

१९५०-५१—१,००१·१७ लाख रुपये।
१९५१-५२—१,४९७·५७ लाख रुपये।
१९५२-५३—७९३·४९ लाख रुपये।

(घ) ९ भाग 'क' राज्यों और ३ भाग 'ख' राज्यों ने १९५० तथा १९५१ के जो आंकड़े दिए हैं, वे इस प्रकार हैं :

	१९५०	१९५१
प्रति दिन काम पर लगे मज़दूरों की औसत संख्या	४,२०६	५,६०५
प्रति मज़दूर की औसत मासिक आय	१२८·८ रु०	१३२·१ रु०

अन्य राज्यों या बाद के वर्षों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं मिलती।

हीराकुद परियोजना

६०५. श्री आर० एन० एस० देव : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में दक्षिण से, विशेषकर तुंगभद्रा परियोजना से बहुत से मज़दूर हीराकुद परियोजना चले गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि नए मुख्य इंजीनियर ने आदेश दिया है कि हीराकुद परियोजना के रिक्त स्थानों की सूचना, रोज़गार केन्द्रों, विशेष कर दक्षिण के रोज़गार केन्द्रों को दी जाय ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार की गाड़ियां मज़दूरों को लाने के लिए साम्भलपुर रेलवे स्टेशन पर भेजी जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें लाने का खर्च किस पर पड़ता है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) कुछ फर्मों ने, जिन्हें ठेके मिले हुए हैं, आंध्र, मैसूर और मद्रास के राज्यों से लगभग २,००० कारीगर मज़दूर मंगाए हैं जिन में से १,३०० तुंगभद्रा योजना पर काम कर चुके हैं।

(ख) उड़ीसा लोक निर्माण विभाग और अन्य स्थानों से लेखा क्लर्क तथा सब-डिवीज़नल क्लर्क नहीं मिल सके जिन्हें स्वीकृत पदों पर नियुक्त किया जा सके इस-लिए पुनर्वास तथा रोज़गार के महासंचालक के कार्यालय, नई दिल्ली से कहा गया कि जिन कर्मचारियों की आवश्यकता है उन के सम्बन्ध में सूचना दक्षिण में स्थित रोज़गार केन्द्रों को भी दे दी जाय जिस से कि ऐसे सुयोग्य उम्मीदवारों के प्रार्थनापत्रों पर भी विचार किया जा सके जो मद्रास के विभाजन और तुंगभद्रा परियोजना के समाप्तप्राय : होने के कारण बेकार हो गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विस्थापित व्यक्ति सहायता विभाग, त्रिपुरा

६०६. श्री दशरथ देव : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा के विभिन्न कार्यालयों में विस्थापित व्यक्ति सहायता विभाग के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

(ख) क्या उन कर्मचारियों का कोई वर्गीकरण है और यदि हां, तो वे कौन से वर्ग हैं और उन के वेतन स्तर क्या हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९**]

काजू उद्योग

६०७. **प्रो० मैथ्यू :**
श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

(क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या त्रावनकोर-कोचीन के दक्षिण भारत काजू व्यापारी संघ ने भारत सरकार को एक अभ्यावेदन हाल ही में भेजा है जिस में कहा गया है कि उस राज्य में इस उद्योग पर संकट आया हुआ है और सरकार से संकट दूर करने तथा उद्योग की रक्षा करने के लिए कहा गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस उद्योग की हालत की जांच की है और उपरोक्त संघ की प्रार्थना पर विचार किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मंत्रालय के एक अधिकारी को विशेष रूप से त्रावनकोर कोचीन भेजा गया जिस से कि वह मौके पर जा कर इस उद्योग की कठिनाइयों का अध्ययन कर सके । उस की रिपोर्ट आ गई है और इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

नीमखली

६०९. **श्री गणपति राम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२-५३ में कुल कितनी नीमखली का निर्यात किया गया था ;

(ख) आयात करने वाले देशों के नाम तथा प्रत्येक को कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ;

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की घटत या बढ़त हुई है; तथा

(घ) भारत वर्ष के कौन कौन से राज्य नीमखली का उत्पादन कर रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) नवम्बर १९५२ तक नीमखली के निर्यात पर प्रतिबन्ध था । नवम्बर १९५२ से मार्च १९५३ के अन्त तक जबकि उस के निर्यात के लिए मुक्त रूप से अनुज्ञप्ति दी जाती थी, तब नीमखली का बिल्कुल भी निर्यात नहीं किया गया ।

(घ) यह ज्ञात हुआ है कि मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब, मद्रास तथा कुछ अन्य राज्यों में काफ़ी मात्रा में नीमखली का उत्पादन किया जाता है ।

आंध्र में सामुदायिक परियोजना

६१०. **श्री गौडिलिंगन गौड़** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आंध्र सरकार ने चार सामुदायिक परियोजनाओं तथा बाईस विकास क्षेत्रों के प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं ?

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं तथा क्षेत्रों के क्या नाम हैं तथा किन किन स्थानों पर हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). वर्ष १९५२-५३ में संयुक्त मद्रास के लिए नियत की गई छः सामुदायिक परियोजनाओं में से दो परियोजनाएं आंध्र में स्थित हैं :

(१) कुरनूल-कुडप्पा नहर क्षेत्र,

(२) पूर्वी गोदावरी (काकीनादा--पेड्डापुरुम)

वर्ष १९५३-५४ में राज्य के लिए नियत किये गए दो सामुदायिक विकास तथा बाईस राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों के विषय में

राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावों की प्रतीक्षा है ।

कुटीर उद्योग संग्रहालय

६११. **सेठ गोविन्द दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बेकारी घटाने के उद्देश्य से दिल्ली में एक ऐसा संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है जिस को देख कर बेकार जन थोड़ी पूंजी लगा कर कुटीर उद्योग स्थापित कर सकें और केन्द्रीय विपणि संस्था के विक्रय विभाग द्वारा अपनी वस्तुएं वेच सकें ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : नहीं श्रीमान् ।

टेनिस की गेंदें

६१२. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२, तथा १९५२-५३ में कुल कितनी धनराशि की टेनिस की गेंदों का आयात भारतवर्ष में किया गया है ;

(ख) भारतवर्ष में टेनिस की गेंदों की वार्षिक औसतन आवश्यकता कितनी है ;

(ग) क्या आजकल भारतवर्ष में टेनिस की गेंदें स्वदेशी माल से शत प्रतिशत रूप में बनती हैं; तथा

(घ) क्या टेनिस की गेंदों सम्बन्धी भारत की आवश्यकता को भारत में ही पूरी करने के लिये सरकार ने कोई प्रयत्न किये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) टेनिस की गेंदों के वास्तविक आयात के मूल्य का पता नहीं लग सका है चूंकि इन के आयात के बारे में देश के आयात व्यापार के आंकड़ों में कोई विशेष उल्लेख नहीं है । स्वीकृत आयात अनुज्ञप्तियों का मूल्य निम्न है :—

१९५०—११,०४,८२० रुपया
१९५१—१३,८०,४७८ रुपया
१९५२—७,१२,३७२ रुपया
१९५३ (जनवरी-जून)— ३,१६,४९० रुपया

(ख) यथार्थ जानकारी प्राप्य नहीं है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) सरकार द्वारा कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये गये हैं । गैर सरकारी दलों ने प्रति वर्ष १६०० दर्जन टेनिस की गेंदें बनाने के लिये दो योजनाएं प्रस्तुत की थीं जिन्हें उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के अधीन अनज्ञप्तियां दे दी गई हैं । ६६८० दर्जन टेनिस की गेंदें बनाने सम्बन्धी अन्य दो योजनाओं को अनुज्ञप्तियां देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

निराश्रित स्त्रियों के लिए शिविर

६१३. **श्री डी० सी० शर्मा :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निराश्रित स्त्रियों के लिए आजकल देश में कितने शिविर हैं ?

(ख) १९४९, १९५०, १९५१ तथा १९५२ की तुलना में संख्या कितनी है ?

(ग) इन शिविरों में से कितने शिविर अब तक बन्द हो गये हैं ?

(घ) इन शिविरों को बन्द करने के क्या कारण थे ?

(ङ) आजकल शिविरों में रहने वालों की कुल संख्या कितनी है ?

(च) १९४९, १९५०, १९५१, तथा १९५२ की तुलना में इस की संख्या कैसी है ?

(छ) आंकड़ों में घटत अथवा बढ़त के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान

	२८	२५
(ख)		
१९४९	२२	२
१९५०	२६	१५
१९५१	२६	२२
१९५२	२७	२३
(ग)	११	८

(घ) (१) शिविरों में रहने वाली स्त्रियों का दूसरे शिविरों में स्थानान्तरण;

(२) उन का पुनर्वास ।

(ङ)	१९,१९४	१२,६९२
(च)		
१९४९	११,३६५	१,०६८
१९५०	२०,०२५	१०,७४१
१९५१	१४,८८७	१०,४८५
१९५२	१८,९७५	११,९२३

(छ) घटत अथवा बढ़त निम्न कारणों से है :

(१) सहानुभूति योग्य स्त्रियों की सीधी भर्ती ।

(२) पुनर्वास ।

(३) मृत्यु, परित्याग तथा मुक्ति ।

निष्क्राम्य सम्पत्ति का किराया

६१४. सरदार हुक्म सिंह : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (१) प्रति वर्ष विस्थापित व्यक्तियों से प्राप्य तथा (२) वस्तुतः प्राप्त वार्षिक किराया कितना है ?

(ख) क्या विस्थापित व्यक्तियों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों को भी निष्क्राम्य सम्पत्ति दी गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) निष्क्राम्य सम्पत्ति के अधिकारी विस्थापित व्यक्तियों से प्राप्य तथा वास्तव में प्राप्त किया गया किराया द्योतक लेखा अलग से नहीं रखे जाते । केवल विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी करने में जो समय और श्रम होगा वह परिणाम की अपेक्षा बहुत अधिक होगा ।

(ख) निष्क्राम्य सम्पत्ति के पुराने किरायेदारों को ही अधिकारी रहे आने की आज्ञा दी गई है, तथा निष्क्राम्य सम्पत्ति गैर विस्थापित व्यक्ति को विस्थापित व्यक्तियों के न होने पर अथवा असाधारण परिस्थिति में ही किराये पर दी जाती है।

दिल्ली नगरपालिका के कब्जे में भूमि

६१५. सरदार हुक्म सिंह : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली नगरपालिका के कब्जे वाली भूमि की वापिसी के सम्बन्ध में रेलवे पदाधिकारियों द्वारा की गई मांग के सम्बन्ध में बातचीत किस स्थिति में है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : यह प्रश्न अभी तक विचाराधीन है ।

संतरे का तेल

६१७. श्री ईश्वर रेड्डी : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि संतरे से तेल निकालने के लिये मध्य-प्रदेश में एक मशीन लगाई जा चुकी है ?

(ख) यदि हां, तो किस ने इस का आविष्कार किया ?

(ग) क्या सरकार ने इस मशीन की व्यापारिक संभावनाओं के सम्बन्ध में जांच की है ?

(घ) यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) मशीन का नमूना उद्योग शाला, उद्योग विभाग, मध्य प्रदेश नागपुर ने तैयार किया है ।

(ग) तथा (घ). मध्य प्रदेश सरकार ने पता किया है कि इस प्रक्रिया की व्यापारिक सम्भावनाएं हैं और सरकार इसे कुटीर-उद्योग के रूप में वहां जारी करने का प्रयत्न कर रही है ।

पटेल नगर अस्पताल की इमारत

६१८. **डा० रामा राव** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि पटेलनगर में अस्पताल की एक गैर आबाद इमारत है ?

(ख) किस ने और कब यह अस्पताल आरम्भ किया था ?

(ग) वह खाली क्यों पड़ा है ?

(घ) क्या उस को खोलने का कोई विचार है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (घ). पुनर्वास मंत्रालय ने अभी हाल ही में पटेलनगर में एक अस्पताल की इमारत बना कर तैयार की है और उस में सफाई सम्बन्धी एवं पानी पहुंचाने की व्यवस्थायें पूरी की हैं । यह कार्य अक्टूबर, १९५१ में आरम्भ किया गया था । शीघ्र ही यह अस्पताल राज्य सरकार को दे दिया जायेगा और वही इस को चलायेगी और इस का प्रबन्ध करेगी ।

उद्योगों की केन्द्रीय मंत्रणा परिषद्

६१९. **श्री भागवत झा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इंडिया यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड, बम्बई, के मामले में जांच पड़ताल करने के लिये उद्योगों की केन्द्रीय मंत्रणा परिषद ने कोई उप-समिति नियुक्त की है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस उप-समिति को कौन कौन से विवाद-विषय सौंपे गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). समिति की नियुक्ति और उस की नियुक्ति के प्रयोजन संबंधी अधिसूचना की एक प्रति-लिपि सदन पटल पर रखी जाती है [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०**] ।

एन्टीबायोटिक्स

६२०. **डा० अमीन** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रिटेन तथा अमरीका से थोक में आने वाली एन्टी बायोटिक्स पर आयात शुल्क की दर क्या है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि ब्रिटेन से थोक में आने वाली एन्टी बायोटिक्स भारतीय निर्माताओं को उसी दर पर नहीं दी जाती जिस दर पर वे भारत में स्थापित ब्रिटिश फर्मों को दी जाती हैं और यह कि इस प्रकार भारतीय निर्माता अपनी आवश्यकताओं को अमरीका से खरीदने के लिये बाध्य होते हैं, जिस पर अधिक दर से आयात शुल्क देना पड़ता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११**]

(ख) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई

ट्रैक्टर

६२१. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या डेविड ब्राउन ट्रैक्टर के पुर्जों आदि को जोड़कर उसे तैयार करने की क्या भारत में आरम्भ हो गई है;

(ख) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो अभी तक भारत में खुले हुए पुर्जों की अवस्था में मशीनों के कितने खेप आये हैं; तथा

(ग) इन ट्रैक्टरों के भारत में एकमात्र अभिकर्ता कौन हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). भारत में डेविड ब्राउन ट्रैक्टरों के एकमात्र अभिकर्ता सर्वश्री महेन्द्र एण्ड महेन्द्र लिमिटेड, बम्बई को इन ट्रैक्टरों के आयात के लिये एक लाइसेन्स (अनुज्ञप्ति) दिया गया था ।

उन्हों ने सरकार को सूचित किया है कि इन ट्रैक्टरों के पुर्जे जोड़ कर इन्हें तैयार करने के काम से परिचित होने की दृष्टि से उन्हों ने बिलकुल खुले हुए पुर्जों की अवस्था में ऐसे छै ट्रैक्टर आयात किये हैं ।

सुधार शुल्क का आरोपण

६२२. **श्री हेडा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन से राज्य हैं जिन में नई नदी घाटी परियोजनाओं के द्वारा होने वाली सिंचाई के अधीन लाये गये क्षेत्रों में सुधार-शुल्क के लगाने के लिये विधान बनाये जा चुके हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, मैसूर तथा राजस्थान ने आवश्यक विधान बनाये हैं।

भारत में छूट गई मोटर गाड़ियां आदि

६२३. **श्री बहादुर सिंह :**
सरदार हुक्म सिंह :

(क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात का कोई अनुमान है कि १९४७ में विभाजन के फलस्वरूप जो मुसलमान पश्चिमी पकिस्तान को चले गये थे, वे भारत में कितनी बसें और ट्रक छोड़ गये हैं ?

(ख) अभिरक्षक ने निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में कितनी मोटर गाड़ियों आदि को अपने कब्जे में ले लिया था ?

(ग) क्या उन सब का बिक्री के द्वारा अथवा अन्यथा निबटारा कर दिया गया है ?

(घ) इस प्रकार उन से कितना धन प्राप्त हुआ है ?

(ङ) उस राशि का किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

(च) दोनों देशों के बीच चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में अब तक जो करार हुए हैं, क्या उन में से कोई इस मामले पर भी लागू होता है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(च) हां; जून १९५० का चल सम्पत्ति करार और जुलाई-अगस्त १९५० की भारत-पाकिस्तान वार्ता में हुए विनिश्चय इस मामले पर लागू होते हैं ।

हीराकुड परियोजना

६२४. **श्री बी० सी० दास** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हीराकुड परियोजना में नौकरी के लिये भारत के सभी प्रादेशिक काम

दिलाऊ दफ्तर प्रार्थना पत्र दर्ज करते हैं और नामों की सिफारिश करते हैं;

(ख) क्या १९५२ तक हीराकुड परियोजना के लिये नाम दर्ज करने और उन की सिफारिश करने का सारा काम उड़ीसा प्रादेशिक काम दिलाऊ दफ्तर के जिम्मे था; तथा

(ग) क्या भारत में इस प्रकार की अन्य परियोजनाओं के लिये सभी प्रादेशिक काम दिलाऊ दफ्तर प्रार्थनापत्र दर्ज करते हैं और नामों की सिफ़ारिश करते हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) नहीं । रिक्त स्थानों की सूचना अन्य काम दिलाऊ दफ्तरों को भी दी जाती थी ।

(ग) हां ।

कुटीर उद्योग

६२५. श्री भागवत झा : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि कुछ विशिष्ट कुटीर उद्योगों को आजकल उस विकास कार्य का लाभ प्राप्त हो रहा है जो संघ सरकार के द्वारा दिये गये अनुदानों द्वारा वित्त पोषित है ?

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों और उद्योगों को ऐसे अनुदान मिल रहे हैं ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि कुछ और कुटीर उद्योगों को चालू वर्ष में ऐसी वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १२]**

काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ के निरीक्षक

६२६. श्री बादशाह गुप्त : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) काश्मीर में पृथक पृथक देशों के कितने कितने निरीक्षक संयुक्त राष्ट्र संघ ~~की ओर~~ से नियुक्त किये गये हैं;

(ख) इन में से उन निरीक्षकों की संख्या क्या है जिन्हें काश्मीर में निवास-स्थान दिये गये हैं; तथा

(ग) १९५२–५३ में उक्त निरीक्षकों पर कितना व्यय हुआ है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १३]**

(ख) जम्मू और काश्मीर में संयुक्त राष्ट्रीय निरीक्षकों के लिये किसी विशेष निवास स्थान की व्यवस्था नहीं की गई है । सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में जो निरीक्षक होते हैं उन के साथ सम्बन्धित सैन्य टुकड़ियों के अतिथि के रूप में व्यवहार किया जाता है और उन्हें मुफ्त निवास स्थान दिया जाता है ।

(ग) संयुक्त राष्ट्रीय निरीक्षकों ने जो व्यय किया है, उस का अधिकांश भाग संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया जाता है । भारत सरकार उन्हें जैसे कि यातायात आदि की सुविधायें देने के लिये व्यय करती है, किन्तु इस का कोई अलग लेखा नहीं रखा जाता ।

बिहार में हाथकरघे

६२८. श्री विभूति मिश्र : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय बिहार राज्य में कितने हाथ-करघे चालू स्थिति में हैं ?

(ख) कितने हाथकरघों में हाथ का कता हुआ सूत प्रयोग किया जाता है और

कितनों में मिल का बना हुआ सूत प्रयोग किया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत सरकार के पास ठीक ठीक आंकड़े नहीं हैं किन्तु बिहार सरकार ने अनुमान लगाया है कि १,९६,२१८ करघों में से केवल १,४१,४५४ हाथकरघे चालू स्थिति में हैं ।

(ख) बताया गया है कि ३,३८९ करघों में हाथ के कते हूए सूत का प्रयोग किया जाता है और शेष में मिल के बने हुए सूत का ।

भाखड़ा-नंगल परियोजना

६२९. **श्री भागवत झा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार चालू वित्तीय वर्ष में भाखड़ा-नंगल परियोजना के काम के व्यय को पूरा करने के लिये अतिरिक्त धन मंजूर कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किस कारण; और

(ग) कितनी अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). भाखड़ा-नंगल परियोजना के काम के व्यय को पूरा करने के लिये इस समय ३.९६ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने का विचार है जिस से कि परियोजना अधिकारी समय पर निर्माण पूरा कर सकें ।

कहवा उगाने वाले

६३०. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने बड़े बड़े कहवा उगाने वालों से प्राप्त शुल्क से छोटे छोटे कहवा उगाने वालों की सहायता करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या चाय और रबड़ जैसे अन्य बागों के उद्योगों के सम्बन्ध में भी यही नीति बरती जायेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं, श्रीमान्; ऐसा कोई निश्चय नहीं किया गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण-क्षेत्र में भूचाल

६३१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्षों अर्थात्, १९५१-५४ में उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के विभिन्न भागों में कितनी बार भयंकर भूचाल आया; और

(ख) सरकार ने पीड़ित लोगों को किस प्रकार की सहायता दी और उस में कितना धन व्यय हुआ ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). १९५१–५४ में आसाम या उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में कोई भूचाल नहीं आया ।

किन्तु अगस्त, १९५० में आसाम में एक भयंकर भूचाल आया था जिस से उत्तरी लखीमपुर, जोरहाट, शिवसागर नगर, डिब्रूगढ़ और उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के कुछ स्थानों जैसे पासीघाट, सादिया, तेजपुर, कोहिमा इत्यादि को क्षति पहुंची थी । क्षति का विस्तृत विवरण संलग्न नोट में दिया हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४]**

भारत सरकार ने उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में सहायता कार्य पर व्यय करने के लिये २,६१,५४७ रुपये की राशि मंजूर

की थी । इस के अतिरिक्त दो 'बोनाज़ा' विमान जोरहाट भेंजे गये थे और बीस नम्बर १० की रेंजर नौकायें उत्तर पूर्वी सीमान्त प्रशासन को उधार दी गई थीं । आसाम राइफल्स को भी पूर्णतया सहायता कार्य में जुट जाने का निदेश दिया गया था ।

इस के अतिरिक्त प्रधान मंत्री की सहायता निधि में से भी धन दिया गया था और कतिपय अन्य देशों से और युनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संघ) तथा भारत और विदेशों की विभिन्न निजी संस्थाओं से भी धन और सामग्री प्राप्त हुई थी ।

पटना रेडियो स्टेशन

६३२. **श्री विभूति मिश्र** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि आकाशवाणी के पटना केन्द्र में ५ किलोवाट का पारेषक लगा हुआ है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अच्छी प्रकार से प्रसारण के हेतु अपर्याप्त है ?

(ख) क्या आकाशवाणी के पटना केन्द्र में अधिक शक्तिशाली पारेषक लगाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कितने समय में ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) आकाशवाणी के पटना केन्द्र में इस समय ५ किलोवाट एम० डब्लू० का एक पारेषक लगा हुआ है जो कि लगभग ७० मील के व्यासार्ध की परिधि के लिये बिल्कुल ठीक है ।

(ख) पटना में अधिक शक्तिशाली पारेषक लगाने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

रूई

६३३. **सरदार लाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गत चार वर्षों में प्रगति वर्ष कुल कितनी रुई का आयात किया गया और उस की कितनी लागत थी;

(ख) किन किन देशों से आयात किया गया;

(ग) बीच के रेशे से ले कर लम्बे रेशे की रुई के लिये--जिस के रेशे की लम्बाई लगभग एक इंच हो--भारत के पत्तन पर उतरने पर प्रति मन कितना मूल्य दिया गया; और

(घ) उसी अवधि में उसी प्रकार की भारतीय रुई--जैसे कि २१६ एफ का क्या नियंत्रित मूल्य निश्चित किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १५**]

बोखारों की कोयला खानें

६३४. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बोखारो (बिहार) की कोयला खानों से अप्रैल १९५३ और सितम्बर १९५३ के बीच कितने टन कोयला भेजा गया ?

(ख) उक्त अवधि में खनिकों को कितने टन कोयला खोद कर निकालने और लादने के लिये मंजूरी दी गई ?

(ग) क्या उत्पादन, लादने और भेजने की मात्रा में कोई अन्तर हुआ है और यदि हां तो क्यों ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (ग). एक विवरण सदन पटैल पर रखा जाता है । इस में लगभग आंकड़े दिये हुए हैं । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १६**]

उड़ीसा के खनिक

६३५. श्री संगण्णा : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार के प्रशासनात्मक नियंत्रण के अधीन उड़ीसा राज्य की कोयला खानों के खनिकों को मृत्यु या चोट के कारण प्रतिकर के रूप में और बोनस के रूप में अलग अलग कितनी राशि दी गई ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १७]**

भोजन तथा निवास-गृह

६३६. श्री संगण्णा : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था, तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार नई दिल्ली में कितने भोजन तथा निवास गृह चलाती है;

(ख) इन गृहों में कितने रूम बैरे, चौकीदार और भंगी हैं;

(ग) क्या उपरोक्त श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर दिये गये हैं;

(घ) क्या इन सरकारी कर्मचारियों को वर्दियां दी जाती हैं और यदि हां, तो कितने समय के बाद; तथा

(ङ) क्या विभागों के स्थायी कार्यालयों में काम करने वाले इन श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को वर्दियां दी जाती हैं?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार पांच होस्टल, कांस्टीट्यूशन हाऊस, वैस्टर्न कोर्ट, कोटा हाऊस, पटौदी हौस और रायसेना रोड होस्टल चलाती है ।

(ख)

(१) रूम बैरे	३८
(२) चौकीदार	३६
(३) भंगी	८६

(ग) जी हां, उन में से अधिकांश को क्वार्टर दिये गये हैं ।

(घ) जी नहीं, इस समय नहीं, किन्तु इन कर्मचारियों को वर्दियां देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ङ) स्थायी कार्यालयों की नियमित स्थापना के चौकीदारों और भंगियों को वर्दियां दी जाती हैं। किन्तु ऐसे कार्यालयों में रूम बैरे नहीं होते ।

ऊन

६३७. ठा० लक्ष्मण सिंह चरक : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में प्रति वर्ष कुल कितनी ऊन विदेशों से आयात की जाती है?

(ख) यह ऊन किन देशों से आयात की जाती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) लगभग ५८,५३,००० पौंड ।

(ख) मुख्यत: ब्रिटेन, आस्ट्रलिया और न्यूज़ीलैण्ड से ।

बूट पालिश के कारखाने

६३८. ठा० लक्ष्मण सिंह चरक : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में बूट पालिश के लगभग कितने कारखाने हैं ?

(ख) इन में कितनी कम्पनियों का स्वामित्व आंशिक या पूर्ण रूप से विदेशियों के हाथ में है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). सरकार की जानकारी के अनुसार, इस समय भारत में

बूट-पालिश के २३ कारखाने हैं, जिन में से एक विदेशी बतलाया जाता है ।

मैंग नीज़ और लोहे की कच्ची धातू का निर्यात

६३९. **पंडित लिंगराज मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ११ नवम्बर, १९५३ की अधि-सूचना के अनुसार उड़ीसा खान स्वामियों को कुल कितने अंश के लिए अनुज्ञप्तियां दी गई थीं,

(ख) २ सितम्बर, १९५३ की प्रैस विज्ञप्ति जारी होने के बाद दलाल निर्माताओं को कुल कितना अंश दिया गया था;

(ग) उड़ीसा के खान स्वामियों को और भेजने वालों के कितने प्रार्थनापत्र अब भी विचाराधीन हैं;

(घ) क्या उड़ीसा वाणिज्य-मंडल की ओर से सरकार से यह अभ्यावेदन किया गया है कि माल के डिब्बे और रेलवे लदान का स्थान पहले ही प्रेषकों और खान स्वामियों को दे दिया गया है और वे लदान की सुविधाओं के न होने के कारण और खान स्वामियों और प्रेषकों को अनुज्ञप्ति जारी करने की तिथियों में असंगति होने के कारण निर्यात नहीं कर सकेंगे;

(ङ) क्या सरकार ने अभ्यावेदन पर उचित रूप से विचार किया है; तथा

(च) यदि हां, तो इस के क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अक्तूबर से दिसम्बर तक की अवधि के बीच कलकत्ता पत्तन द्वारा लगभग ३,२५,००० टन लोहे और मैंगनीज की कच्ची धातु का निर्यात करने के लिये अनुज्ञप्तियां जारी की गई हैं। इस में से २,२९,००० टन पुराने निर्यातकों के लिए निर्धारित किया गया था और शेष नये निर्यातकों के लिए । उड़ीसा के उन खान स्वामियों को जिन्हों ने ये धातुएं पहले निर्यात नहीं की थीं, निम्न परिमाण के लिये निर्यात अनुज्ञप्तियां दी गई हैं ।

	टन
लोहे की कच्ची धातु	३६,५८१
मेंगनीज़ की कच्ची धातु	१६,२९५
योग	५२,८७६

(ख) पुराने निर्यातकों को जिन में कुछ खान स्वामी भी हैं १,५८,००० टन लोहे की कच्ची धातु और ७१,००० टन मेंगनीज़ की कच्ची धातु का निर्यात करने के लिए अनुज्ञप्तियां दी गई हैं ।

(ग) पुराने निर्यातकों के कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं हैं । केवल तीन नय खान स्वामियों के प्राथनापत्रों का जिन्होंने अभी सारी आवश्यक जानकारी नहीं दी, निर्णय करना बाकी है ।

(घ) से (च) । जी हां, श्रीमान् । उड़ीसा वाणिज्य-मंडल की शिकायत की जांच की जा रही है । अब तक प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि उस के पास बाएबिल में संख्या ३–ए साईडिंग पर एक प्लाट के लिए केवल एक व्यादेश बाकी रहती है। इस मामले की जांच की जा रही है । प्रेषकों को केवल उतना कोटा दिया जाता है जितना कि रेलवेज़ ले जा सकती है । आवश्यक माल के डिब्बों के देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना नहीं है ।

नये खान स्वामियों और पुराने निर्यातकों को एक साथ लाईसेंस इसलिए नहीं दिये जा सके थे क्योंकि उन की खानों के वास्तविक उत्पादन और उन के द्वारा राज्य सरकार को दिये जाने वाले अधिकार-शुल्क आदि के

बारे में जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं थी और कट्ठी करनी पड़ी थी। पुराने निर्यातकों को उन के पहले निर्यातों के आधार पर अंश दिये गये थे और इन के बारे में जानकारी तुरन्त उपलब्ध थी।

फौलाद

६४०. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक कुल कितना फौलाद आयात किया गया है और इस का मूल्य क्या है;

(ख) यह किन देशों से आयात किया गया था;

(ग) इस में कितना निजी क्षेत्र को दिया गया है; तथा

(घ) केन्द्रीय सरकार के विभागों और राज्य सरकारों को कितना दिया गया है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १९]**

छोटे पैमाने के उद्योग

६४१. **श्री हेम राज :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने भारत में ग्राम और छोटे पैमाने के उद्योगों की जांच और पुनर्संगठन के लिए कुछ विदेशी विशेषज्ञ बुलाए हैं?

(ख) यदि हां, तो वे कौन हैं और किन देशों के हैं?

(ग) वे किन उद्योगों की जांच करेंगे?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण जिस में विशेषज्ञों के नाम और देश बतलाये गये हैं, संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १९].**

(ग) आरम्भ में वह निम्न उद्योगों पर विचार करेगा :

१. लोहार का काम और छोटे कृषि उपकरण
२. बढइगिरी
३. जूते और चमड़े का सामान
४. चमड़ा रंगना।
५. साईकिल के पुर्ज़े।
६. कांटे छरियां।
७. ताले।
८. गणित और ड्राइंग के उपकरण;
९. खेलों का सामान।
१०. ब्रश बनाना।
११. फौलाद के तार का सामान।
१२. शीशे का सामान।

अपनी जांच में दल को जो अनुभव प्राप्त होगा, उस के अनुसार इस सूची में और उद्योग बढ़ा दिये जायेंगे या कम कर दिये जायेंगे।

आसाम में नदी परिमाप

६४२. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन नदियों की सूची को जिन का आसाम में जल-विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में परिमाप किया जायेगा अन्तिम रूप दे दिया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो इन नदियों के नाम क्या हैं?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

कास्टिक सोडा

६४३. **श्री राम दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कास्टिक सोडा का कुल उत्पादन कितना है;

(ख) भारत में इस की कुल कितनी खपत है; तथा

(ग) विदेशों से कुल कितना आयात किया जाता है ।

वाणिज्य तथा **उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) वर्तमान वार्षिक उत्पादन २१,००० टन है ।

(ख) खपत के ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) १९५२–५३ में कुल आयात २५,५५२ टन था और १९५३ में (अप्रैल से अक्तूबर तक) २२,५०० टन था ।

वाणिज्यिक सह-दूत

६४४. **श्री मूलचन्द दुबे :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय वाणिज्यिक सह-दूतों की, जिन्हें विदेश स्थित विभिन्न दूतावासों में नियुक्त किया जाता है, आम तौर पर क्या योग्यतायें होती हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : विदेश स्थित विभिन्न दूतावासों में नियुक्त किये जाने वाले भारतीय वाणिज्यिक अधिकारी आम तौर से भारतीय विदेश सेवा से लिये जाते हैं जिसे विदेशों में राजनयिक तथा वाणिज्यिक दोनों पदों के लिये विशेष रूप से तैयार किया जाता है । जब भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी उपलब्ध नहीं होते तो अन्य सेवाओं जैसे भारतीय नागरिक (सिविल) सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (श्रेणी १) आदि के अधिकारियों को भी, जिन्हें वाणिज्यिक कार्य का विशेष ज्ञान व अनुभव होता है, विदेश स्थित वाणिज्यिक पदों पर नियुक्त किया जाता है ।

फाउन्टेन पेन की स्याही

६४६. **श्री जेठालाल जोशी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में १९५२–५३ में फाउन्टेन पेन की स्याही की कुल कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ी; तथा

(ख) भारत में कितनी स्याही बनाई जाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) भारत में फाउन्टेन पेन की स्याही का वार्षिक वर्तमान उत्पादन (दो औंस वाली) लगभग ५,७०,००० दर्जन बोतल है ।

आल इण्डिया रेडियो

६४७. **श्री गिडवानी :** (क) **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आल इंडिया रेडियो के मध्य पूर्व यूनिटों के कर्मचारी-वर्ग के भारतीयकरण की योजना को क्रियान्वित कर दिया गया है ?

(ख) ऑल इंडिया रेडियो के मध्यपूर्व यूनिटों में निरीक्षकों (सुपरवाइज़र), व्याख्याकारों (कमेन्टेटर) व अनुवादकों के पदों पर कितने भारतीय कार्य कर रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जहां तक संभव होता है ऑल इंडिया रेडियो की वैदेशिक सेवाओं के विभिन्न यूनिटों के पदों के लिये , जिन में मध्य पूर्व यूनिट भी शामिल हैं, भारतीयों को ही रखा जाता है । विदेशी तब ही नियुक्त किये जाते हैं जब उपयुक्त योग्यता रखने वाले भारतीय उपलब्ध नहीं होते । यह आवश्यक है कि विभिन्न विदेशी

भाषा यूनिटों में जो कर्मचारी रखे जायें उन्हें ब्राडकास्ट सम्बन्धी कार्यों के लिये उस भाषा विशेष का समुचित ज्ञान हो।

(ख) विभिन्न मध्य पूर्व यूनिटों में निरीक्षकों तथा अनुवादकों/अनाउन्सरों के पदों पर कार्य कर रहे भारतीयों की संख्या इस प्रकार है :—

पश्तो यूनिट	४	अनुवादक/अनाउन्सर
अरबी यूनिट	१	निरीक्षक (स्टाफ़ आर्टिस्ट)
अफ़गान यूनिट	१	अनुवादक/अनाउन्सर (स्टाफ़ आर्टिस्ट)

व्याख्याकार (कमेन्टेटर) के पद पर कोई भारतीय नहीं है।

राजनैतिक अधिकारी

६४८. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहायक राजनैतिक अधिकारियों तथा राजनैतिक अधिकारियों के पदों के लिये कितने आदिमजातीय और गैर-आदिमजातीय उम्मीदवारों का इन्टरव्यू किया गया;

(ख) इन पदों के लिये चुने गये आदिम जातीय तथा ग़ैर आदिम जातीय उम्मीदवारों की संख्या;

(ग) उम्मीदवारों को चुनने में किन योग्यताओं का ध्यान रखा गया था;

(घ) पदों के वेतन और भत्ते; तथा

(ङ) पदों के चुनाव बोर्डों की रचना ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) राजनैतिक अधिकारियों तथा सहायक राजनैतिक अधिकारियों के पदों के लिये आदिम जातीय तथा ग़ैर आदिम जातीय उम्मीदवारों से प्राप्त प्रार्थनापत्रों की संख्या और इंटरव्यू के लिये बुलाये गये लोगों की संख्या इस प्रकार है:—

	राजनैतिक अधिकारी		सहायक राजनैतिक अधिकारी	
	प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	इंटरव्यू के लिये बुलाये गये लोगों की संख्या	प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	इंटरव्यू के लिये बुलाये गये लोगों की संख्या
उत्तर पूर्व सीमान्त एजेंसी के आदिम-जातीय उम्मीदवार	३	३	११	६
अन्य क्षेत्रों के आदिम जातीय उम्मीदवार	७	२	१८	४
ग़ैर आदिम जातीय (असैनिक)	२००	३२	३९६	५०
सैनिक कर्मचारी	८९०	७०	३००	१४५
	१०९०	१०२	६९६	१९५

(ख) इन पदों के लिये दो विशेष चुनाव बोर्ड इस समय उम्मीदवारों का इंटरव्यू कर रहे हैं; आशा है कि उम्मीदवारों का चुनाव इस महीने के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

(ग) उत्तर पूर्व सीमान्त एजेंसी व आसाम राज्य में काम कर रहे अधिकारियों तथा आई० ए० एस०, आई० एफ० एस०, आई० पी० एस०, इंडियन फ़ारेस्ट सर्विस (भारतीय वन सेवा), डिफेंस सर्विसेज़ (रक्षा सेवाओं) के अधिकारियों तथा ऐसे उम्मीदवारों को जिनकी भारतीय विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों ने सिफ़ारिश की थी, प्रार्थना पत्र देने की अनुमति थी। इन पदों पर चुने जाने के लिये उम्मीदवारों में आगे बढ़ कर नया काम करने का गुण और कल्पना शक्ति का होना अनिवार्य था; यह भी आवश्यक था कि ये लोग साधन पूर्ण हों और आदिम जातीय लोगों तथा उनके रिवाजों से अनभिज्ञ न हों और उनके प्रति सहानुभूति रखते हों। अविवाहित व्यक्तियों तथा ऐसे विवाहित व्यक्तियों को भी जिनकी पत्नियां सामाजिक कार्य में रूचि रखती हों, अधिमान दिया जा रहा है। यह ज़रूरी समझा गया था कि चुने जाने वाले अधिकारियों में कठिन तथा सुनसान क्षेत्रों में काम करने की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता हो।

(ङ) सहायक राजनैतिक अधिकारियों को आई० ए० एस० की निम्न वेतन श्रेणी (यानी ३५०—४००—४५०—५००—५४०—३०—६००—ई० बी०—३०—८७०—४०—९५०) में रखा जायेगा।

राजनैतिक अधिकारियों को आई० ए० एस० की उच्च वेतन श्रेणी में (यानी ८०० में (छटे वर्ष या पहले)—५०—१०००—६०—१३००—१८००) रखा जायेगा।

अधिकारियों को आदिमजातीय क्षेत्रों में काम करते समय मल वेतन का ३३ १/३ प्रतिशत विशेष वेतन के रूप में और दिया जायेगा जो अधिक से अधिक ४०० रु० प्रतिमास होगा।

आदिम जातीय क्षेत्रों में नियुक्त अधिकारियों को रहने के लिये एक साधारण प्रकार का सुसज्जित मकान मुफ्त दिया जायेगा।

(ङ) राजनैतिक अधिकारियों को नियुक्त करने के लिये जो विशेष चुनाव बोर्ड है उसमें ये लोग हैं:

(१) भारत सरकार के वैदेशिक-कार्य सचिव (अध्यक्ष)

(२) भारत सरकार के रक्षा सचिव,

(३) भारत सरकार के गृह-कार्य सचिव, तथा

(४) भारत सरकार के मानविकी संचालक तथा मानविकी परामर्शदाता (आदिम जातीय विशेषज्ञ)

सहायक राजनैतिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिये बने विशेष चुनाव बोर्ड के सदस्य ये हैं:

(१) राजनैतिक अधिकारी, सिक्किम (अध्यक्ष)

(२) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय

(३) संयुक्त सचिव, गृह कार्य मंत्रालय

(४) प्रो० वेरियर एलविन (आदिम जातीय विशेषज्ञ)।

माली क्वार्टर

६४९. श्री भीखाभाई: क्या निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पृथ्वीराज लेन स्थित माली क्वार्टरों (बाग़बानी विभाग) के किराये की दर २ रु० १० आ० से ६ रु० १० आ० प्रतिमास बढ़ा दी गई है;

(ख) कम वेतन पाने वाले इन कर्मचारियों के क्वार्टरों का किराया क्यों बढ़ाया गया है;

(ग) क्या यह सत्य है कि किराया भूतलक्षी प्रभाव से लिया जा रहा है; तथा

(घ) यदि हां तो किस तारीख से ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) किराये में तो कोई वृद्धि नहीं हुई है। परन्तु पानी की दर ६ आने से १२ आने प्रति मास कर दी गई है और सफ़ाई के लिये भी अब ३ रु० १० आ० महीना लिया जाता है जो पहले नहीं लिया जाता था। इसमें कमी करने के लिये नगर पालिका से बातचीत चल रही है।

(ग) तथा (घ) सफ़ाई कर अप्रैल १९५२ से, १९५२–५३ के सम्बन्ध में नगर पालिका के बिल आने पर, लगाया जा रहा है। इसके भूतलक्षी प्रभाव को कम करने के लिये वसूली छोटी छोटी क़िस्तों में की जा रही है।

ग्राम विस्तार सेवा केन्द्र

६५०. पंडित एस० सी० मिश्र : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सारे भारत में कुल कितने ग्राम विस्तार सेवा केन्द्र चालू किये गये हैं और बिहार में कितने;

(ख) सारे केन्द्रों पर कितना व्यय होने का अनुमान है और केन्द्रीय सरकार अब तक कितनी राशि दे चुकी है; तथा

(ग) ग्राम विस्तार सेवा केन्द्रों के लिये कोई विशेष स्थान चुनने में सरकार की क्या नीति है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों पर सारे भारत में २ अक्तूबर १९५३ से काम शुरू हो गया था। इनमें से चार बिहार में हैं।

(ख) इन खंडों का तीन वर्षीय काल में अनुमानित व्यय १४६२.५ लाख रुपये है। केन्द्रीय सरकार ने ३१ मार्च, १९५४ को खत्म होने वाले छः महीनों में अपने हिस्से का ७५.१४ लाख रुपया दे दिया है।

(ग) स्थानों का चुनाव राज्य सरकारों द्वारा किये गये प्रस्तावों के आधार पर होता है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान "राष्ट्रीय विस्तार सेवा का संगठन तथा सामूहिक विकास कार्यक्रम का विस्तार" नामक पुस्तिका की ओर दिलाया जाता है जिसकी प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

निष्क्रान्त सम्पत्ति का मूल्य-निर्धारण

६५०.-क. डा० एन० बी० खरे : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लाहौर के माडल टाऊन के सामने की भूमि, जिसे अड्डा हवाई जहाज़ कहा जाता है, क्यों श्री जुगल किशोर चढ़ा, (देशनांक संख्या पो० एल० एच०/४/११४४६) के मामले में ८०० रुपये प्रति कनाल की दर से आंकी गई जबकि इसी क्षेत्र में इसी प्रकार की और भूमि को अन्य लोगों के मामले में विविध दावा पदाधिकारियों ने १५०० रुपये से लेकर ४,००० रुपये प्रति कनाल तक की दर से आंका है ?

(ख) क्या विविध दावों के विविध दावा पदाधिकारी होने के कारण यह बात हुई ?

(ग) क्या मूल्य-निर्धारण की कोई एकरूप नीति है ?

(घ) क्या विषम व्यवहार के विरुद्ध अपील किये जाने के लिये कोई कानून बना है, और यदि नहीं तो क्यों ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख)। न्यायपालकों के रूप में काम करने वाले पदाधिकारियों ने इस मामले

में यही निर्णय किया था । उन्होंने जो भी आदेश जारी किये हैं वे सार्वजनिक लेख के रूप में प्रकाशित किये गये हैं और तुलना के लिये उपलब्ध हैं ।

(ग) तथा (घ) । जी हां ।

तेलहन और खली

*६५०-ख. **श्री देवगम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पशुओं के चारे तथा उर्वरक के रूप में खली प्रयुक्त करने में भारत आत्म निर्भर है; और

(ख) कितनी मात्रा में तथा किन देशों को प्रति वर्ष खली का निर्यात किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) बिल्कुल सही ढंग से यह कहना सम्भव नहीं है कि भारत खली के उपभोग में आत्म निर्भर है या नहीं । अनुमान लगाया जाता है कि भारत में प्रति वर्ष कुल २० लाख टन खली का उत्पादन होता है ।

(ख) एक विवरण जिसमें आवश्यक जानकारी दी गई है, दिया जा चुका है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २०]** ।

कोयले के लिये वेगन

६५०-ग. पंडित एस० सी० मिश्र . क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इंटें पकाने के कोयले के लिये कितने वैगन जनवरी १९५२ से अक्तूबर १९५३ तक बिहार राज्य के विभिन्न स्टेशनों में पहुंचाये गये; तथा

(ख) उक्त कालावधि में बिहार राज्य में कितनी वैगनों की मांग रही ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) एक विवरण जिसमें बिहार राज्य के विभिन्न स्टेशनों में पहुंचाये गये कोयले की मात्रायें दी गई हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ख) १९,२९४ वैगन या ४२४,४६५ टन ।

सत्यमेव जयते

बुधवार,
२३ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.12
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

१९५९ १९६०

लोक सभा

बुधवार, २३ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न तथा उत्तर

(देखिये भाग १)

१—३० म० प०

स्थगन प्रस्ताव

कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड

अध्यक्ष महोदय : कल के प्रस्ताव को लेने से पूर्व हमें दो स्थगन-प्रस्ताव निपटाने हैं गोदी-श्रम बोर्ड के विषय में श्रम-मन्त्री ने जानकारी देने को कहा था।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : श्रीमान् स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मुझे एक छोटा सा वक्तव्य देने की अनुमति दी जाए।

कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड कलकत्ता गोदी कर्मचारी (विनियमन तथा विनियोजन) योजना, १९५१ के अधीन बनी एक संविहित संस्था है। बोर्ड में बारह सदस्य हैं और (१) केन्द्रीय सरकार, (२) गोदी कर्मचारी तथा (३) गोदी कर्मचारियों और नौवहन कंपनियों के समान प्रतिनिधि हैं। बोर्ड गोदी कर्मचारियों का सामयिक रूप में रखा जाना समाप्त करने के लिए बनाई गई योजनाओं के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। बोर्ड में गोदी कर्मचारियों के चार प्रतिनिधियों में से दो संयुक्त मजदूर संघ कांग्रेस के और दो भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। ये प्रतिनिधि तीन विभिन्न संघों के हैं, जो मजदूर-संघ सम्बन्धी स्पर्धा के कारण बहुधा एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाती रही हैं। अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह में गोदी मजदूर संघ के महासचिव ने शिकायत की थी कि गोदी मजदूर राष्ट्रीय संघ के सदस्य बोर्ड के पदाधिकारियों को धमकी दे रहे हैं और बोर्ड का काम बिगाड़ने से उनको रोका जाए। औद्योगिक सम्पर्क व्यवस्था द्वारा की गई जांच से ये आरोप सत्य सिद्ध नहीं हुए। परन्तु यह स्पष्ट हो गया कि कलकत्ता बंदरगाह के गोदी मजदूरों के नियन्त्रण के सम्बन्ध में दोनों दलों के बीच भारी मतभेद चल रहा है।

श्रीमान्, खेद है कि हमें अभी पूरे विवरण नहीं मिले हैं। पता चला है कि शनिवार १९ दिसम्बर, १९५३ को सम्भवतः गोदी मजदूर के राष्ट्रीय संघ के एक कर्मचारी पर, जब वह डुग्गी पीट कर रविवार को होने वाली अपने संघ की बैठक की सूचना दे रहा था कुछ प्रतिद्वन्द्वी दल वालों ने हमला किया। फलस्वरूप किद्दरपुर ट्राम डिपो के सामने गोदी-श्रम बोर्ड के दफ्तर के बाहर दोनों दलों के बीच एक झगड़ा हो गया। एक छोटी सी पुलिस टुकड़ी ने झगड़ा रोकने की कोशिश की,

[श्री वी० वी० गिरि]

पर उस पर हजारों मजदूरों ने हमला किया और उसे बन्दरगाह के दक्षिण भाग वाले थाने में वापस लौट जाना पड़ा। बाद में पुलिस और तैयार होकर आई। तब तक भीड़ ने दंगे का रूप धारण कर लिया था। पुलिस ने आठ बार गोली चलाई और लाठी चार्ज किया। चार अफसरों समेत लगभग ४० पुलिस वाले झगड़े में घायल हुए। घायल होने वाले मजदूरों की ठीक संख्या विदित नहीं है, पर अन्दाज है कि पुलिस वालों समेत कुल १०० व्यक्ति घायल हुए होंगे। इनमें से लगभग आधे गम्भीर रूप से घायल हुए बताए जाते हैं। लगभग ६–३० बजे अर्थात् आध घंटे बाद परिस्थिति काबू में आई। लगभग ११० व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

शनिवार को होने वाली घटना का गोदी श्रम बोर्ड की कार्यप्रणाली से प्रत्यक्ष कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे यह कहा जा सके कि किसी के द्वारा बोर्ड के काम में बाधा डाली जा रही है। बोर्ड के सभापति ने कहा है कि वह किसी भी ओर से डाली गई किसी बाधा को सहन न करेगा। कलकत्ता बन्दरगाह ट्रस्ट से प्राप्त हुए समाचारों से पता चलता है कि मजदूरों के "कॉल स्टैंड" पर काम लेने के लिए इकट्ठा होने पर झगड़ा शुरू हुआ। जब विभिन्न संघों के मजदूर एक ही क्षेत्र में काम करते हैं तो उन में पारस्परिक सम्पर्क न होने देना सम्भव नहीं है, और यदि वे झगड़ा करना ही चाहें, तो इन झगड़ों को रोकना मुश्किल है। फिर भी सम्भव हुआ तो कोशिश की जाएगी कि एक स्थान पर मजदूरों का इकट्ठा होना कम करने की दृष्टि से एकाधिक "कॉल स्टैंड" बना दिए जाएं।

श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि स्थगन-प्रस्ताव की आधारभूत बात सर्वथा गलत समझी गयी है। जैसा बताया जा चुका है यह शान्ति तथा व्यवस्था का प्रश्न है, जिसका सम्बन्ध मूलत: राज्य सरकार से है।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : मुझे माननीय मन्त्री से यह पूछना है कि क्या यह सच नहीं है कि वह पुलिस बन्दरगाह की केन्द्रीय पुलिस थी, साधारण पुलिस नहीं, जिसने मजदूरों पर आक्रमण किया?

श्री वी० वी० गिरि : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह स्पष्टत: बताया जा चुका है कि शान्ति और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है और वह केन्द्र का उत्तर-दायित्व नहीं है।

मिलों को गन्ने का प्रदान

अध्यक्ष महोदय : दूसरे स्थगन-प्रस्ताव में सरकार द्वारा गन्ने के दाम कम कर देने के विरोध में रामकोला, जिला देवरिया यू० पी० के गन्ना उत्पादक सम्मेलन द्वारा मिलों को गन्ना देना बन्द करने की बात उठाई गई है। मैं जान सकता हूं कि गन्ने के दाम किसने कम किए हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवाई) : भारत-सरकार ने दाम बढ़ाए हैं, घटाए नहीं। गत वर्ष दाम रु० १–५–० और रु० १–३–० थे। इस वर्ष रु० १–७–० और रु० १–५–० हैं। मैं नहीं समझता कि वे इसका विरोध करेंग।

अध्यक्ष महोदय : दाम घटाए नहीं गए। मामला साफ है। माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं?

श्री किदवई : क्या मैं माननीय सदस्य को और सूचना दे दूं? गन्ना उत्पादकों का यह सम्मेलन मेरे परामर्श पर बुलाया गया है और

मैं वहां पर उपस्थित होऊंगा। यह बात गलत है कि वे गन्ना देना बन्द करने जा रहे हैं। यह गलत जानकारी पर आधारित है। सम्मेलन देवरिया में होगा और मैं वहां उपस्थित होऊंगा हम वहां इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल–पश्चिम कटक) : शिकायत यह ह कि एक समाचार-पत्र में मैंने पढ़ा था कि गत वर्ष दाम रु० १–१२–० थे, जो अब घटा कर रु० १–७–० और रु० १–५–० किए गए हैं। माननीय मन्त्री मानते हैं कि दाम केन्द्रीय सरकार बढ़ाती-घटाती है। फिर चीनी केन्द्र द्वारा नियन्त्रित है। अतः गन्ने न मिलने से मिल बन्द न होने पाएं और दाम घटाए जाने के बारे में कुछ ठीक निश्चय हो जाए। इसीलिए मैंने स्थगन-प्रस्ताव रखा था।

अध्यक्ष महोदय : पहले तो दाम घटाए जाने का प्रश्न नहीं है और हो भी तो मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री आर० ए न० सिंह (जिला गाजीपुर ––पूर्व व जिला बलिया––दक्षिण पश्चिम): मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सम्मेलन किस के द्वारा किया जा रहा है ?

श्री किदवई : सवाल यह था कि दक्षिण भारत में एक सिसमा सूत्र है, जिससे गन्ना उत्पादकों को मामूली कीमत पाने के अलावा कुछ ज्यादा मिल जाता है। वह चाहते हैं कि वही यहां भी हो। उसी के लिए यह सम्मेलन हो रहा है।

श्री सारंगधर दास : मैं उस समाचार को पढ़ दूं ? शायद वह दूसरा सम्मेलन हो।

अध्यक्ष महोदय : अब यह आवश्यक नहीं। मैं स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम––रक्षित ––अनुसूचित जातियां) : एक औचित्य प्रश्न पर माननीय मन्त्री इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं कि सम्मेलन किस के द्वारा हो रहा है।

श्री किदवई : मैंने उसके बुलाने के लिए परामर्श दिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न रखने की बात नहीं है। मैंने स्थगन-प्रस्ताव को उचित या अनुचित ठहराने के प्रयोजन से कुछ सूचना मांगी थी। मैं उसे स्वीकृति नहीं दे रहा हूं।

राज्य परिषद से प्राप्त संदेश

सचिव : मुझे राज्य परिषद् के सचिव से प्राप्त दो सन्देश प्रतिवेदित करने हैं :

(१) लोक-सभा द्वारा १४ दिसम्बर, १९५३ को पारित करके राज्य परिषद् के पास भेजे गए भारतीय तटकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५३ के सम्बन्ध में राज्य परिषद् को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(२) लोक-सभा द्वारा १५ दिसम्बर, १९५३ को पारित करके राज्य परिषद के पास भेजे गए भारतीय तटकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५३ के सम्बन्ध में राज्य परिषद को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ के अधीन अधिसूचनाएं

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अधीन मैं प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मन्त्रालय द्वारा निकाली गई निम्नांकित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सदन पटल पर रखता हू :––

(१) अधिसूचना संख्या एम० आई० आई०––१५२ (२०२) दिनांक २२ दिसम्बर १९५३।

(२) अधिसूचना संख्या एम० आई० आई० –१५२ (२१३) दिनांक १७ नवम्बर १९५३।

[श्री के० डी० मालवीय]

(३) अधिसूचना संख्या एम० आई० आई०—१५२ (२१३) दिनांक १८ दिसम्बर १९५३। (शुद्धि-पत्र)

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एस—२१८/५३]

औद्योगिक वित्त निगम जांच समिति

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं औद्योगिक वित्त निगम की जांच समिति का १९५३ का प्रतिवेदन सदन-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एस—२१९/५३]

औद्योगिक वित्त निगम की जांच समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशन के संबंध में प्रस्ताव

वित्त उप मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"औद्योगिक वित्त निगम जांच समिति का १९५३ का प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद १०५ के खंड (२) के अधीन लोक-सभा के अधिकार पर प्रकाशित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव पर सदन में मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

औद्योगिक वित्त निगम जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री ए० सी० गुहा : औद्योगिक वित्त निगम जांच समिति के १९५३ के प्रतिवेदन पर औद्योगिक वित्त निगम के संचालक-मंडल के विचारों की एक प्रति मैं सदन-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एस—२२०/५३]**

औद्योगिक वित्त निगम जांच समिति के प्रतिवेदन के संबंध में संकल्प

श्री ए० सी० गुहा : आपकी अनुमति से मैं औद्योगिक वित्त निगम जांच समिति के १९५३ के प्रतिवेदन पर भारत सरकार द्वारा किए गए निर्णयों वाले संकल्प की भी एक प्रति सदन-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एस—२२१/५३]**

विस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुपूरक विधेयक

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : "मैं विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम १९५० के अधीन लंबमान कुछ कार्यवाहियों को चालू रखने का तथा तत्संबंधित अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले एक विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए० पी० जैन : मैं विधेयक को पुर:-स्थापित करता हूं।

निवारक निरोध अधिनियम की कार्य-प्रणाली के संबंध में प्रस्ताव—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सदन डा० काटजू द्वारा २१ दिसम्बर को रखे गए प्रस्ताव पर आगे विचार करेगा।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): श्रीमान्, मैंने कल बोलना शुरू ही किया था तभी सदन स्थगित हो गया था। मैं सदन का अधिक समय न लूंगा और श्री फ्रेंक एन्थोनी

आदि के कृपापूर्ण निर्देशों को न लेकर कुछ रचनात्मक सुझावों को ही लूंगा।

बच्चों की तरह एक शिकायत की गई थी कि विद्यमान स्थिति क्या है, यह हम नहीं जानते क्योंकि गृह मन्त्री ने कुछ नहीं बताया है। मैं इस प्रकार के अनजानेपन की बातों पर विश्वास नहीं करता। दिन-प्रतिदिन होने वाली बातें समाचार-पत्रों में भरी रहती हैं। कलकत्ता में अपनाए गए "घिराव" नामक एक नए तरीके को भीतर ठहरे रहने वाली हड़ताल तो नहीं कहा जा सकता, पर यह लोगों का बाहर आना रोकने के रूप में हड़ताल है। इस हड़ताल का एक फल यही हुआ कि कलकत्ता निगम के सदस्यों को दो बजे रात तक अपने कमरों में रहने के लिए विवश कर दिया गया, और यही बात बहुत से मिलों और कारखानों में भी हुई।

उस दिन जब मैं त्रावनकोर गया तो मुझे वहां पता चला कि विद्यार्थियों ने, अपने यूनियन के सिलसिले में, कालेजों के आगे धरना देने का निश्चय किया है और वे अन्य विद्यार्थियों को अपनी अपनी कक्षाओं में जाने से रोक रहे हैं। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि यह अधिनियम श्रमिकों का दमन करने के लिये प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे मजूरी तथा लाभांश की मांगों को दबाया जा रहा है। परन्तु मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसे किसी भी मामले का पता नहीं चला है जिसमें कोई ऐसी कार्यवाही की गई हो।

मैंने उस मामले का उल्लेख किया था जिसमें इसका प्रयोग किया जाना चाहिये था, परन्तु राज्य सरकार की नर्माई के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। उस मामले में उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया वह मेरे पास मौजूद है। मजूरी या किसी ऐसी ही चीज़ पर कुछ झगड़ा हो गया था। मानभूम जिले के कोयला खान संघ का मंत्री मनेजर की स्त्री के घर गया और उसने—उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार—उससे यह कहा कि वह उसके पति का खन करवाने का विचार कर रहा है। मैं उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ कर सुना रहा हूं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं इस निर्णय की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर भी रख दूंगा। यह निर्णय अगस्त १९५३ में दिया गया था। यह अभी हाल ही की बात है। निर्णय में कहा गया है :—

> "उसने उससे यह कहा कि वैसे तो वह उसके पति का खून करवाने का विचार कर रहा था, परन्तु उसके प्रति सहानुभूति होने के कारण वह ऐसा कदम नहीं उठा सक रहा है। उसने यह भी कहा कि क्योंकि वह अभी युवती ही है, इसलिये उसे उस पर रहम आ रहा है। उसने उससे यह भी कहा कि वह अपने पति को यह चेतावनी दे दे कि यदि वह उसके (कोयला खान संघ के मंत्री के) कहने के मुताबिक नहीं चला तो वह उसका कभी भी और कहीं भी खून करवा देगा।"

मैं अगला पृष्ठ पढ़ कर सदन का समय नष्ट नहीं करूंगा। इस आदमी ने मज़दूरों की एक बैठक बुलाई क्योंकि उसने सोचा कि मज़दूरों को सताया जा रहा है और अब मामला इस अवस्था पर पहुंच गया है कि वे इस अत्याचार को सहन नहीं कर सकते। उसने मजदूरों की बैठक में यह कहा कि वे अगले दिन मैनेजर का काम तमाम कर दें राज्य सरकार को या तो इस बात का पता ही नहीं चला या उसने नर्माई से काम लिया। अगले दिन प्रातः १० बजे जब यह मैनेजर—जो ३५ वर्ष का एक युवक ही था—सड़क पर चल रहा था तो

[डा० काटजू]

पचास मज़दूर उस बेचारे पर टूट पड़े और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिये। यह घटना २८ अप्रैल, १९५२ की है। सत्र न्यायाधीश ने अपना निर्णय २२ अप्रैल १९५३ को दिया। उच्च न्यायालय का निर्णय २६ अगस्त, १९५३ को दिया गया।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : क्या यह तर्क निवारक निरोध अधिनियम का औचित्य प्रकट करता है ?

डा० काटजू : मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि निवारक निरोध अधिनियम ऐसे मामलों के लिए अभिप्रेत है। यदि इस व्यक्ति को—जिसने एक व्यक्ति की हत्या करने के लिये उकसाया—पहले से ही नज़रबन्द कर लिया जाता तो उस व्यक्ति को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। उच्च न्यायालय ने उकसाने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास का दंड दिया है और तीन व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया है।

राज्य सरकारें या केन्द्रीय सरकार यह नहीं चाहती कि हरेक मामले में ही इस अधिनियम का उपयोग किया जाये। जिन मामलों में उसका उपयोग किया गया उनकी संख्या से ही ज्ञात होता है कि इसका उपयोग अत्यधिक नरमाई के साथ किया गया है। मैंने इस अमुक मामले का यहां ज़िक्र केवल इसलिये किया क्योंकि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने यह कहा था कि सभी मज़दूर और उनके कार्यकर्ता निर्दोष होते हैं।

दूसरी चीज़ बिना मुकद्दमा चलाये नजरबन्द करने के विरुद्ध उठाई गई। मैं निरीक्षण के लिये विभिन्न जेलों में जाता रहता हूं। हरेक जेल में कोई ५०० व्यक्ति ऐसे होते हैं जो नजरबन्द होते हैं और जिनका मुकद्दमा होने वाला होता है। निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत मुकद्दमा चलाये जाने की एक खास व्यवस्था है। जैसे ही किसी व्यक्ति को नजरबन्द किया जाता है, राज्य सरकार को उसे नजरबन्दी के कारण बताने पड़ते हैं। उत्तर देने के लिये उसे कानूनी सलाह भी दी जाती है। एक मंत्रणा परिषद् होता है जो उसे बुलाता है। यदि उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी बुलाना आवश्यक हो तो परिषद् उसे भी बुलाता है और सब सम्बन्धित कागजों की जांच करता है। उसके बाद वह निर्णय देता है। मामला दो महीने से भी कम समय तक चलता है। यदि आप अन्य मामलों को देखें तो आपको मालूम होगा कि डकैती, हत्या आदि के अन्य मामलों में अभियक्त को ६ महीने, ८ महीने या १२ महीने तक हिरासत में रहना पड़ता है और फिर कहीं मुकद्दमा चल पाता है। अब आप ही देखिये कि कौन सा तरीका अधिक अच्छा है वह अधिक अच्छा है या वह ?

मंत्रणा पर्षदों ने जितने मामलों में हस्तक्षेप किया उनकी संख्या से ही यह प्रकट होता है कि परिषद् ने कितने उत्तरदायित्व से काम किया है। मान लीजिये कुल मामलों की संख्या ८०० थी। कहा जाता है कि इनमें से लगभग ३०० मामलों में मंत्रणा परिषदों ने हस्तक्षेप किया। तर्क यह दिया जाता है कि उन लोगों के साथ जबरदस्ती की गई थी, इसलिये मंत्रणा पर्षदों को उनके मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ा। परन्तु मेरा कहना यह है कि इस बात पर भी विचार किया जाये कि साधारणतः न्यायालयों में क्या होता है। मान लीजिये कोई व्यक्ति खून करने के अपराध में पकड़ा जाता है। कोई १२ महीने नजरबन्द रहने के बाद वह सत्र न्यायाधीश के समक्ष लाया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है या दंडित किया जाता है। उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश में १०० अपीलों में से औसतन ३३

स्वीकार कर ली जाती हैं। मेरे पास जो आंकड़े हैं उनसे ऐसा पता चलता है । मान लीजिये कोई व्यक्ति १२ महीने तक नजरबन्द रहता है और फिर उसका मामला सत्र न्यायाधीश के सामने लाया जाता है । सत्र न्यायाधीश के निर्णय के बाद उच्च न्यायालय में उस की अपील होती है । तो यह अवस्था साधारण रूप से पकड़े गये व्यक्तियों के मामलों की है । दूसरी ओर, यदि राज्य सरकार के पास कोई जानकारी होती है और उस जानकारी को वह विश्वसनीय समझती है तो वह जन सुरक्षा के हित में निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर के किसी व्यक्ति विशेष को नजरबन्द कर लेती है । फिर उसका मामला मंत्रणा परिषद् के सामने जाता है यदि मंत्रणा परिषद् यह समझता है कि मामला गम्भीर नहीं है तो वह यह कह देता है कि उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाये और यदि उसकी राय में मामला काफ़ी गम्भीर होता है तो वह व्यक्ति जेल भेज दिया जाता है और वह वहां एक वर्ष तक रहता है । अतः बिना मुकद्दमा चलाये नज़रबन्दी के विरुद्ध तथा संविधान में दिये गये मूल अधिकारों के कथित अतिक्रमण की जो बात कही जा रही है वह मेरी समझ में निरर्थक है ।

गत वर्ष संसद् ने ऐसी समस्त सम्भव युक्तियों पर विचार किया था जिनसे दो उद्देश्यों की पूर्ति हो सके—एक तो यह कि भारत की सुरक्षा खतरे में न पड़े और दूसरा यह कि जो व्यक्ति इस कानून के अन्तर्गत नजरबन्द किया जाये उसके मामले पर शीघ्रातिशीघ्र विचार किया जाये । इसके अलावा आप क्या चाहते हैं ? अन्य मामलों में भी तो काफ़ी समय लग जाता है । पहले मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की जाती है । फिर छः या आठ-महीने के बाद मामला सत्र न्यायाधीश के सामने पेश होता है वहां या तो अभियुक्त बरी कर दिया जाता है या उसे दंड दिया जाता है । इसलिये हमें नजरबन्दी की विशेष चिंता नहीं करनी चाहिये, वरन् यह देखना चाहिए कि नजरबन्द व्यक्ति को अपना मामला शीघ्र पेश करने का मौका दिया जाता है या नहीं । वर्तमान विधि में इस बात की समुचित व्यवस्था विद्यमान है ।

मेरे विषय में यह कहा गया है कि मैंने न्यायालय का अवमान किया और उच्चतम न्यायालय तक की अवहेलना की । इसके उत्तर में मुझे बस यह कहना है कि मैंने अपने जीवन का बहुत अधिक भाग न्यायालयों में ही व्यतीत किया है । भारत की न्यायपालिका के प्रति मेरे हृदय में जो सम्मान है वह शायद ही यहां किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में होगा । परन्तु एक दूसरा मूल सिद्धान्त यह भी है कि किसी न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की सदैव आलोचना हो सकती है । कोई भी निर्णय देने वाला व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसके द्वारा दिये गये निर्णय की आलोचना न की जाये । परन्तु यह आलोचना सम्मानपूर्वक ढंग से की जानी चाहिये और फिर मैंने कहा भी क्या था ? उच्चतम् न्यायालय ने कहा है : "हमारा क्षेत्राधिकार अत्यधिक सीमित है । हम तो केवल नजरबन्दी के कारणों को देखते हैं ।" और यदि हम इस निदान पर पहुंचें कि १२ कारणों में से एक कारण भी ऐसा है जो अस्पष्ट है, तो हम शेष ११ कारणों का विचार न करते हुए नज़रबन्द व्यक्ति को उस अस्पष्ट कारण का लाभ देंगे और उसे रिहा कर देंगे । जहां तक मुझे बतलाया गया है, यह एकमत निर्णय नहीं है, वरन् अल्प संख्यक निर्णय है तथा उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा था कि 'हम वास्तव में बहुत आगे जा रहे हैं ।' श्री एन्थनी ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने खुद प्रकट किया था और इसके समर्थन में उन्होंने उनका एक उपबद्ध

पढ़ कर सुनाया । किन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने इससे आगे का हिस्सा क्यों नहीं पढ़ा जिसमें कि मुख्य न्यायाधिपति द्वारा आपत्ति किये जाने का कारण दिया हुआ है। कारण यह नहीं है कि आरोप अस्पष्ट है । बहुत से राज्यों में ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत चतुर मसविदाकार नहीं हैं ।

मुझे अब अधिक कुछ नहीं कहना है । मेरे माननीय सहकारी उपमंत्रीं जी लगभग सभी कुछ जो कहा जा सकता था कह चुके हैं। मुझे अन्त में केवल यह कहना है । जहां तक विधेयक का प्रश्न है, संसद् इससे वचनबद्ध है। जहां तक दूसरी मूलभूत चीज़ का सम्बन्ध है, नामतः, कि बिना मुकद्दमा चलाए नज़रबन्द किया जाए अथवा नहीं, संविधान में यह उपबंधित है। जब संविधान का निर्माण किया गया था उस समय, सबको विदित ही है कि भारत में क्या परिस्थितियां थीं और इसीलिए संविधान निर्माताओं ने व्यक्ति-स्वातन्त्र्य तथा अन्य विभिन्न अधिकारों एवम् चारों स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखते हुए भी जानबूझ कर यह आदिष्ट कर दिया था और वर्ष प्रतिवर्ष संसद् इस अधिनियम को पास करती रही है। सदन को केवल यही देखना है कि यह ठीक प्रकार से कार्यान्वित किया गया है अथवा नहीं और इसे एक और वर्ष के लिए बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं । हमारी यह धारणा है कि यह जरूरी है कि निवारक निरोध अधिनियम कम से कम एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाए। मुझे इतना ही कहना है ।

अध्यक्ष महोदय : पहले मैं संशोधनों को सदन के सम्मुख रक्खूंगा। दो संशोधन हैं।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : श्रीमान् मैं समझता हूं कि विरोधी दल श्री गुरुपादस्वामी के संशोधन पर मतदान चाहेगा।

अध्यक्ष महोदय : तब मैं श्री गुरुपादस्वामी का संशोधन पहले रक्खूंगा । संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

सदन में मत विभाजन हुआ : पक्ष में ९० मत आयें; विपक्ष में २८५ मत आये ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रघुवीर सहाय का संशोधन सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सदन के सम्मुख संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन अगले मद पर विचार करेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव

धान मंत्री तथा वदैशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति तथा उससे सम्बन्धित भारत सरकार की नीति पर विचार किया जाए।"

सदन की यह एक प्रथा सी बन गयी है कि प्रत्येक सत्र के दौरान में वैदेशिक मामलों पर इस सदन में चर्चा की जाती है। मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि हम एक अशान्त काल में रह रहे हैं जबकि कठिन समस्याओं का सामना हमें करना है । इसलिए इन समस्याओं पर सदन द्वारा विचार किया जाना उन लोगों के लिए अत्यधिक सहायक है जिन पर कि उक्त समस्याओं का सामना करने का उत्तरदायित्व है । मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए इस प्रस्ताव की शब्दावलि, पूर्व अवसर पर प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की शब्दावलि के

समान ही है जिसमें विश्व की समस्त समस्याओं का--जो विदेश नीति पर चर्चा करते समय उठें--समावेश है, और इस प्रकार के अनेकानेक प्रश्न हैं। किन्तु मैं इस सदन के सम्मुख यह सुझाव रखने का साहस करता हूं कि जब भी इस प्रकार की चर्चा हो तो हम, मानव जाति को प्रभावित करने वाले प्रत्येक विषय को न लेकर, केवल उन्हीं एक-दो विषयों पर अपना ध्यान केन्द्रित करें जो अत्यधिक आवश्यक हों। इससे हमारी चर्चा और वाद-विवाद कुछ अधिक वास्तविकतापूर्ण हो जाएगा। तथा उन विशिष्ट विषयों पर सदन का, और हमें सुनने वाले बाहरी लोगों का, ध्यान विशेष रूप से जाएगा। इसलिए मेरा विचार है कि मैं दो या तीन बड़े बड़े मामलों तक ही अपना भाषण सीमित रक्खूं।

घटना चक्र ने, अथवा कहिए कि प्रारब्ध या परिस्थितियों के संयोग ने, हमें विश्व मंच पर अभिनेता का भाग अदा करने को मजबूर किया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बड़ा भाग अदा करने की हमारी कोई विशेष इच्छा नहीं थी; किन्तु हम उस उत्तरदायित्व का परिहार नहीं कर सके जिसे निभाने के लिए मजबूर होकर हमें उस दशा को स्वीकार करना पड़ा। और वर्ष प्रति वर्ष हमारे उत्तरदायित्व बढ़े हैं तथा हमें इन समस्याओं का सामना करना है। यह तभी किया जा सकता है जबकि यह संसद् और यह देश उन नीतियों का समर्थन करे जिनका अनुसरण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में, मैं यह भी बतला दूं कि इस देश के बाहर कुछ लोग, किंचित् उत्तेजनापूर्वक, इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि भारत कहां तक एशिया का नेतृत्व ग्रहण कर रहा है और मैं, भारत का प्रवक्ता होने के नाते, कहां तक एशियाई मत का प्रतिनिधित्व करता हूं। न तो इस प्रश्न का अर्थ मेरी समझ में आता है, और न मेरी समझ में यह आता है कि इस विशिष्ट विषय पर बाहर के लोग नाहक क्यों इतना परेशान होते हैं।

हमें एशिया या कहीं और का नेतृत्व नहीं चाहिए। हम इस तरह के नेतृत्व में विश्वास नहीं करते, हम छोटे-बड़े सभी देशों के सहयोग में विश्वास करते हैं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है मैं अपनी सरकार और देश के बारे में कह सकता हूं। मैं यह नहीं कहता कि मैं देश के ३६ करोड़ व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति की ओर से कहता हूं, लेकिन एक बहुत बड़े बहुमत की ओर से अवश्य बोलता हूं। इतना अवश्य है कि चूंकि हम एशिया वाले एक लम्बे अरसे तक गुलामी में रहे हैं, एक सा रहन-सहन रहा है सहस्त्रों वर्षों से सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं, अतः मैं एशिया वालों की भावनाओं को अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक समझ सकता हूं और व्यक्त कर सकता हूं। ऐतिहासिक निकटता और समान अनुभवों के कारण हम एशियावासी एक-दूसरे की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को अधिक अच्छी प्रकार समझ सकते और उनकी व्याख्या कर सकते हैं। इसीलिए, यदि मैं अन्य देशों की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करता हूं तो मैं उन देशों तथा उन व्यक्तियों की अपेक्षा सत्य के अधिक निकट होऊंगा जिनके कि कोई समरूप बन्धन नहीं रहे, एक सा अनुभव नहीं रहा, जिन्होंने एक सी विपत्तियां नहीं झेलीं, एक ही प्रकार के साम्राज्यवाद का सामना नहीं किया। किन्तु कभी-कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है। मैं यह नहीं कहता कि हमारा कोई विशिष्ट दृष्टिकोण अन्य एशियाई देशों का भी दृष्टिकोण है।

इस भूमिका के साथ, मैं अब उन दो या तीन विषयों पर आता हूं जिन पर इस सदन को विचार करना है; और जैसा मैंने ऊपर निवेदन किया, चर्चा को समस्त वैदेशिक मामलों के वृहत् क्षेत्र में न फैला कर उन्हीं दो या तीन महत्वपूर्ण मामलों तक सीमित रक्खा जाए।

कोरिया में जो कुछ हो रहा है वह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह केवल इसी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कारण महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इस का विश्व की शांति और युद्ध पर प्रभाव पड़ सकता है अपितु यह हमारे लिये इसलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा उस से बहुत अधिक सम्बन्ध है । भारत प्रत्यावर्तन आयोग का सदस्य है और एक भारतीय उस आयोग का अध्यक्ष है तथा भारत युद्ध बन्दियों का अभिरक्षक है । अन्य दूसरे देश भी प्रत्यावर्तन आयोग के सदस्य हैं । किन्तु उस आयोग का अध्यक्ष एक भारतीय ही है और हम ही युद्ध बन्दियों के अभिरक्षक है । यह कठिन और बहत बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है । ये गत नब्बे दिन कोरिया युद्ध सम्बन्धी मामलों में बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं ।

यह प्रत्यावर्तन आयोग इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था कि यह युद्ध बन्दियों को इस बात का निश्चय करने में कि वे अपने देश को वापिस जाना चाहते थे या नहीं, सभी प्रकार की सहायता और सुविधायें दे । सदन को भलिभांति स्मरण होगा कि यह जो बात बड़ी साधारण सी प्रतीत होती है इस पर एक वर्ष से अधिक समय तक विचार विमर्श हुआ । अन्त में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक संकल्प स्वीकृत हुआ और उसके बाद गत वर्ष भारत की ओर से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । उस संकल्प तथा अन्य बातो के आधार पर कोरिया में दोनों कमानों के बीच एक समझौता हुआ । उस समझौते की शर्तों में इस प्रत्यावर्तन आयोग की स्थापना करना भी था । पहिले इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठे थे । क्षणिक संधि, विराम संधितथा शान्ति स्थापित होने के बाद युद्ध-बन्दी अपने देशों को लौट जाते थे । इस विषय पर एक वर्ष से अधिक समय तक बातचीत हुई और इसी से यह विदित होता है कि इस गामले म कुछ कठिनाइयां थीं । प्रत्यावर्तन आयोग का उद्देश्य इस मामले को सुलझाना था और इसके लिये एक अवधि निश्चित की गई थी । इस बात के लिये नब्बे दिनों की अवधि निश्चित की गई थी जिसमें युद्ध बन्दी स्पष्टीकरण सुनने के बाद अपना निर्णय कर सकते थे ।

यह निश्चय किया गया था कि इस अवधि के बाद के तीस दिनों में एक राजनैतिक सम्मेलन उन बन्दियों के मामलों पर विचार करेगा जो कि स्वदेश नहीं जायेंगे । अन्य बहुत से मामलों की दृष्टि से भी यह राजनैतिक सम्मेलन उस समझौते का बहुत महत्वपूर्ण भाग था । इस प्रकार इस मामले से सम्बन्धित सभी कार्यों को समाप्त करने के लिये कुल १५० दिन की अवधि है ।

आज नब्बे दिन की यह अवधि पूरी हो गई । किन्तु इस अवधि में जो बहुत सी बातें होनी थीं वे नहीं हो सकीं । स्पष्टीकरण कार्य बीस दिन बाद आरम्भ हुआ । ये बीस दिन अस्थायी मकान बनाने में ही लग गये । स्पष्टीकरण के साथ और भी बहुत सी कठिनाइयां पैदा हुई । यह स्पष्टीकरण कार्य दो-तीन तक हुआ और आरम्भ होने के बाद ही यह कार्य रुक गया । कुछ और भी बातें हुई और सब प्रकार की कठिनाइयां पैदा हुई । अतः इन नब्बे दिनों में से बहुत कम दिनों में स्पष्टीकरण कार्य हुआ । अब वह अवधि समाप्त हो गई ।

इस बात की मांग की गई थी कि चूंकि स्पष्टीकारण कार्य निश्चित समय से बीस दिन बाद आरम्भ हुआ था तथा अन्य कठिनाइयों के कारण यह कार्य रुक गया था इसलिये इस अवधि को बढ़ा देना चाहिये ।

कोरिया सम्बन्धी अन्य मामलों के समान इस के बारे में भी दो विचार थे । एक तो

यह है इस कार्य के लिये एक निश्चित अवधि निर्धारित की गई थी और वह अवधि समाप्त हो गई है और उसे बढ़ाया नहीं जा सकता । दूसरा मत यह है कि हमारा उद्देश्य इस कार्य में सफलता प्राप्त करना था और यदि इस अवधि में वृद्धि कर के हम स कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो इस अवधि के समय म वृद्धि करना उचित है।

मेरा विचार यह है कि यदि स्पष्टीकरण कार्य जारी रहे और इससे सफलता मिले तो इस अवधि को बढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । किन्तु यदि इससे कार्य अवरोध को ही बढ़ाना है तो इस अवधि में वृद्धि करने से कोई लाभ नहीं । युद्ध बन्दियों को अनिश्चित काल तक बन्दी बनाये रख ने में जो आपत्ति है उसे मैं समझ सकता हूं ऐसा करना अनुचित होगा । किन्तु मैं समझता हूं कि यदि उस अवधि में वृद्धि करने से यह समस्या हल हो सकती हो तो उसके बारे में जिद करना ठीक नहीं है ।

एक और कठनाई पैदा हो रही है । तीस दिन की दूसरी अवधि भी आरम्भ हो रही है इस अवधि में राजनैतिक सम्मेलन की बैठक होनी है और उसको इन मामलों पर विचार करना है । किन्तु इसकी अभी तक स्थापना भी नहीं हुई है । मैं समझता हूं कि इस की स्थापना तो अवश्य होगी परन्तु अभी तक इसकी स्थापना नहीं हुई । फिर, युद्ध बन्दियों के भाग्य का निर्णय कौन करेगा ? दोनों कमानों के बीच हुए समझौते का एक महत्वपूर्ण भाग क्रियान्वित नहीं किया गया । यह कार्य कैसे हो ? यह एक कठिन प्रश्न है । इस के सम्बन्ध में बहुत से उत्तर दिये गयें तथा बहुत से निर्वाचन किये गये । इस मामले में लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से तर्क देते हैं । मैं समझौते के इस मामले का निर्वंचन नहीं कर सकता । मैं तो इस समस्या के बड़े हल सदन के सामने रख रहा हूं ।

यदि इस समझौते की शर्तों का पालन करने के सम्बन्ध में दोनों कमानों को कठ-नाई अनुभव होती हो तो आपस में इस मामले पर विचार करके उस समझौते के स्थान पर नया समझौता कर सकते हैं । क्यों कि जिस कार्य को करने का निश्चय किया था वह नहीं किया जा सका । यह समझ लेना गलत है कि अपने आप ही कुछ न कुछ हो जायगा । दोनों पक्षों को इस समस्या पर फिर से विचार करना चाहिये, इस से मैं समझता हूं कि इस समस्या का नया हल निकल सकता है या इस समझौते की शर्तों से भिन्न बातें रखी जा सकती हैं जिससे यह समस्या सुलझाई जा सके । ऐसा करना ठीक होगा ।

राजनतिक सम्मेलन के तीस दिन की अवधि समाप्त हो जाने के बाद, शर्तों के अनुसार अगले तीस दिनों तक भारतीय अभिरक्षा सेना वहां रह सकती है । इसे वहां कुछ अन्य कार्य करने के लिये रहना ही पड़ेगा समझौते के अनुसार १५० दिनों के पश्चात भारतीय अभिरक्षा सेना को वहां नहीं रहना चाहिये । किन्तु यह दूसरी बात है कि यदि दोनों ही दल चाहें तो यह वहां इस के बाद भी रह सकती है । इन दोनों दलों के उस समझौते के बाद भी यह वहां रह सकती है या नहीं रह सकती क्योंकि इस में ऐसा करना हमारी इच्छा पर निर्भर करेगा ।

ऐसे मामलों में हमारा दृष्टिकोण यह रहा है कि समझौते के मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखा जाय । इस मामले में यह युद्ध बन्दियों के प्रश्न को सुलझाना है । बहुत अधिक युद्ध बन्दियों को स्पष्टीकरण सुनने का

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अवसर नहीं दिया गया है । बहुतों ने उस स्पष्टीकरण को सुना भी नहीं है । उनके साथ क्या किया जाये ? यह मामला इतना सरल नहीं जिस पर इस समझौते का निर्वचन करके भी निश्चय किया जा सके क्योंकि समझौते में इस बात का उपबन्ध है कि अन्तिम निर्णय किये जाने से पूर्व कोई कार्य विधि निर्धारित की जायगी । किन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ । यदि १२० वें दिन अर्थात २३ जनवरी को समझौते की शर्तों के अनुसार ये युद्ध बन्दी सैनिक न रह कर साधारण नागरिक बन जायेंगे तो २३ दिसम्बर और २३ जनवरी के बीच क्या होगा ? वहां लग भग २० या २५,००० युद्ध बन्दी हैं । यदि हमारा यह निर्णय हुआ तो हम अपनी अभिरक्षा सेना को वहां से हटा सकते हैं । अन्यथा, क्या हम इन युद्धबन्दियों को कैम्पों में से, जो कि गैर सैनिक तटस्थ क्षेत्र हैं, बाहर निकाल दें या किसी और को सौंप दें ? ऐसे सभी प्रकार के कठिन प्रश्न पैदा होते है यह सन्निहित हितों से पृथक् भी एक साधारण मामला नहीं है ।

इसलिये हमारा विचार था कि इन कठिन प्रश्नों के कारण यह उचित है तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा का कर्त्तव्य है कि वह इन पर विचार करे । संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस झगड़े में एक पक्ष के रूप में है । वहां संयुक्त राष्ट्र कमान तथा उत्तरी कोरिया कमान हैं । इस पर विचार करने का कोई और साधन नहीं है । संयुक्त राष्ट्र महासभा को इस मामले पर विचार करना चाहिये और इसके लिये अपने सुझाव देने चाहियें । यह बात वहां उठाई गई थी किन्तु उस समय इस पर चर्चा करना उचित नहीं समझा गया था । अब महासभा का अधिवेशन समाप्त हो गया है । इसके अधिवेशन को सदस्यों के बहुमत से किसी भी समय बुलाया जा सकता है । इसके अधिवेशन की तारीख ९ फ रवरी निर्धारित की गई है । यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोरिया में ऐसी बातें अपने आप ही न हों और इस मामले पर केवल सेना के कमांडर ही विचार न करें । संयुक्त राष्ट्र महासभा को इस पर विचार करना चाहिये तथा इस समस्या का हल निकालना चाहिये ।

मैं सदन के समक्ष एक और पहलू रखना चाहता हूं । स्पष्टीकरण कार्य की अवधि आज समाप्त हो गई है । यदि इसे बढ़ाया नहीं गया तो यह आज समाप्त हो रही है । किन्तु मैं समझता हूं कि यह उचित है कि यदि अवधि को बढ़ाने से इस कार्य में सफलता मिलने की आशा हो तो इस अवधि को बढ़ा देना चाहिये । मान लीजिये कि अवधि नहीं बढ़ा दी जाती है तथा स्पष्टीकरण का काम आज ही समाप्त हो जाता है । संरक्षा कटक का कर्तव्य तथा ज़िम्मेदारी पूर्णतया एक महीने के लिए यथावत् रहती है तथा वापसी कमीशन की ज़िम्मेदारी भी यथावत् जारी रहती है । अर्थात् इन ९० दिनों की समाप्ति के बाद भी कमीशन का यह कर्तव्य है कि वह बाकी बन्दियों को अपनी इच्छा प्रकट करने की सुविधा दे । बन्दियों को स्पष्टीकरण सुनने की सुविधा अथवा असुविधा—जैसे भी आप इसे कहें—प्राप्त नहीं होगी । किन्तु वह इस समय भी अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं । कमीशन का यह कर्तव्य है कि वह समझाने बुझाने वालों के हस्तक्षेप के बिना इन्हें यह सुविधाएं दे जिससे कि यदि कोई बन्दी वापस घर आना चाहे तो वह कमीशन को यह बता सके तथा इस तरह से उसे वापस घर भेजा जा सके । यह एक सम्भावना है । मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि बहुत से युद्ध बन्दियों को अभी भी कमीशन से मिलने का अवसर नहीं दिया गया है । वह आये नहीं हैं । कुछ

हज़ार लोग आये। उन में से कुछ ने अपने घरों को वापस जाने की इच्छा प्रकट की। बहुत से बन्दियों ने वापस न जाने की इच्छा प्रकट की। परन्तु दो-तिहाई बन्दी अभी ऐसे हैं जिन्हें कि अभी यह अवसर नहीं दिया गया है यह एक ज़िम्मेदारी है कि यदि कमीशन उन्हें पर्याप्त सुविधाएं देगा तो उन्हें भी अपनी इच्छा प्रकट करने का अवसर प्राप्त होगा। यद्यपि समझाने बुझाने वालों की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध न होंगी।

वापसी कमीशन के हाथ में यह मामला है। वापसी कमीशन की रचना एक विशेष ढंग से हुई है तथा भारत इसका तटस्थ अध्यक्ष समझा गया है। जनरल तिम्मैया वहां हमारी ओर से गए हैं। जनरल तिम्मैया वैयक्तिक रूप से इसके अध्यक्ष नहीं हैं। भारत इस कमीशन का अध्यक्ष है तथा इसकी ज़िम्मेदारी केवल जनरल तिम्मैया, जिन्होंने कि बड़ी योग्यता तथा धैर्य से इस दुष्कर कर्म को निभाया है पर ही नहीं अपितु भारत पर आ जाती है। हमें यह ज़िम्मेदारी उठानी है। इसके साथ ही हमने अन्तरकाल में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न नहीं किया। एक न एक अवस्था पर हमें भारत सरकार की हैसियत से अपने विचार निश्चित रूप से प्रकट करने होंगे हम उचित समय तथा उचित स्थान पर ऐसा अवश्य ही करेंगे। परन्तु हमने वहां किसी भी दशा में हस्तक्षेप करना वांछनीय अथवा उचित नहीं समझा। हमें पता चला है कि कमीशन शीघ्र ही ९० दिन की कालावधि के सम्बन्ध में दो कमानों को अपनी रिपोर्ट पेश करने का विचार रखता है जिसमें कि वह उन्हें अपनी कठिनाइयां जिनका कि उन्हें सामना करना पड़ा है बतायेगा तथा इस बात का उल्लेख करेगा कि वह किस तरह से उस ज़िम्मेदारी को नहीं निभा सके हैं जो कि उन पर डाल दी गई थी। इसके अलावा वह उन्हें यह भी कहेंगे कि वह पुराने करारों में परिवर्तन करें अथवा कोई नया समझौता करें अथवा इस बारे में अपनी राय प्रकट करें कि क्या कुछ किया जाना चाहिये। निस्सन्देह यह मामला आसान बन जायगा। यदि दोनों कमान किसी कार्यवाही पर सहमत होंगे। इस तरह से न कमीशन के लिए और न ही हमारे लिए कोई कठिनाई उत्पन्न होगी। कठिनाइयां केवल तभी उत्पन्न होती हैं जबकि दोनों पक्ष किसी कार्यवाही पर सहमत न होते हैं। स्वयं कमीशन में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं यदि कमीशन सर्वसम्मति से कोई राय प्रकट नहीं करेगा। तो फैसला करने की ज़िम्मेदारी अध्यक्ष पर आ पड़ेगी। वर्तमान स्थिति यही कुछ है मुझे आशा है कि इस अवस्था पर भी दोनों कमानों के लिए यह सम्भव हो सकता है कि वह अगली कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी निश्चय पर पहुंचे तथा इस बात का फैसला करें कि क्या यह कालावधि किसी न किसी तरह बढ़ाई जा सकती है जिससे कि हम इस अड़चन से बच निकलें तथा हमें उन सभी कठिन तथा जटिल समस्याओं का सामना न करना पड़ जो एक महीने अथवा कुछ समय के बाद पेश आयेंगी। सम्भवतः संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की बैठक या तो ९ फरवरी को जैसे कि उन्होंने निश्चित किया है होगी या यदि आवश्यकता पड़े इससे पहले ही होगी। निस्सन्देह वहां तथा इससे पहले भी इन सभी मामलों के बारे में भारत सरकार की राय पूर्णतया प्रकट की जायेगी।

३ म० प०

इस समय मुझे आशा है कि कमीशन शायद अगले दो तीन दिनों में ही अपनी रिपोर्ट दोनों कमानों को पेश करेगा। कोरिया प्रश्न के बारे में मुझे इतना ही कुछ कहना है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दूसरा प्रश्न जिसके बारे में कि मुझे कुछ कहना है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने से सम्बन्धित प्रस्थापनाएं अथवा वार्ताएं हैं । स्वभावत: इस प्रश्न में भारत को और न केवल भारत को अपितु समस्त एशिया को--इतना ही नहीं बल्कि एशिया से बाहर के देशों को भी दिलचस्पी उत्पन्न हुई है । किसी भी पड़ौसी देश में चाहे वह पड़ौसी देश कोई भी हो यदि इस तरह की कोई बात हो जाये तो यह हमारी बड़ी दिलचस्पी तथा चिन्ता का कारण हो सकती है । इतना कहने पर मैं निवेदन करूंगा कि मैं कई कारणों से इस मामले को भयोत्पादक दृष्टि से नहीं देखता हूं और न मैं यह चाहता हूं कि सदन इस दृष्टि से इस मामले को देखे । हमारे हाल ही के इतिहास में--वर्तमान सन्तति में--हम बहुत से उत्पातों के अभ्यस्त हो गए हैं तथा हम किसी भी बात से आसानी से घबरा नहीं उठते हैं।

सदन इस मामले पर इस दृष्टि से विचार न करे कि भारत में इस की प्रतिक्रिया क्या हुई है मैं चाहता हूं कि वह एक बृहत्तर दृष्टिकोण से इस पर विचार करे । क्या मैं निवेदन करूं कि मेरे लिए अथवा हम में से किसी के लिए भी यह ठीक ठीक जानना कुछ कठिन है कि क्या हुआ है अथवा क्या हो रहा है ? पाकिस्तान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों में उच्चपदासीन अधिकारियों ने इस विषय पर इतने वक्तव्य दिए हैं कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि इस पर पूरा प्रकाश डाला गया है वास्तव में इन सभी वक्तव्यों से मामले पर प्रकाश न पड़ कर यह और भी रहस्यपूर्ण बन गया है । यह एक दूसरे के बिल्कुल असंगत है । जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं इस मामले में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के वक्तव्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं तथा इसे स्वीकार करता भी हूं । उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अमरीकी अड्डे बनाने की कोई भी बात नहीं है और न ही इन दो देशों में सैनिक गठजोड़ की कोई बातचीत है केवल पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने के बारे में बातचीत--औपचारिक अथवा अनौपचारिक हुई है । आइये हम इतनी ही बात को सही मानते हैं और इससे अधिक किसी भी बात को नहीं ।

मेरे मन में पहला जो विचार उत्पन्न होता है वह यह है । जब मैं किसी पश्चिमी देश द्वारा अथवा किसी अन्य देश द्वारा पूर्व के किसी देश को निर्बाध रूप से सैन्य सहायता देने की बात सोचता हूं तो एशिया का पिछला इतिहास गत तीन सौ अथवा चार सौ वर्षों का इतिहास तथा उपनिवेशिक राज का नक़शा मेरी आंखों के सामने आ जाता है । फिर मैं देखता हूं कि तीन सौ अथवा चार सौ वर्षों की पराधीनता के बाद एशिया के देश किस तरह आज़ाद हो रहे हैं तथा स्वतन्त्र राष्ट्र बन रहे हैं । फिर मैं उन बातों को देखता हूं जिनमें और ही कुछ सोचा जा रहा है। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि स्वतन्त्रता तथा मुक्ति की यह जो धारा बह चली थी उसे वापस मोड़ा जा रहा है । इसके साथ ही मुझे वह समय याद आता है जबकि विदेशी सेनाएं एशिया में आई थीं । वह छोटी संख्या में आईं वह बढ़ती चली गईं । उन्होंने हमारे अपने लोगों को अपने काम में लाया तथा उन्हें इस उद्देश्य के लिए ट्रेनिंग भी दी ।

मुझे वह विचार पसन्द नहीं हो सकता है कि वर्तमान परिस्थितियों में वैसी बात नहीं है क्योंकि पिछली बातें दुहराई नहीं जा सकती हैं; परन्तु समनुरूपता में ज्यादा भेद नहीं । मुझे याद है कि किस तरह हमारे देश में हमारे

अपने आदमियों को अपन विदेशी शासकों की सेवा के लिए सैनिक बना लिया गया; किस तरह उन्हें दूसरे लोगों को पराधीन बनाने के लिए बाहर भेजा गया। मुझे यह पसन्द नहीं। कोई भी बात जो उस पुरानी प्रणाली को पुनः स्थापित करती हो मुझे बिल्कुल नापसन्द है। यह एक बुरी चीज़ है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है--तथा मुझे इसम ज़रा भी संदेह नहीं कि मैं इस मामले में इस सदन के प्रत्येक सदस्य की ओर से बोल रहा हूं--हम अब किसी भी तरह विदेशी सैनिकों को सहन नहीं करेंगे। हम दूसरों से कोई संरक्षण नहीं चाहते हैं। हम साथी चाहते हैं, सहयोगी चाहते हैं और मित्र चाहते हैं। हमने अन्य देशों की मित्रता प्राप्त करने का प्रयत्न भी किया है परन्तु हम यह नहीं चाहते हैं कि कोई राष्ट्र अपनी सेना, नौ सेना अथवा वायु सेना द्वारा हमारी रक्षा करें क्योंकि हमारा यह कटु अनुभव है कि इस तरह का संरक्षण बाद में कुछ और ही चीज़ बन जाती है।

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़--पूर्व व ज़िला बलिया--पश्चिम): यह अपमानजनक भी है।

श्री जवाहरलाल नेहरू: क्योंकि संरक्षण मांगना ही हमें कमज़ोर तथा पराश्रित बनाता है। यदि भारत को जीवित रहना है तो वह आत्म-शक्ति तथा आत्म विश्वास पर ही जीवित रह सकता है न कि दूसरों पर आश्रित रह कर। हमारे अपने स्वतंत्रता संघर्ष ने हमें दो एक बातें सिखाई हैं। हमने दूसरों की सद्भावना की, याचना की, हम दूसरों की सद्भावना की याचना करते ह तथा हम आगे भी ऐसा करेंगे। परन्तु हम किसी दूसरे राष्ट्र से यह प्रार्थना नहीं करेंगे कि वह अपनी सशस्त्र सेनाओं से हमारी रक्षा करे--यदि कभी ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न हो भी जाये। मुकाबला करने के लिए हमारे पास और ही कोई चीज़ है तथा वह मानव भावना है। परन्तु यह एक खतरनाक बात है यदि हम दूसरों पर आश्रित रह कर वह भावना खो बैठेंगे। यदि भारत अपनी आत्मा ही खो बैठेगा तो इस बात का क्या लाभ है कि कौन उसकी रक्षा करता है तथा कौन उससे खिलवाड़ करता है?

यदि अपने देश भारत के प्रति हमारा यह रवैया है तो मैं यह भी चाहता कि हमारे पड़ौसी देशों, एशिया के सभी देशों का रवैया भी ऐसा रहे। मैं अपनी पूर्ण सद्भावना के साथ पाकिस्तान के बारे में भी ऐसा ही कह रहा हूं। पाकिस्तान के साथ हमारे कई झगड़े हुए, विवाद हुए तथा उन में से कुछ चल भी रहे हैं। उन्हें हल करना हमें कुछ कठिन लगा है। फिर भी हमारी यह दृढ़ नीति रही है कि पाकिस्तान के साथ हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहें, वास्तव में यही एक नीति उचित भी है, क्योंकि मैं समझता हूं कि यदि हमारे आपसी सम्बन्ध मित्रतापूर्ण न हों तो दोनों देशों का भविष्य सुख कर नहीं है।

श्री अलगू राय शास्त्री: परन्तु ऐसी परिस्थितियों में यह कैसे हो सकता है?

श्री जवाहरलाल नेहरू: तो मेरी इस प्रतिक्रिया का कारण यह नहीं है कि पाकिस्तान के प्रति हमारी भावनाएं मित्रतापूर्ण नहीं है। अपितु इसका कारण यह है कि हमारे मित्र देश को कुछ हो रहा है जिसका कि मुझे खेद है। इससे पाकिस्तान की सुरक्षा तथा समृद्धि में वृद्धि नहीं होगी अपितु वह उन बातों में कमज़ोर होगा जिनमें कि राष्ट्र की शक्ति निहित होती है। जैसे कि मैंने निवेदन किया है मैं पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य को पूर्णतया स्वीकार करता हूं कि कोई सैनिक गठजोड़ नहीं होगा तथा कोई

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अड्डे नहीं दिये जायेंगे। परन्तु एक बार जबकि किसी देश को निर्बाध रूप से सैन्य सहायता प्राप्त होती है तो इसके कुछ अनिवार्य परिणाम भी होते हैं। फिलहाल इस बात का कोई महत्व नहीं कि कितनी सहायता मिलती है। इससे परिस्थिति के गुण में फर्क आ जाता है। मैं पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की यह बात मानता हूं कि कोई अड्डे नहीं दिये जायेंगे। परन्तु जब सैन्य सहायता आ जाती है तो समस्त देश एक अड्डे में परिवर्तित हो जाता है। सारे देश को उन उद्देश्यों के लिए काम में लाया जा सकता है जो कि अन्य देशों अथवा राष्ट्रों ने निश्चित किये हों। इसलिए यह एक ख़तरनाक क़दम है, हमारे लिए भी तथा पाकिस्तान के लिए; विशेषकर पाकिस्तान के लिए यह ऐसा है। मैं निवेदन करता हूं कि इस कार्यवाही से पाकिस्तान की सुरक्षितता बढ़ जाने के स्थान पर उल्टे शान्ति का कार्य ही भंग होगा।

भारत में हमारी नीति क्या रही है ? मैंने प्रायः यह इस सदन में तरह तरह के शब्दों में स्पष्ट किया है। मैं हमारी अपनी अन्तर्राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में कह रहा हूं। मैंने निवेदन किया है कि हम सब देशों से मित्रता चाहते हैं।

हम यथा शक्ति शान्ति के लिये प्रयत्न करते हैं। हमें अपनी शक्ति का ऐसा अभिमान नहीं है कि हमने यह किया है और वह किया है। हमारा देश स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य प्रकार से शक्ति सम्पन्न होने के लिये प्रयत्नशील है। हमारे पास अन्य देशों के साथ बैर रखने की शक्ति नहीं है। और जब हम कहते हैं कि हम शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं तो मेरा यह आशय नहीं होता कि हम संसार के इतिहास में बहुत अन्तर पैदा कर रहे है, और जब हमने ऐसा कहा तो इसमें अभिमान की कोई बात नहीं थी। परन्तु हमने शान्ति के लिये प्रयत्न अवश्य किया, और हम शान्ति चाहते हैं क्योंकि हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारे लिये और समस्त संसार के दृष्टिकोण से शान्ति परमावश्यक है। इसलिये जहां तक हमारा सामर्थ्य था, हमने युद्ध को रोकने और शान्ति स्थापित करने का भरसक प्रयत्न किया। और इसलिये भी कि यह ठीक नीति भी थी, और विशेषतया हमारे पड़ौसी देशों, और हमारे इर्द गिर्द के मित्र राष्ट्रों के साथ। और बहुत से मामलों में हमने यहां पर अथवा राष्ट्र संघ में उनका साथ दिया है।

वहां पर एशियाई अफ़्रीकी दल खड़ा हो गया, उसमें कोई अनिवार्यता नहीं थी, परन्तु उस दल में बहुत अधिक मित्रतापूर्ण सहयोग था, इसलिये हमने उसका स्वागत किया, हम इस प्रकार के सहयोग का और ढंग से भी स्वागत करते हैं, और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी उसमें सहयोग दिया। इन महत्वपूर्ण उपायों में, हमने देखा कि हमारे पड़ौसी राष्ट्र भी न्यूनाधिक हमारी तरह ही सोचते हैं। इसलिये नहीं कि हम नेता या और वे अनुयायी, अथवा हमारे अतीत इतिहास, घटनाओं और दूसरी बातों में हमारी और उनकी अवस्था एक जैसी ही थी। हो सकता है कि घटनाचक्र उन्हें और कुछ करने के लिये प्रभावित करे। वह अलग बात है। परन्तु उन्होंने उसी ढंग से प्रतिक्रिया की, और यही हमारी आशा है कि ऐसा क्षेत्र सदा बढ़ता रहेगा जहां युद्ध नहीं होगा, चाहे ससार के किसी और भाग में अभाग्यवश युद्ध क्यों न छिड़ जाये।

लोग तीसरे गुट की बातें करते हैं, परन्तु यह सब व्यर्थ है, क्योंकि उसमें कोई शक्ति नहीं

है, क्योंकि यह शून्यता से पैदा हुआ है। परन्तु यह वांछनीय है कि यदि युद्ध छिड़ भी जाता है, तो भी ऐसा प्रदेश वर्तमान होना चाहिये जहां युद्ध न हो तथा शान्ति रहे। वह उन देशों के लिये तो अच्छा रहेगा ही, अपितु संसार के लिये भी यह अच्छा होगा, क्योंकि संकट काल में वह क्षेत्र युद्ध को रोकने के लिये प्रभाव डालेगा। परन्तु यदि भयानक युद्ध प्रारम्भ हो भी जाए, तो युद्ध के पश्चात् शान्ति स्थापित करने के लिये ऐसा क्षेत्र बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

अतः अब मैं सदन से इस बात पर विचार करने की विनती करूंगा कि यदि इन महान् शक्तियों के सम्पर्क से कोई भी देश पृथक् न रहे तो क्या यह बात युद्ध को प्रेरणा देगी अथवा शान्ति को। यदि ऐसी बात हो जाए, तो युद्ध अवश्य होगा। परन्तु यदि कुछ देश इन शक्तियों से पृथक् रहें, चाहे उनकी सैनिक शक्ति तथा वित्तीय बल अधिक न भी हों, तो भी वे युद्ध को रोकने के लिये किसी मात्रा में सहायक अवश्य होंगे। अतः ऐसे लोग जो युद्ध न चाहते हुए शान्ति चाहते हैं, उन्हें अवश्य ही हमारी नीति का स्वागत करना था। चाहे वे इसकी सराहना करें या नहीं, परन्तु हमारे पड़ौसी एशिया के देशों ने इसे समझा है और इसका समर्थन किया है। यदि अमरीका से पाकिस्तान में सैनिक बल आता ह, तो निश्चय है उस शान्ति क्षेत्र में रुकावट उत्पन्न होती है। इससे शान्ति स्थापित नहीं होगी। निश्चय ही इससे शान्ति की सम्भावना कम हो जायगी।

इसके सम्बन्ध में संरक्षण की बात करना, ग़लत दृष्टिकोण से विचार करना है। मैंने जो कुछ कहा तथा भारतीय समाचार पत्रों ने जो कुछ कहा, उसके विरोध में पाकिस्तान के नेता बहुत कुछ कहते हैं। वास्तव में, इस प्रश्न का मैंने ही सबसे पहले वर्णन किया था, सम्भवतः दो महीने हो गये अथवा कम, मैं भूल गया हूं.....

डा० लंका सुन्दरम् : १५ नवम्बर १९५३ को।

श्री जवाहर लाल नेहरू: प्रैस सम्मेलन में जब मुझ से प्रश्न पूछा गया तो मैंने इसका वर्णन किया था। क्योंकि भारतीय प्रैस की अपेक्षा अमरीका के प्रैस में ये बातें अधिक थीं। अमरीका के पत्र इससे भरे हुए थे। उन पत्रों में सैनिक सहायता सम्बन्धी बातें विस्तार में दी गई थीं उनमें पर्याप्त वाद विवाद तथा पाकिस्तान में फौजी अड्डे सम्बन्धी नक्शे इत्यादि भी छपे थे। अमरीकी सहायता कार्यक्रम के अधीन पाकिस्तान में दस लाख व्यक्तियों की सेना खड़ी करने का वाद विवाद भी था। मैंने अमरीकी पत्रों की पाकिस्तान की ओर से कोई आलोचना नहीं सुनी। परन्तु एशियाई देशों की प्रतिक्रिया को देखिये। मुझे पता नहीं कि माननीय सदस्यों ने पश्चिम एशिया दक्षिण या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के पत्रों की इन प्रतिक्रियाओं पर कहां तक विचार किया है। प्रायः प्रत्येक देश में अमरीका से पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता पर गम्भीर विचार किया जा रहा है और उन सब देशों ने मित्र भाव से पाकिस्तान को ऐसा करार न करने का परामर्श दिया क्योंकि इससे भयानक परिणाम निकलेंगे अब पाकिस्तान स्वतन्त्र देश होने के नाते स्वेच्छा से कार्य कर सकता है। न मैं इसकी स्वतन्त्रता पर कोई सीमा लगा सकता हूं और न कोई और। परन्तु जैसे मैं इस मामले में अथवा और किसी मामले में पाकिस्तान की स्वतन्त्रता को सीमित नहीं कर सकता उसी तरह इतने बड़े परिणाम वाले मामले का निर्देश करने या इस मामले के सम्बन्ध में अपनी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

स्वतन्त्रता को भी सीमित नहीं कर सकता। प्रत्येक देश के लिये यह महत्वपूर्ण बात है चाहे वह लंका है या इंडोनेशिया, बर्मा, ईराक, या मिस्र या.....

एक माननीय सदस्य : मलाया।

श्री जवाहर लाल नेहरू : या और देश—मैं केवल उन देशों की बात कर रहा हूं जिनके पत्र मैंने पढ़े हैं दूसरों के सम्बन्ध में मुझे पता नहीं मैंने एशिया के सब पत्र नहीं पढ़े। परन्तु मुझे आश्चर्य हुआ कि इन सब देशों की एक ही प्रतिक्रिया थी। ये सब देश आप को पाकिस्तान का मित्र समझते हैं और पाकिस्तान से बैर का कोई प्रश्न ही नहीं है। परन्तु वे इस बात के भय को अनुभव करते हैं जैसा कि हम एशिया के लिए इसे भयानक समझते हैं कि यूरोप या अमरीका इन देशों की रक्षा के लिये अपनी सेनाओं का प्रयोग करें। इस लिये हमने इस मामले के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। क्योंकि वास्तव में मैं समझता हूं कि इतने महत्वपूर्ण मामले के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को हमें पहले ही इस बात की सूचना देनी चाहिये थी कि वे क्या कर रहे हैं और आया वे हमारे परामर्श को स्वीकार करते हैं या नहीं क्योंकि यह ऐसा मामला है जो पड़ौसी देशों से सम्बन्ध रखता है। परन्तु यदि ऐसा नहीं करते तो हमारे लिये पाकिस्तान सरकार को अपनी प्रतिक्रिया से सूचित न करना भयानक गलती होती। इसलिये पूर्णतः मित्र भाव से और दृढ़ता के साथ हमने इन परिणामों का वर्णन किया है।

अब इस प्रश्न के दूसरे पहलू पर विचार कीजिये। परन्तु अमरीका से पाकिस्तान को सैनिक सहायता मिलती है तो वर्तमान संतुलन और तत्सम्बन्धी सब प्रकार का संतुलन नष्ट भ्रष्ट हो जायगा। हम पाकिस्तान के साथ बहुत से प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं और धीरे धीरे कुछ प्रश्नों पर समझौता हो रहा है। वह समझौता खास परिस्थितियों को देखते हुए हो रहा था। अब वे परिस्थितियां बदल चुकी हैं और संसार की एक महान् शक्ति पाकिस्तान को सैनिक सहायता प्रदान करती है। वह सहायता कितनी मात्रा में है यह महत्व की बात नहीं है परन्तु यह सहायता देने मात्र से सारा अन्तर पड़ जाता है।

श्री अलगू राय शास्त्री : वे ऐसा क्यों कर रहे हैं?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस लिये इन समस्याओं पर विचार करते समय जो प्रसंग था वह बदल गया है और मैं चाहता हूं कि सदन इसे अनुभव करे। काश्मीर समस्या को लीजिये। जब हम पिछले अगस्त मास के अन्त में एकत्रित हुए थे तो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ दो तीन महीने हुए कुछ प्रारम्भिक समझौता हुआ था।

अब हम उन समझौतों पर वर्तमान स्थिति के आधार पर विचार करेंगे—मैं उन समझौतों को मानना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री भी ऐसा ही करना चाहते हैं, चाहे वे इस बात को नहीं समझते कि यदि अमरीका से सैनिक सहायता आती है तो उन किये गये समझौतों का सारा प्रसंग बदल जाएगा। अतः इन परिणामों पर हमें विचार करना है। मुझे कुछ सन्देह नहीं है, और मैं सदन के सन्मुख सच कहता हूं कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री भी हमारी तरह ही हमारी समस्याओं के समझौते के लिये ईमानदारी से प्रयत्न कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनको कठिनाइयां हैं, परन्तु उसके होते हुए भी वे इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं। मैं उस प्रयत्न की सराहना

करता हूं और आशा करता हू कि हमारे संयुक्त प्रयत्नों के कारण हमें कुछ सफलता अवश्य मिलेगी । मैं जो आलोचना कर रहा हूं वह उसके सम्बन्ध में कोई वैयक्तिक आलोचना नहीं है । परन्तु दुर्भाग्य यह है कि संसार में अच्छी भावनाओं के साथ भी कोई व्यक्ति, ऐसी कार्रवाई कर सकता है, जो बुरी हो और जिसके परिणाम बुरे हों । इसलिये मैंने तज्जनित कुछ बातों को प्रकट करने का प्रयत्न किया है ।

इसके विषय में मैं कह सकता हूं कि बर्मा के प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान को अमरीका से मिलने वाली सैनिक सहायता के विषय में सख्ती के साथ अपन विचार प्रकट किये थे । लंका के प्रधान मंत्री ने वैसा ही किया, और उन्होंने मुझ से एक प्रस्ताव किया कि पड़ौसी देशों के प्रधान मंत्रियों को एक स्थान पर मिलना चाहिये, इस विशेष मामले पर विचार करने के लिये नहीं, परन्तु ऐसा प्रस्ताव करने का तात्कालिक कारण यही विशेष मामला था । हमें आपसी सम्बन्ध की समस्याओं पर विचार करने के लिये वर्ष में एक दो बार अवश्य मिलना चाहिये । उन्होंने बर्मा और पाकिस्तान का भी ज़िक्र किया, और निस्सन्देह भारत तो उसमें सम्मिलित है । इण्डोनेशिया भी उसमें सम्मिलित है । मुझे यह चिन्ता नहीं कौन उसमें आता है । मैंने उन्हें कहा कि हम संयुक्त समस्याओं का विचार करने के लिये ऐसी बैठक का स्वागत करेंगे । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हम एक दूसरे की इच्छा पर चलगे । हम अपनी राजनीति और अपनी मन पसन्द नीति को अपनाने में पूर्ण स्वतंत्र हैं । परन्तु मेरा निवेदन यह है कि संयुक्त सम्पर्क के मामले और विषय बहुत अधिक हैं, और यदि हम उन सबसे सम्पर्क रखें, हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में एशिया तथा अफरीका दल के राष्ट्रों ने कुछ हद तक एक सामान्य नीति का पालन किया है । यदि हम ऐसा करते रहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं ।

अब मैं तीसरी बात के सम्बन्ध में संक्षेप में कहूंगा । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उपनिवेशवाद को फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है । मेरा विचार है कि यह प्रयास सफल नहीं हो सकता है क्योंकि आज का संसार इसे प्रोत्साहन देने को तय्यार नहीं है । इसके सम्बन्ध में किसी बड़े सिद्धान्त की घोषणा कर देने से कुछ नहीं होगा । कुछ बातें एसी हैं जो एक दम से नहीं की जा सकती हैं और न मैं ऐसी आशा ही करता हूं परन्तु म यह आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में किसी न किसी नियम के अनुसार कार्य किया जाये अन्यथा मुझे भय है कि इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा ।

उपनिवेशवाद के साथ ही प्रश्न जातीय भेदभाव का भी उत्पन्न होता है । इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के समझौते की कोई गुंजायश नहीं हैं । मैं मानता हूं कि वर्षों से प्रचलित रीतियों को एक दम उखाड़ फकना कठिन है । इसीलिये पहले संविधान तथा कानून के द्वारा जातीय भेदभाव को समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है । इसके पश्चात् सामाजिक क्षेत्र में इसे व्यवहार रूप में समाप्त करन का प्रयत्न किया जायेगा । मेरे सहकर्मी माननीय गृह कार्य मंत्री अस्पृश्यता को अपराध घोषित करने के लिये एक विधेयक सदन के सामन उपस्थित करने वाले हैं । अस्पृश्यता कानून के द्वारा समाप्त करने के पश्चात् भी हो सकता है कुछ रीति रिवाज पुराने चल रहे ह । हम उनका मुक़ाबला करेंगे । परन्तु जातीय भेदभाव या जातीय दमन को इस प्रकार कानूनी मान्यता देना तथा उसे बनाये रखन का प्रयत्न करना ऐसी बात है कि जो कदापि सहन नहीं की जा सकती है । यदि कोई व्यक्ति ऐसा

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

व्यवहार करे तो उसे इस के लिये दण्ड दिया जा सकता है या उसे क्षमा किया जा सकता है। परन्तु यदि सरकारें ऐसा व्यवहार करें तो यह सर्वथा असहनीय हैं। मुझे बड़ा दुःख तथा आश्चर्य होता है कि जब दक्षिण अफ्रीका संघ का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सभा के सामने रक्खा जाता है तो बड़े बड़े राष्ट्र दक्षिण अफ्रीका का समर्थन करते हैं या तटस्थ बन जाते हैं इस समस्या का सम्बन्ध संसार के करोड़ों आदमियों से है। अब समय आ गया है कि कैसे ही क़ानून क्यों न बनाये जायें अफ्रीका में या एशिया में या संसार के किसी भी भाग में इस प्रकार का जातीय भेदभाव सहन नहीं किया जायेगा।

अभी काल ही की बात है कि बरमूडा के किसी महान्यायवादी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी होटल या क्लब या किसी अन्य स्थान में प्रवेश नहीं करने दिया गया। यह बड़े दुख की बात है। कहा जाता है कि यदि उनको प्रवेश करने दिया जाता तो पर्यटन करने वाले जो व्यक्ति उस होटल में ठहरते हैं उनको बड़ी आपत्ति होती। यह तो केवल एक बहानामात्र है, जैसे पर्यटन करने वालों की सुविधा अधिक महत्व रखती है तथा संसार के करोड़ों व्यक्तियों के आत्म-सम्मान का कोई महत्व ही ही नहीं है।

इस तरह की चीज़ें संसार में बड़ी ही खतरनाक हैं। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि यूरोप तथा अमरीका के कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको महसूस नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कि औपनिवेशिक क्षेत्रों की समस्या बहुत जटिल है। पर कितनी ही जटिल समस्या क्यों न हो, उसे हल करने का ही प्रयत्न किया जाता है, न कि उसे और भी जटिल बनाया जाता है। सदन को ज्ञात होगा कि अभी हाल ही में केन्या के फ़ौजी न्यायालय में ऐसे बयान दिये गये थे जिनसे प्रकट होता था कि वहां की दशा बहुत ही चिन्ताजनक है। हो सकता है कि इसमें अधिकारियों का उत्तरदायित्व न हो परन्तु जब किसी देश पर इस प्रकार औपनिवेशिक आधिपत्य का प्रयोग किया जाता है तो यही दशा होती है।

यदि आप अफ़्रीक़ा जायें तो आप देखेंगे कि वास्तविक तथा सबसे अधिक उन्नति गोल्डकोस्ट में हुई है। नाईजीरिया में भी किसी हद तक उन्नति हुई है। परन्तु अन्य भागों में सर्वथा प्रतिकूल नीति का व्यवहार किया जाता है। सदन को यूगेंडा तथा केन्द्रीय अफ़्रीकन फ़िड्रेशन के सम्बन्ध में ज्ञात है। केन्द्रीय अफ़्रीकन फ़िडरेशन का विचार बड़ा सुन्दर है और मैं उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं परन्तु यदि अधिकांश लोगों के इच्छा के विरुद्ध कोई चीज़ ठूंसी जाये तो वही खराब हो जाती है और बहुत दिन तक चलने वाली नहीं होती है। यदि तुलनात्मक दृष्टि से एक छोटा सा जातीय दल एक बहुत बड़े राष्ट्र को विशेष कर जबकि वह अन्य जाति का हो, हमेशा के लिये दबाकर रखना चाहे तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार के व्यवहार में तथा फ़ासिज्म में क्या अन्तर है।

हाल ही में सूडान में चुनाव हुए हैं। हमने अपने एक प्रधान अफ़सर को चुनाव कराने के लिये भेजा था। भाग्यवश चुनाव शान्तिपूर्वक, सफलतापूर्वक तथा शीघ्रता के साथ हो गये। मैं आशा करता हूं कि दो तीन वर्ष में सूडान स्वतन्त्र राष्ट्र हो जायेगा। अफ़्रीक़ा के मध्य में इस प्रकार एक स्वतन्त्र राष्ट्र का स्थापित हो जाना बड़े महत्व की बात है।

महत्व के दृष्टिकोण से नाइजीरिया के बाद अब सूडान का नम्बर आता है। एशिया में उपनिवेशवाद की कुछ भी स्थिति हो उसका

रूप बहुत छोटा है और अन्त में उसकी समाप्ति ही होने वाली है। परन्तु उपनिवेशवाद की वास्तविक समस्या तो अफ़्रीका में है। ब्रिटिश ग्वायना जैसे स्थानों में भी यह समस्या हो सकती है परन्तु वास्तविक समस्या तो अफ़्रीका की है और मुझे भय है कि यदि शीघ्र ही इसका निपटारा नहीं किया गया तो इससे बड़ी अड़चनें उत्पन्न हो जायेंगी। मरक्को, ट्यूनीशिया जैसे स्थानों में गड़बड़ी उत्पन्न हो रही हैं। धीरे धीरे सारे अफ़्रीका में उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक विप्लव खड़ा हो रहा है। जैसे जागृत एशिया इस युग की एक महान् घटना है वैसे ही अफ़्रीका का यह आन्दोलन भी है। मैं आशा करता हूं कि जो बड़े बड़े राष्ट्र इसके लिये ज़िम्मेदार हैं वे इन समस्याओं पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। सदन के सामने मैं इन तीन बातों को रखना चाहता हूं। मैं सदन का आभारी हूं कि उसने मेरी बातों को धैर्यपूर्वक सुना।

उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले सदन के सामने मूल प्रस्ताव रखूंगा उसके पश्चात् संशोधनों को एक एक करके लूंगा।

प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि :

> "वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति तथा उससे सम्बन्धित भारतीय सरकार की नीति पर विचार किया जावे।"

अब मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे अपने अपने संशोधन सदन के सामने रक्खें।

डा० लंका सुन्दरम्, डा० राम सुभग सिंह, श्री सैय्यद अहमद, श्री के० आर० शर्मा, श्री एस० वी० रामस्वामी, श्री एस० एन० सोमना, श्री जेठालाल जोशी ने अपने अपने संशोधन रक्खे परन्तु बाद में सदन की अनुमति से वापस ले लिये।

श्री पी० एन० राजभोज ने अपना संशोधन रक्खा परन्तु बाद में सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

श्री वी० जी० देशपाण्डे ने अपना संशोधन रक्खा।

मौलाना मसूदी (जम्मू तथा काश्मीर): मेरी दरख्वास्त यह है कि मिस्टर देशपांडे का जो अमेण्डमेंट है उसको आप आउट आफ़ आर्डर क़रार दें। क्योंकि इस अमेण्डमेंट में ऐसी बातें दर्ज हैं जो कि हमारे कान्स्टीट्यूशन की बुनियाद के बिल्कुल खिलाफ़ हैं। इस अमेण्डमेंट में खास कर मैं आपकी तवज्जोह उन लफ्ज़ों की तरफ़ दिला रहा हूं जो कि इस के पैराग्राफ़ (जी) के दूसरे सब पैराग्राफ़ में दर्ज हैं और जिनमें यह तजवीज़ किया गया है कि, "कोई मुसलमान, हिन्दोस्तान की नेवी में, हिन्द की आर्मी में और एअर फ़ोर्स में या इस मुल्क की पुलिस में किसी ज़िम्मेदार ओहदे पर न रक्खा जाये।" यह बात कान्स्टीट्यूशन की बुनियाद के खिलाफ़ पड़ती है। इस वास्ते मैं आप से दरख्वास्त करता हूं कि इस तरमीम को आउट आफ़ आर्डर क़रार दिया जाये और इसको पार्लियामेन्ट के एजंडा पर न आने दिया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग यह स्पष्ट रूप से समझ लीजिये जब मैं कहता हूं कि माननीय सदस्य यदि संशोधन रखना चाहते हों तो रक्खें तथा जब मैं घोषित करता हूं कि अमुक संशोधन रक्खा गया तो इसका अर्थ होता है कि उक्त संशोधन पर विचार उसी दशा में किया जायेगा जब वह प्रासंगिक तथा ग्राह्य होगा। इसलिये यदि कोई संशोधन अनियमित होगा तो मैं उसे अनियमित घोषित करूंगा और उसको सदन के मत विभाजन के लिये नहीं उपस्थित किया जायेगा। इसको ध्यान में रखते हुए अब संशोधन रक्खे जायें।

[उपाध्यक्ष महोदय]

श्री रामसुभग सिंह, श्री के० सी० शर्मा ने सशोधन रक्खे परन्तु बाद में सदन की अनुमति से वापस ले लिये।

श्री सारंगधर दास, श्री टी० के० चौधरी श्री वी० जी० देशपांडे तथा श्री एन० श्रीकान्तन नायर ने संशोधन रक्खे परन्तु बाद में सदन के द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये।

श्री यू० सी० पटनायक का संशोधन अनियमित घोषित कर दिया गया।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : म प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त म निम्नलिखित बढ़ा दिया जाव :

"and having considered the same, this House approves of this policy."

("तथा विचार करने के पश्चात् यह सदन इस नीति का समर्थन करता है।")

श्री एच० एन० मुकर्जी : हमारे प्रधानमंत्री विश्व शान्ति तथा संसार के सभी देशों के लोगों के कल्याण की कामना रखते हैं किन्तु वे दृढ़तापूर्वक तथा सिद्धान्ततः उन नीतियों का पालन नहीं करते जिस से मेरे विचारानुसार वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। देश की वैदेशिक नीति का उस की गृह-नीति से स्पष्ट सम्बन्ध होना चाहिये।

आज पाकिस्तान का अमेरिका से जो समझौता हुआ है वह हमारी स्वतन्त्रता तथा विश्व शान्ति को धमकी देता है। यह समझौता तथा कोरिया में शान्ति को अत्यधिक खतरा ये दो बातें ऐसी हैं जिन पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना है। हमारी सरकार ने जो कुछ किया है उस की भरपूर प्रशंसा करने में हम ने कोई कसर नहीं उठा रखी किन्तु सरकार ने उन सब बातों पर पूर्णरूपेण ध्यान नहीं दिया है और इसीलिये हम उन कारणों तथा निहित परिणामों को नहीं समझ सके जिस से अमरीका तथा पाकिस्तान का यह गठबन्धन हुआ। हम ने कोरिया में कुछ निश्चित त्रुटियां की हैं अन्यथा काश्मीर का मामला इतना भयंकर न होता और साम्राजीय शक्तियां आज सभ्यता को इतनी हानि न पहुंचा सकतीं जितनी कि देखने म आ रही है। हम ने अमरीकी शक्ति का ज़ोर-शोर सभी क्षेत्रों में देखा है और उस भय से बचने की घोषणा सदन तथा उस के बाहर भी कर दी है। हम ने अपनी सरकार को संयुक्त राज्य पारस्परिक सुरक्षा अधिनियम से भी होशियार कर दिया है, जो अमरीका की वैदेशिक नीति के विस्तार के लिये है। अमरीकी कांग्रेस रेकार्डों से पता लगा है कि एक अमरीकी सैनिक को शस्त्र सज्जित करने पर प्रति वर्ष ५,५५६ डालर व्यय होते हैं जब कि पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसार एक सैनिक पर दस डालर प्रति वर्ष ही व्यय होंगे और यदि वह सैनिक पाकिस्तानी, भारतीय अथवा एशिया के अन्य किसी देश का होगा तो उस पर इस से भी कम व्यय आयेगा। अतः हमारे प्रधान मंत्री की बात को हृदयंगम करने से पूर्व हम इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना है।

जैसा कि मिस्टर डलेस का कथन है कि पाकिस्तान से बढ़कर पूर्वी देशों में हमारा कोई घनिष्ठ मित्र नहीं है और हम कभी भी आवश्यकता पड़ने पर उन की सहायता ले सकते हैं। यह अमरीकी योजना पाकिस्तान को सहायता देने तथा साम्राज्यशाही को स्थापित करने की आक्रमणकारी योजनाएं हैं। आज, स्पष्टतः अमरीका का उद्देश्य काश्मीर में उस स्थिति को पुनः प्राप्त करना है, जो उस ने कुछ माह पूर्व विफल आकस्मिक राज्य विप्लव के अवसर पर खो दी थी।

आज वे हमें काश्मीर की समस्या पर अमरीकी हल को स्वीकार करने के लिये बाध्य करना चाहते हैं। आज वे सोवियत संघ के सीमा-प्रान्तों तथा लोकतन्त्रीय चीन को युद्ध का आधार बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसे युद्ध चाहने वाले व्यक्ति भी पाकिस्तान आये और चले गए तथा परिणामस्वरूप इस अमरीकी-पाकिस्तान समझौते को जन्म दे गए हैं। इस समझौते से न केवल विश्व शांन्ति को ही खतरा हुआ है वरन् भारत को तात्कालिक खतरा पहुंचा है। इस से भी अधिक हानि जो इस से हुई है वह है भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध को और भी उलझाने का एक तुच्छ षड्यन्त्र, तथा इससे भारत-पाकिस्तान में और भी झगड़े बढ़ सकते हैं, जिस के विषय में हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम उन को स्वयं ही सुलझा सकते हैं यदि हम को अकेला छोड़ दिया जाये। किन्तु ऐसा समझौता भयंकर है जैसा कि प्रधान मंत्री ने भी कहा है। आज पाकिस्तान का सम्पूर्ण भविष्य संसार की जनता के कट्टर शत्रु के हाथों में है, जिसे अमरीकी साम्राज्यवाद कहते हैं। यह १९४६ से रहा है, आज भी है और तब तक रहेगा जब तक कि हम पूर्ण शक्तिशाली बन कर संसार के लोगों की सभ्यता एवं सुख में बाधक इस शक्ति को नष्ट-भ्रष्ट नहीं कर देते। जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है वहां के लोग जैसा भी चाहते हैं अपनी सरकार से करवा लेते हैं जैसा कि चीन तथा काश्मीर के मामलों में हुआ भी। इसीलिये मुझे स्मरण हो आता है कि ये अमरीकी हमारे दोनों देशों को हानि पहुंचाने के लिये प्रयत्नशील हैं। भारत और पाकिस्तान भ्रातृ-देश हैं क्योंकि यहां के हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही मृत्यु के पश्चात् भी भारत की ही भूमि में शरण पाते हैं। आज अमरीकी छलिये हमें आपस में केवल इसलिये लड़वा रहे हैं कि जिस से उन का लाभ हो और उन की शक्ति बढ़े।

४ म० प०

आज यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति यह कहे कि जब इंगलैण्ड तथा टर्की जैसे देश अमरीकी सहायता ले सकते हैं तो पाकिस्तान के लिये इस में लज्जा की कोई बात नहीं। मैं इन चीज़ों को खराब समझता हूं। इन ओछी बातों पर पाकिस्तान के नेताओं को ध्यान नहीं देना चाहिये। मैं अपने प्रधान-मंत्री के इस सुझाव से सहमत हूं कि सभी देशों के प्रधान मंत्रियों का समय समय पर सम्मेलन हुआ करे जिस से वे आपस में अपनी अपनी स्वतन्त्रता को स्थापित करते हुए आर्थिक पुनर्निर्माण की योजनाओं तथा अन्य सभी प्रकार की उन्नति के मार्ग व उपाय ढूंढ़ सकें जिन से इस प्रकार की बर्बादी से देशों की रक्षा की जा सके। इस सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का उपस्थित रहना भी अनिवार्य है।

इन बातों के अतिरिक्त युद्ध-इच्छुक हमारे देश से युद्ध छिड़ जाने की बात कहते हैं, जिस से लोग सम्मिलित रूप में रक्षा के उपाय सोचते हैं। यद्यपि आशा यह की जाती है कि ऐसा अवसर कभी आयेगा नहीं और यदि आ गया तो हम सभी साम्राज्यवाद के विरुद्ध देश की रक्षा में भाग लेंगे। अतः जनतन्त्रीय सरकार होने के नाते जन-कल्याण की भावना तथा हितों की दृष्टि से हमें निश्चय करना है कि राष्ट्रीय रक्षा किस प्रकार करेंगे। यह रक्षा अनिवार्य सैनिक शिक्षा के आधार पर होनी चाहिये बढ़ती हुई स्वेच्छाचारिता के आधार पर नहीं, जो कि भारत सरकार के प्रशासन की एक विशेषता बन गई है। यदि आज वास्तव में हम इन संकटों का अन्त करने में लोगों का साथ चाहते हैं जैसी कि स्थिति देश में है, तो हम सभी अपना पूर्ण सहयोग देने को तत्पर हैं। मैं प्रधान मंत्री को चेतावनी देता हूं कि एक साम्राज्यवाद से रक्षा करने के लिये दूसरे साम्राज्य का सहारा लेना उचित

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

नहीं। मैं ने देखा है कि प्रधान मंत्री प्रतिदिन विदेशी विशेषज्ञों आदि के विषय में बोला करते हैं। मैं जब तक जीवित रहूंगा कम से कम प्रधान मंत्री के ब्रिटिश साम्राज्य को एक प्रकार के आदर्श संघ बताने की बात नहीं भूल सकता जिस में अन्य देशों को भी सम्मिलित होने की सम्मति दी जा सकती है। अतः हमें इस प्रकार के कार्य करने चाहियें कि जिन से लोगों का हित हो और हमारी स्वतन्त्रता की रक्षा हो सके। आज जब कि हमारे उद्योग में, वित्त में, वाणिज्य तथा व्यापार में यहां तक कि सशस्त्र सेनाओं आदि सभी क्षेत्रों में प्रमख स्थान इन विदेशियों का ही है तो हम अपनी सरकार की वास्तविक स्थिति बड़ी सुगमता से जान सकते हैं। और इसीलिये मैं यह चेतावनी देना चाहता था। यह विश्व-शान्ति का युद्ध है अतः हमें इस का सामना दृढ़तापूर्वक करना है और वह तभी हो सकता है जब कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

कोरिया के युद्ध के विषय में मुझे कहना यह है कि यह जनरल थिमय्या का अपराध नहीं कि शान्ति के लिये जो कुछ किया जाना चाहिये था वह न हो सका, वरन् इस का उत्तरदायित्व तो हमारे प्रधान मंत्री पर ही है। यह आरम्भ से ही ज्ञात हो गया था कि अमरीका के लोग शान्ति नहीं चाहते हैं। अमरीका ने कोरिया पर जितने बमों तथा गोलियों की वर्षा की है उतनी द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी तथा जापान पर नहीं की थी। अतः संयुक्त राज्य ने निःशस्त्रीकरण वार्ता की उन्नति में रोड़े अटकाने का प्रयत्न किया है और अब वे युद्ध-करार के बन्दियों को दण्ड देने में बाधा उपस्थित कर रहे हैं। मेरे पास इस के बहुत से लिखित प्रमाण हैं जिन से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि भारतीय संरक्षक सेना तथा तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ये सुविधायें उनको प्राप्त नहीं हो रही हैं। सिंगमैन री तथा च्याँग काई शेक के एजन्ट अमरीकी-विदेश के अन्तर्गत युद्ध कैम्पों के बन्दियों के नियन्त्रण में हैं। श्री बी० एन० चक्रवर्ती के कथनानुसार प्रत्येक पांच सौ बन्दियों के डेरे में ऐसे गिरोहों के सरदारों की संख्या चालीस से पचास तक है।

तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग ने इस प्रकार की गड़बड़ी को बन्द करने के लिए कुछ भी नहीं किया। यद्यपि कई अवसरों पर लोग साक्षात पकड़े भी गये। इस सम्बन्ध में अनेक घटनायें हो चुकी हैं जो इस देश के समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं। जनरल थिमय्या ने एक अवसर पर शक्ति का प्रयोग करने से मना कर दिया। मैं नहीं कह सकता कि ऐसा उन्हों ने निदेश के द्वारा किया अथवा स्वेच्छा से। कुछ समय पूर्व अमरीका ने पचीस हजार से अधिक युद्ध बन्दियों को बिना कुछ कार्यवाही किये ही मुक्त कर दिया था। अमरीकियों का कहना यह था कि जिन को हम ने छोड़ा है उन की खोज कर रहे हैं। ऐसा उन्हों ने जनता द्वारा प्रभाव डालने पर किया था किन्तु जनरल थिमय्या ने कहा कि मैं शक्ति का उपयोग करने का उत्तरदायित्व नहीं लेता।

वास्तव में देखा जाय तो उसी दल के बन्दियों को इन कैम्पों में रखना ही गलती थी। इस का उत्तरदायी कौन था ? इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि उन का कहना यह था कि भारतीय कम्युनिस्टों के एजेन्ट थे। मिस्टर डलेस ने उनको "कथित तटस्थ राष्ट्र" तक कह डाला। भारतीय सभापति के संयुक्त राष्ट्र कमाण्ड तथा सिंग मैन री तथा च्यांग काई शेक के एजेन्टों को अनुमति देने के पश्चात यह हुआ कि वे युद्ध करार के बन्दियों को जानबूझकर

हानि पहुंचाने और कैम्पों में उन के एजेन्टों के द्वारा अपनी सफाई देने के लिए मना करने लगे तब ही स्थिति में अचानक परिवर्तन हो सका और वे हमारी प्रशंसा करने लगे।

यह बड़ी आवश्यक बात है तथा हम ने उस प्रकार व्यवहार नहीं किया जैसा कि हमें करना था। आज भी हमारे हृदयों में युद्ध कराने वालों के प्रति क्रोध भरा हुआ है। कोरिया शान्ति तथा युद्ध का घटनास्थल है जहां हमारा प्रमुख कर्तव्य भावी सभ्यता की रक्षा करना है। प्रधान मंत्री ने राज्य-परिषद में कहा था कि कोरिया के राजनीतिक सम्मेलन का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र में लाया जायेगा। किन्तु अवसर होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। २२ जनवरी को पता नहीं कि क्या स्थिति उत्पन्न हो जाये। इन सभी लोगों को अमरीकनों के निर्णय पर छोड़ना पड़ेगा। जहां तक प्रधान मंत्री का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि वे उत्तरी कमाण्ड द्वारा लगाये गये अर्थ से सहमत हैं। और मैं समझता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा की अध्यक्षा प्रसन्नता पूर्वक हम लोगों का साथ दे रही हैं। अतः मैं चाहूंगा कि इस पर संयुक्त राष्ट्र में शीघ्र ही कार्यवाही की जाये।

मेरी समझ में नहीं आता कि जब पोलैण्ड ने सुझाव दिया था कि संयुक्त राष्ट्र की सभा बुलाई जाय तो हम ने कुछ नहीं कहा। मेरी यह भी समझ में नहीं आता कि यह जानते हुए कि संयुक्त राष्ट्र का बहुमत अमरीका के इशारे पर नाचता है फिर भी हम ने एक दक्षिण अमरीकी राष्ट्र के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया कि इस का निर्णय संयक्त-राष्ट्र के बहुमत के निर्णय पर छोड़ दिया जाये। जिस शान्ति के लिये हमारे देश ने इतना सब किया है वह शान्ति आज खतरे में है तथा उस के साथ ही सभ्यता का भविष्य भी अन्धकार में है। एक बात मैं इस सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं जिस की ओर प्रधान मंत्री ने संकेत करते हुए कहा है कि उपनिवेशवाद को पुनः जीवित किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि उपनिवेशवाद के सम्बन्ध में इतना सब कह चुकने के पश्चात भी पंडित नेहरू ऐसी कूटनीतिक भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं जिस से लोग नाराज़ हो जाते हैं।

औपनिवेशिक शक्तियां सत्तारूढ़ रहना चाहती हैं और उन्होंने कभी कभी और भी अधिक प्रतिक्रिया की है। ऐसा कहना मामले को छोटा समझना होगा। ब्रिटिश गायना इसी प्रकार का एक उदाहरण है। प्रधान मंत्री ने कीनिया का उल्लेख भी किया है। कीनिया में किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं इन को मैं समाचार पत्रों द्वारा सिद्ध कर सकता हूं। ऐसा उन सभी स्थानों में हो रहा है जहां कहीं भी उपनिवेशवाद है। ब्रिटिश गायना में वहां के लोगों की वैधानिक सरकार को हटा दिया है, जिस के नेता अभी नई देहली में आये थे। हम ने उस मामले में क्यों भाग नहीं लिया? प्रधान मंत्री का यह कहना कि या तो हम प्रभावपूर्ण कदम उठायेंगे और या कुछ भी नहीं करेंगे। किन्तु हमारे देश का ऐसा रुख नहीं रहा है। गीता में दिया हुआ है कि हमें फल की चिन्ता किये बिना कर्म करना चाहिये। यही आदर्श हमारे सम्मुख है जिस पर हमें चलना है। मेरा मस्तक लज्जा से नत हो जाता है जब मैं देखता हूं कि डा० जगन तथा मिस्टर बर्मन हम लोगों से यह आशा करते हैं कि यह मामला संयुक्त-राष्ट्र के सम्मुख लाया जाये। निश्चय ही यह लोगों का कथन है कि यह तो हमने प्रधान मंत्री की बुद्धिमत्ता पर छोड़ रखा है किन्तु वास्तव में हृदय से चाहते सभी यही हैं कि यह मामला संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख रखा जाना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि प्रधान मंत्री इस

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

सुझाव से सहमत हो जाते हैं कि ब्रिटिश गायना अंगरेज़ों का है अतः हम उस के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाना चाहते । उपनिवेशों के ब्रिटिश मंत्री ने कहा था कि हम ब्रिटिश मित्र राष्ट्रों में कहीं भी कम्यूनिस्ट प्रशासन नहीं देखना चाहते हैं । हमारे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने एक प्रेस संवाददाता से बात करते हुए कहा था कि "त्रावनकोर-कोचीन का संग्राम कांग्रेस तथा कम्यूनिस्टों में सीधा संग्राम है । और यदि कम्यूनिस्ट चुनावों में विजयी भी होते हैं तो भी हम उन्हें वहां राज्य नहीं करने देंगे ।" यह समाचार राजकोट के दैनिक पत्र 'जय हिन्द' में प्रकाशित हुआ था ।

ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में प्रशासन के सम्बन्ध में जिस नीति के अपनाये जाने की घोषणा की गई है आप भी उसी को अपना रहे हैं । श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने अपने भाषण में भी इसी बात की पुष्टि की है । मैं जानना चाहता हूं कि उन्हों ने यह बात किस आधार पर कही थी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अब वह इस को झूठा प्रमाणित करने का प्रयत्न करेंगे यद्यपि यह बात उन्होंने राजकोट में एक प्रेस सम्मेलन में कही थी ।

मैं आप का ध्यान विशेषकर भारत में विदेशी बस्तियों की ओर दिलाना चाहता हूं । आप इन विदेशी बस्तियों में युद्ध सामग्री क्यों जाने देते हैं ? आप फ्रांसवालों को हिन्द-चीन युद्ध में सहायता क्यों दे रहे हैं ? मलाया में लड़ने वाले गुरखों के लिये कलकत्ते से कुकरियां क्यों भेजी जा रही हैं ? यह बातें क्यों हो रही हैं ? आप अंग्रेज़ों का साथ क्यों दे रहे हैं ? स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात सात वर्षों में भी हम लोहे और इस्पात का कारखाना क्यों नहीं खोल सके हैं जब कि उसे १९४८ में ही खोलने का निश्चय कर लिया गया था । वास्तव में, आप की कोई स्वतन्त्र विदेशी नीति नहीं है । आप को एक स्वतन्त्र देश की भांति अपनी नीति का अनुसरण करना चाहिये । प्रधान मंत्री को ब्रिटिश और अमेरिकनों का साथ, आंख मींच कर नहीं देना चाहिये । वह आशा करते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को अमरीकी साम्राज्यवादियों से लड़वा देंगे । परन्तु यह एक खतरनाक खेल है जिस में लाभ होने के स्थान पर लोगों को हानि ही पहुंचेगी । मैं चाहता हूं कि वह एक बार पुनः लोगों में नई भावना जाग्रत करें जिस से वे संसार में रचनात्मक, निश्चित और ठोस काम कर सकें ।

श्रीमती विजय लक्ष्मी (ज़िला लखनऊ—मध्य) : इस से पहले कि मैं किसी और विषय पर बोलूं मैं संसद के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहती हूं जिस न संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के आठवें अधिवेशन की अध्यक्षा चुने जाने पर मुझे शुभ कामनएं भेंट की थीं । आज भी मुझे यह शुभ कामनाएं संसार के अनेक भागों से मिल रही हैं । इन से मुझे न केवल प्रोत्साहन मिला है बल्कि यह भी प्रगट हो गया है कि भारत की शान्ति नीति कितनी लोकप्रिय हो गई है । वास्तव में, मुझे अध्यक्षा-पद पर चुन कर संसार के देशों ने भारत का सम्मान किया है । क्यों कि मैं एक स्त्री हूं इसलिये मेरा चुना जाना स्त्री जाति के लिये भी सम्मान का विषय है । इस प्रकार मेरा चुनाव दो प्रकार से महत्वपूर्ण है ।

अब मैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता के विषय को लेती हूं । जब मैं अमेरिका में थी तो मैं ने इस सम्बन्ध में समाचारपत्रों में काफी खबरें पढ़ी थीं कुछ लोग तो यहां तक कहते थे कि यदि इस प्रकार की सहायता दी गई तो वह भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं की

जायेगी। परन्तु यह कौन देखेगा कि इस सहायता का कैसे और कहां पर प्रयोग किया जा रहा है ? अतः सदन तथा जनता के साथ मैं भी यही सोचती हूं कि यह आशंका निराधार नहीं है ।

परन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि हम इस प्रकार की सहायता के दिये जाने से डर जायेंगे। हमारी तो परम्परा ही यह रही है कि हम निडरता से काम करते हैं। हम ऐसी बातों से घबड़ाने वाले नहीं हैं। मैं मध्य पूर्व के देशों से होती हुई भारत वापस लौटी हूं। वहां पर भी इस विषय के कारण काफी हलचल बढ़ गई है। वास्तव में, बात भी यह है कि यह केवल भारत का ही मामला नहीं है बल्कि दक्षिण एशियाई देशों पर भी इस का प्रभाव पड़ेगा। अतः अन्य देशों का इस के कारण चिन्ता करना स्वाभाविक ही है। परन्तु यह सोचना कि हम भी शस्त्रों से अपना बचाव कर सकते हैं, गलत है। क्यों कि शस्त्रों से संहार किया जा सकता है बचाव नहीं। हमें तो उन्हीं सिद्धान्तों का अनुसरण करना होगा जो हम स्वतन्त्रता प्राप्त होने से पहले करते आये थे।

मैं अपने विरोधी दल के सहयोगियों से यह कहना चाहती हूं कि अब वह समय आ गया है जब हमें आपसी मन मुटाव दूर कर के साथ साथ काम करना चाहिये। अब तो हमें एक भी मिनट नष्ट नहीं करना चाहिये और देश के लिये सारे साधनों को हाथ में ले कर कन्धे से कन्धा मिला कर आगे बढ़ना चाहिये। हमारी परीक्षा का समय आ गया है।

यदि भारत अपनी स्वतन्त्र नीति पर अड़ा रहे, जैसा कि वह अड़ा रहेगा, तो हम देखेंगे कि अनेक देश ऐसे हैं जो हम से लाभ उठा सकेंगे। वास्तविकता तो यह है कि एशिया और अफ़्रीका के देश भारत को अपना नेता समझते हैं। उन का नैतिक समर्थन हमारे साथ है। परन्तु यह नहीं समझ लेना चाहिये कि भारत ऐसे देशों का नेता बनना चाहता है बल्कि कुछ परिस्थितियां ही ऐसी हो गई हैं कि भारत की स्वतन्त्र नीति से सभी देश प्रभावित हुए हैं और वे उस का अनुसरण करना चाहते हैं। अब तो हमें उन का पथप्रदर्शन करना ही होगा।

मुझ से पहले बोलने वाले सदस्य ने मझ पर यह आरोप लगाया था कि मैं ने अपने भाषण में राष्ट्रपति आइसनहावर को सब से महान व्यक्ति या महान व्यक्तियों में से एक कहा है। यह बात बिल्कुल ग़लत है। मैं ने तो उन्हें केवल अपने समय के सब से महान् सैनिकों में से एक बतलाया था। पर यह तो एक अलग बात है।

दूसरी बात उन्हों ने अमरीकी साम्राज्य-वाद के विषय में उठाई थी। परन्तु मैं उन से सहमत नहीं हूं। मेरे विचार में अमरीका से उतना ही खतरा हो सकता है जितना कि किसी और देश से। अतः मेरा तो कहना यह है कि हमें हर ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये चाहे वह कहीं भी उत्पन्न क्यों न हो। हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहिये। मैं जानती हूं कि यह काम तलवार की धार पर चलने से कम नहीं है किन्तु हमें साहस से काम लेना चाहिये। हमें हथियारों की होड़ में भाग लेने की बजाय अपने लोगों की भावना, तथा साहस पर विश्वास करना चाहिये।

संक्षेप में, मैं यह भी बतलाना चाहती हूं कि भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने ब्राज़ीली संशोधन क्यों स्वीकार कर लिया था। विस्तार की बातों में जाने की बजाय मैं यह कहना चाहती हूं कि किसी संशोधन या संकल्प के स्वीकार या अस्वीकार किये जाने के पीछे लम्बा इतिहास छिपा होता है। कभी कभी

[श्रीमती विजय लक्ष्मी]

तो आप को किसी संकल्प को केवल इस लिये स्वीकार कर लेना पड़ता है कि उस के स्वीकार न करने से परिस्थिति के और भी बिगड़ जाने की सम्भावना रहती है। जहां तक संघ की महासभा को बुलाने का सम्बन्ध है हम उसे राष्ट्रों के कहने पर बुला सकते हैं। इस बारे में कोई कठिनाई नहीं है। यह सब परिस्थिति पर निर्भर करता है।

अन्त में, मैं कोरिया भेजे गये भारतीय सैनिकों के बारे में कुछ शब्द कह देना चाहती हूं। यदि अमरीकी हमारे सैनिकों की प्रशंसा करते हैं तो हमें इस से कुछ और अर्थ न निकालना चाहिये। वास्तविकता भी यही है कि हमारे सैनिकों ने अपनी कर्त्तव्यपरायणता से भारत के नाम को चार चांद लगा दिये हैं। हमें अपने सैनिकों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिये।

आचार्य कृपलानी (भागलपुर व पूर्निया): श्रीमान्, प्रधान मंत्री ने इस बात का निर्देश किया कि हमारी संसद के प्रत्येक सत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर बहस होती है। अन्य देशों में ऐसा नहीं होता। मैं प्रधान मंत्री को बताना चाहता हूं कि हमारी संसद् में ऐसा क्यों होता है। इस का केवल यही कारण है कि देश की विदेशी नीति के बारे में वह अन्य दलों से परामर्श नहीं करते। विदेशी नीति केवल सरकार की ही नहीं अपितु राष्ट्र की नीति है। और यदि कोई गलत कदम उठाये जायें तो केवल सरकार को ही नहीं परन्तु सारे राष्ट्र को नुकसान होता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जैसा सारे लोकतन्त्रात्मक देशों में होता है, जहां तक विदेशी नीति का सम्बन्ध है इस के बारे में सारा राष्ट्र एकमत होना चाहिये। और यदि सरकार बदल भी जाये, देश की विदेशी नीति एक सी रहनी चाहिये।

प्रधान मंत्री ने हमें बताया कि यदि हम न भी चाहें तो भी हमें विश्व के मामलों में पड़ना पड़ता है और हम अपनी ज़िम्मेवारियों को टाल नहीं सकते। परन्तु मुझे यह डर है कि हम अपनी शक्ति का अनुमान लगाये बिना ही अपने ऊपर कुछ ज़िम्मेवारियां लेते हैं जो हम सन्तोषजनक रूप से पूरी नहीं कर पाते। इसलिये मुझे प्रधान मंत्री के इस कथन पर प्रसन्नता है कि यह बात गलत है कि हम एशियाई अथवा अन्य राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहे हैं।

यद्यपि दो बड़े बड़े गुटों में से किसी का भी पक्ष न लेने की हमारी नीति ठीक है, फिर भी कोरिया जैसे विषय के सम्बन्ध में अपनी कार्यवाही करते समय हम इस नीति से निकलने वाले परिणामों को भूल जाते हैं। भूतपूर्व संसद में मैं ने कहा था कि हमें उन के साथ सहमत नहीं होना चाहिये था जिन्हों ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया। वास्तव में यह युद्ध दो बड़े गुटों के बीच था, जैसा कि बाद में प्रमाणित हुआ। पीछे मैं ने यह भी कहा कि तटस्थ देशों के वापसी कमीशन का सभापतित्व स्वीकार करना हमारे लिये वांछनीय नहीं था। हम जानते थे कि दोनों गुटों हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे। और हालात से यही प्रतीत हुआ है कि उन्हों ने हमारे साथ सहयोग नहीं किया और हमारे अच्छे सैनिक एक अजीब सी स्थिति में फंसे हैं।

प्रधान मंत्री ने अमरीका और पाकिस्तान के बीच नई सन्धि की बात छेड़ी। मैं उन से इस बात पर सहमत हूं कि हमें घबराना नहीं चाहिये। परन्तु मैं देखता हूं कि कांग्रेस दल जो कुछ करता रहा है उस से अत्यन्त घबराहट का प्रमाण मिलता है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति तथा हमारे पड़ोसी ऐशियाई देश भी यह जानते हैं कि इस से ऐशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ जायेगा। यद्यपि हमारे प्रधान मंत्री

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के इस कथन पर विश्वास करते हैं कि कोई सैनिक सन्धि नहीं होनी है परन्तु केवल सैनिक सहायता पर विचार किया जा रहा है, परन्तु उन्हों ने यह ठीक कहा है कि सैनिक सहायता और सैनिक सन्धि अथवा सैनिक अड्डे देने में कोई अन्तर नहीं। सैनिक अड्डे किसी भी समय दिये जा सकते हैं। परन्तु जब आप कहते हैं कि सैनिक सहायता एक राष्ट्र के लिये खतरनाक है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्थिक सहायता कम खतरनाक नहीं।

यदि हमारी अर्थ-व्यवस्था विदेशी सहायता पर निर्भर रहनी ही है तो यह सहायता छोटे देशों से ली जानी चाहिये। मेरे विचार में सैनिक सहायता तथा आर्थिक सहायता में कोई अन्तर नहीं। एक देश यदि आर्थिक सहायता प्राप्त कर के अपना सारा राजस्व सैनिक प्रयोजनों में लगाये तो बात वही बनती है। हम अपनी अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने में विदेशी सहायता पर अधिक निर्भर रहे हैं और हमें चाहिये कि हम यथासम्भव शीघ्र अमरीका तथा इंग्लैंड के फंदे में से बाहर निकलें।

तीसरी बात जो प्रधान मंत्री ने कही वह उपनिवेशवाद के बारे में थी। हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि जो कुछ अफ्रीका में हो रहा है उस से हम क्रुद्ध होते हैं। परन्तु हमारा क्रोध जल्दी ठंडा नहीं होना चाहिये। यदि हम वास्तव में क्रुद्ध हैं तो हमारा राष्ट्रमण्डल से जो मेल है वह हमारे लिये एक अनादर की बात है क्योंकि इस मंडल के सदस्य श्वेत वर्ण की जातियां हैं जो साम्राज्यवादी हैं और जातिभेद की नीति पर अमल करती हैं।

मैं कुछ शब्द काश्मीर के बारे में कहना चाहता हूं क्यों कि काश्मीर में जो कुछ हुआ है उसी के परिणामस्वरूप यह अमरीका-पाकिस्तान सन्धि भी होने लगी है। काश्मीर के बारे में हमारी नीति में आरम्भ से ही भ्रांत धारणा रही है। काश्मीर के राजा ने भारत के साथ मेल करने का फैसला किया और वहां की जनप्रिय सरकार ने भी। राजा तथा प्रजा दोनों ने हम से यह मांग की कि हम उन के देश से लुटेरों को भगाने में उन की सहायता करें। ऐसा करने के पश्चात मेरी राय में हमें यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखना ही नहीं चाहिये था। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की वास्तविकता को समझना चाहिये था। संयुक्त राष्ट्र से यह निर्देश किया गया कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया है। परन्तु इस संघ में राजनैतिक गुट्टबन्दी का ज़ोर है और उस ने जनता की राय लेने आदि के प्रश्न उठाये। जनमत का प्रश्न तो हमारे और काश्मीर की जनता का आपसी प्रश्न था। और किसी देश का इस बात के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। हम ने पाकिस्तान को बीच में डाला, संयुक्त राष्ट्र संघ को बीच में डाला। यदि हम ने जनमत की बात छेड़ी भी, तो हमें चाहिये था कि तत्काल ही जनमत लेते। मेरी राय में काश्मीर का भारत से मेल पूर्ण रूप से हुआ है। यह मेल वैधानिक तथा वास्तविक दृष्टि से पूर्ण है। फिर भी यदि अभी कुछ होना है तो यह मामला काश्मीर की संविधान सभा के समक्ष रखिये और इसे खतम कर लीजिये। साथ ही संयुक्त राष्ट्र को कहिये कि उन्हों ने इस मामले को हल करने में अत्याधिक समय लिया है और जहां तक जनमत का प्रश्न है वह काश्मीर की जनता के अधिकार में है। वह जब चाहे, जैसे चाहे जनमत लेगी। इस में अन्य किसी देश, अथवा भारत का भी कोई काम नहीं।

प्रधान मंत्री ने एक तीसरी शक्ति अथवा तीसरे क्षेत्र की बात की। कई छोटे छोटे देश हैं जो शान्ति चाहते हैं और प्रायः हमारे साथ मत देते हैं। यही समय है कि हम उन

[आचार्य कृपलानी]

देशों के अधिक निकट जायें अर्थात् उन से मिल कर इस तीसरे क्षेत्र को दृढ़ बनाने का प्रयत्न करें। केवल यही एक उपाय है जिस से विश्व शान्ति स्थापित रखने की कुछ आशा है। जब केवल दो ही क्षेत्र हों, दो ही शक्तियां हों, जो एक दूसरे से लड़ें तो शान्ति की कतई आशा नहीं।

मुझे पूरा विश्वास है कि यदि विदेशी नीति के बारे में अन्य दलों पर विश्वास कर के उन से परामर्श किया जाये तो प्रधान मंत्री को मालूम होगा कि सारे दल उन के साथ हैं और उन का समर्थन करते हैं। जहां तक देश को कोई खतरा होने की बात है, हम ने सीखा है कि बिना शस्त्रास्त्र के भी एक राष्ट्र अपना सिर ऊंचा रख सकता है। हम ने गत महायुद्ध में यह कर दिखाया। हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, फिर भी हम ने युद्ध में कोई पक्ष नहीं लिया। अंग्रेज़ी साम्राज्य तथा युद्ध में उन के अन्य साथियों ने हमारा विरोध किया परन्तु निशस्त्र होने पर भी उचित नेतृत्व के बल पर हम अपने पथ पर डटे रहे। ऐसी प्रतिरोध की शक्ति तथा साहस फिर से लाने के लिये जनता की भावना तथा उत्साह को जगाना होगा। यह तभी हो सकता है जब जनता यह अनुभव करे कि सरकार उनकी ही है और उन के सुधार के लिये जो कुछ हो सकता है कर रही है, जब लोगों को यह विश्वास हो जाये कि दारिद्रय, रोग तथा अन्य कष्टों का निवारण करने में सरकार उन के साथ तन मन धन से हर सम्भव प्रयत्न कर रही है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आजकल के संसार में जो हमारी स्वतन्त्रता के लिये ही नहीं अपितु सारे शान्ति प्रेमी राष्ट्रों की स्वतन्त्रता के लिये खतरा उत्पन्न हो रहा है उस का प्रतिरोध करने के लिये जो उचित मनोभावना तथा उत्साह चाहिये वह प्राप्य नहीं होगा।

कल ही मैं ने एक सुझाव दिया था। मैं ने कहा कि ११७ बन्दियों को छोड़ दीजिये और सब दलों से यह वचन लीजिये कि वह इस बात का ध्यान रखें कि जनता कहीं भी हिंसावादी कार्य न करे। इस से यह होगा कि सारे विरोधी दल अपना प्रभाव डालेंगे और यह बात सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी कोई हिंसात्मक बात न हो और, जैसा कि राष्ट्रपिता ने हमें सिखाया है, सारे विवाद अहिंसा की रीति से हल हो जायें। मैं ने यह सुझाव इस लिये दिया था कि विधि-पुस्तक में से वह कानून हटाया जाये जो इस राष्ट्र के लिये एक कलंक है, लोकतंत्र के लिये एक कलंक है। परन्तु इस छोटे से सुझाव को किसी ने माना नहीं। जब हमारे गृह मंत्री इस सदन में बोलते हैं तो वह कभी भी इस बात पर अफ़सोस प्रकट नहीं करते कि उन्हें असाधारण कानूनों का उपयोग करना पड़ता है। परन्तु प्रतीत होता है कि उन्हें इस बात से प्रसन्नता है। श्रीमान्, यदि हमें देश की आध्यात्मिक तथा नैतिक शक्ति को प्रोत्साहित कर के एक साथ जगाना है तो हम इस प्रकार से काम नहीं चला सकते। हम सब इच्छुक हैं कि आप के साथ सहयोग करें परन्तु आप अपने बहुमत के आधार पर ही सब कुछ करना चाहते हैं। यद्यपि विरोधी पक्ष की ओर से कोई उचित सुझाव भी दिया जाये तो उस को परे फेंका जाता है क्योंकि बहुमत सरकार के साथ है। कई बार यह बहुमत दिखाने का बहुमत होता है, वास्तविक नहीं। मुझे विश्वास है कि यदि इस अनुचित कानून पर स्वतन्त्र रूप से मत दिये जायें तो बहुत से कांग्रेसी भी विरोधी पक्ष के साथ मत देंगे।

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

आचार्य कृपलानी : कुछ एक लोग अगर 'नहीं' भी कहें, मुझे निश्चय है कि बहुत से कांग्रेसी जन यह बातें पसन्द नहीं करते।

श्री रघुरामय्या : जब आचार्य कृपलानी भाषण देने के लिये खड़े हुए तो मुझे यह आशा रही कि विशेषकर इस अवसर पर वह न केवल हमारी विदेशी नीति के मूल तत्वों, परन्तु प्रधान मंत्री द्वारा हमारे सामने रखी गई तीन बातों का हार्दिक समर्थन करेंगे। मैं कुछ निराश सा हुआ जब कि उन्हों ने कहा कि कोरिया के विषय में जो ज़िम्मेदारियां हम ने अपने ऊपर ले लीं वह हमें नहीं लेनी चाहिये थी। मेरा सदा यही विचार रहा है कि यदि हमें किसी बात पर गर्व होना चाहिये तो वह यही है कि हम ने वापसी कमीशन तथा युद्धबन्दियों की देखरेख का काम अपने ज़िम्मे लिया। वास्तव में यदि हम ऐसा न करते जब कि कोरिया समस्या का अन्तरिम हल भारतीय संकल्प पर ही आधारित था, तो हम अपने कर्तव्य से पीछे हटते। और यदि हम अपने कर्तव्य से पीछे हटते तो हमारी बहुत आलोचना की जाती और कहा जाता कि हम केवल आदर्शवादी तथा शान्तिवादी हैं और स्वप्नों के संसार में रहते हैं परन्तु कर कुछ दिखाते नहीं। जो हम ने ज़िम्मेवारी ले ली उस पर जो कुछ अंग्रेज़ी तथा अमरीकी क्षेत्रों में कहा गया है वह सन्तोषजनक है।

श्रीमान् आप ने हाल ही में अंग्रेज़ी संसद् के तीस सदस्यों द्वारा प्रकाशित किया गया वह वक्तव्य पढ़ा होगा जिस में उन्हों ने यह कहा था कि वर्तमान द्रोहपूर्ण जगत में अकेले भारत की ही केवल शान्ति की आवाज़ है। उन्हों ने यह भी कहा कि ब्रिटेन की आवाज़ भी भारत जैसी निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र आवाज़ होनी चाहिये। अमरीका के रिपब्लिकन सेनेटर, श्री एलेक्ज़ांडर स्मिथ ने भी संवाददाताओं से अपनी एक भेंट में कहा कि दुर्भाग्य से उन्हें श्री नेहरू के बारे में यह भ्रांत धारणा थी कि वह समाजवादियों के पक्ष में हैं, परन्तु श्री नेहरू से बातचीत करने पर और उन की विदेशी नीति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर उन (श्री स्मिथ) को यह ज्ञात हुआ कि उन की धारणा बिल्कुल गलत थी। इस तरह अमरीका के सेनेटर भी यह बात समझने लगे हैं कि भारत किसी के इशारे पर नहीं नाचता, अपितु भारत की विदेशी नीति स्वतन्त्र तथा आदरणीय है।

कदाचित इसी बात को समझते हुए कि भारत किसी के अधीन नहीं रह सकता, पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का विचार किया गया। एशियाई देशों को सैनिक सहायता देना कोई नई बात नहीं है। १९५२ में इंडोनीशिया को ऐसी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पारस्परिक सुरक्षा सन्धि का सुझाव रखा गया था। सहायता स्वीकार की गई, सन्धि भी हुई, परन्तु फिर वहां की जनता समझ गई कि यह एक भारी ऐतिहासिक भूल होगी। जनता की आवाज़ प्रबल निकली और वहां के मंत्रिमण्डल को पदत्याग करना पड़ा। हमें आशा है कि पाकिस्तान की जनता भी इस बात को समझ जायेगी और ऐसी सहायता स्वीकार करने की गलती नहीं करेगी। प्रतीत होता है कि इस समय पाकिस्तान हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। परन्तु हमें अपना कर्तव्य करना चाहिये। सारे एशियाई देशों का इस मामले से सम्बन्ध है। हमें चाहिये कि इस स्थिति में, जब कि एक भयानक तथा अति गम्भीर कदम उठाया जा रहा है, हम एशियाई शक्तियों का एक सम्मेलन बुलायें, जैसा हम ने इंडोनीशिया की स्वतन्त्रता के बारे में किया था। हमें चाहिये कि हम सब एशिया के देश अपनी एक प्रभावपूर्ण आवाज़ उठायें।

इस में कोई सन्देह ही नहीं, न इस बात का कोई विरोध ही किया जा सकता है कि इस प्रस्तावित संधि को देखते हुए हमें अपनी रक्षा सम्बन्धी कार्यवाही में तेज़ी लानी पड़ेगी। मैं नहीं कहता कि हमें घबराहट होनी चाहिये, परन्तु साथ ही हमें वास्तविकता को भूलना

[श्री रघुरामय्या]

नहीं चाहिये। हमें हर सम्भव हालात का मुकाबला करने के लिये तैयार होना चाहिये। हमें अपनी रक्षा शक्ति को मज़बूत बनाना चाहिये और अपनी सीमा पर भी मज़बूती से रहना चाहिये। पाकिस्तान ने जो इस सहायता की मांग की है तो निस्सन्देह ही उस का कुछ गूढ़ उद्देश्य होगा और हमें इस समय तैयार रहना चाहिये।

अन्त में मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि एक देश की विदेशी नीति की तभी प्रशंसा की जाती है जब कि यह नीति समय की कठिनाइयों तथा आलोचना का सफलता से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ती जाये। यद्यपि हम इस गतिशील निष्पक्षता की नीति पर न चलते तो आज हम किसी विदेशी शक्ति की कठपुतली बन गये होते। यदि आज हम ने जगत में आदर तथा मान प्राप्त किया है, यदि आज ऐशिया तथा अफ़्रीका के सारे राष्ट्र भारत पर भविष्य के लिये आशायें बांधे हुए हैं, तो यह सारा केवल भारत की गतिशील, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष विदेशी नीति का परिणाम है। स्वाभाविक ही है कि इस समय भारत का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो स्थान है उस के प्रति कुछ लोगों को द्वेष भावना हो और वह हमारे रास्ते में रुकावटें डाल दें। परन्तु यदि हम अपनी नीति को अन्त में सफल पाना चाहते हैं तो हमें अपने पथ पर डटे रहना चाहिये।

मैं अपने संशोधन पर आग्रह करता हूं जिस द्वारा मैं अपने नेता द्वारा चलाई गई विदेशी नीति का हार्दिक समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि प्रत्येक सदस्य जिस भी पक्ष का वह हो, इस नीति का समर्थन करेगा।

श्री वेंकटारमन् (तंजोर). प्रो० मुकर्जी ने अपने भाषण में यह कहा कि भारत का राष्ट्रमंडल का सदस्य होना उसकी विदेश नीति में बाधक है। परन्तु मेरा अपना ख्याल यह है कि भारत की विदेश नीति पूर्णतः स्वतन्त्र है और इस बात की सत्यता प्रकट करने के लिये मैं कुछ उदाहरण भी दे सकता हूं। संयुक्त राष्ट्र के समक्ष आत्म-निर्णय के प्रश्न पर भारत ने एक संकल्प रखा था। सोवियत यूनियन और अमेरिका ने इसका समर्थन किया जबकि संयुक्त राजतंत्र और राष्ट्रमंडल के अन्य देशों ने हमारे विरुद्ध मत दिया। मानव अधिकार सम्बन्धी प्रसंविदाओं में संघीय अनुच्छेद के शामिल किये जाने के प्रश्न पर भारत, अमेरिका तथा इंगलैण्ड ने एक ओर मत दिया था और रूस ने हमारे विरुद्ध। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत जो रुख अपनाता है उस पर उसकी राष्ट्रमंडल की सदस्यता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

दूसरी बात मैं उपनिवेशवाद के विषय में कहना चाहता हूं। औपनिवेशिक शासन के सम्बन्ध में हमारी जो नीति है उसकी इस देश में या इस सदन में तो कोई अधिक आलोचना नहीं की जाती, परन्तु विदेशों में इस विषय में भारत की पर्याप्त आलोचना की जाती है। प्राय कहा जाता है कि भारत को दूसरे लोगों की फ़िक्र क्यों है। उत्तर सीधा सादा सा है। इतने दिनों तक औपनिवेशिक शासन के अधीन रहने के कारण हम उन लोगों की भावनाओं को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं जो आज औपनिवेशिक शासन की ऋंखला से जकड़े हुए हैं।

तीसरी बात मैं भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध के विषय में कहूंगा। विदेशों में प्राय यह कहा जाता है कि भारत अन्य एशियाई देशों पर अपना सिक्का जमाना चाहता है। प्रधान मंत्री ने साफ़ साफ़ कह दिया है कि भारत ने कभी भी ऐसा नहीं किया। इस के विपरीत, एशियाई

देशों ने ही यह चाहा कि भारत उनका पथ-प्रदर्शन करे।

अमेरिका और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित सैनिक समझौते के सम्बन्ध में मेरा ख्याल यह है कि अमेरिका पाकिस्तान को सैनिक सहायता इसलिये देना चाहता है ताकि वह एशिया में रूस के विरुद्ध एक दृढ़ रक्षा पंक्ति बना सके। अन्य कई देशों द्वारा अमेरिका का साथ दिये जाने की तो सम्भावना है ही, अब पाकिस्तान ही ऐसा देश है जिसके बिना यह रक्षा पंक्ति पूरी नहीं होगी। इसलिये इस रक्षा पंक्ति को पूरा करने के लिये अमेरिका पाकिस्तान को सहायता देना चाहता है।

अब हम यह देखें कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित संधि पर अन्य देशों के क्या विचार हैं। एशियाई देशों के विचारों की चर्चा करने से पहले हम राष्ट्र-मंडलीय देशों के विचारों का ही निर्देश करें। ८ दिसम्बर के "ओटावा सिटीज़न" में एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें यह लिखा गया है कि "अमेरिका को भारत की मित्रता और पाकिस्तान में हवाई अड्डे—इन दो चीज़ों में से एक चुननी होगी।" इससे प्रकट होता है कि इस प्रस्तावित संधि से राष्ट्रमंडलीय देश प्रसन्न नहीं हैं। इसी प्रकार इंडोनेशिया, ईराक़, बर्मा, मिश्र, अफ़गानिस्तान आदि देशों में जनमत इस प्रस्तावित संधि के विरुद्ध है। यह बात नहीं है कि केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो इस प्रकार के समझौते के ख़िलाफ़ है; वस्तुत सारे एशिया ने और समस्त अरब देशों ने और अफ्रीका ने भी इसके विरुद्ध ही राय ज़ाहिर की है। मुझे आशा है कि इन सब देशों की राय का ख्याल रखते हुए पाकिस्तान व अमेरिका इस प्रश्न पर फिर से विचार करेंगे।

अब मुझे केवल कोरिया की ओर संक्षेप में निर्देश करना है। अमेरिका के निर्वचन के अनुसार, जिसका ब्रिटेन ने भी समर्थन किया है, २२ जनवरी, १९५४ को संयुक्त राष्ट्र कमान को यह अधिकार होगा कि वह युद्ध-बन्दियों को सामान्य नागरिक घोषित कर दे। इसलिये यह आवश्यक है कि इस समस्या का कोई हल २२ जनवरी १९५४ के पहले ही निकाल लिया जाये क्योंकि यदि कमान उस तारीख के पहले कोई हल नहीं निकाल सकेगा तो हो सकता है कि उस क्षेत्र में पुनः युद्ध भड़क उठे। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, उसने यह कह दिया है कि यदि उससे प्रार्थना की गई तो वह उस तारीख के बाद भी युद्ध-बन्दियों का भार सम्भालने के लिये तैयार है।

मैं सरकार की विदेश नीति का हृदय से समर्थन करता हूं।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में मुख्य रूप से तीन विषयों का निर्देश किया है कोरिया, उपनिवेशवाद और प्रस्तावित पाकिस्तान-अमेरिका सैनिक संधि।

कोरिया के सम्बन्ध में मुझे केवल यह कहना है कि वहां से तो हम जितनी जल्दी अपना हाथ हटा लें उतना ही अच्छा होगा।

जहां तक उपनिवेशवाद का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि दक्षिण अफ्रीका, केनिया, ब्रिटिश गायना आदि में जो कुछ हो रहा है उसके सम्बन्ध में हम कोई विशेष कार्यवाही नहीं कर सकते। परन्तु अपने आत्म सम्मान को ध्यान में रखते हुए हम कुछ न कुछ अवश्य कर सकते हैं। हम कम से कम यह कर सकते हैं कि जो औपनिवेशिक शक्तियां ऐसे अत्याचार कर रही हैं उनसे कोई सम्बन्ध न रखें। हमें जल्दी से जल्दी राष्ट्रमंडल से अलग होने का फैसला करना चाहिये। मैं नहीं कह सकता कि हमारे लिये ऐसा फैसला करना सम्भव हो सकेगा या नहीं क्योंकि भारतीय नागरिक भारत के गणराज्य बन जाने के पश्चात् भी ब्रिटिश प्रजाजन समझे जाते हैं।

[डा० एन० बी० खरे]

पाकिस्तान-अमेरिका सैनिक गठबन्धन के बारे में मुझे यह कहना है कि इस समझौते की बातों से न केवल भारत में, वरन् संसार के अन्य देशों में भी तनाव पैदा हो गया है। हमने पाकिस्तान के साथ मैत्रपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिये बार-बार हाथ बढ़ाया, परन्तु हम कामयाब न हो सके। मेरा कहना तो यह है कि हम अपने इस प्रयत्न में कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे क्योंकि पाकिस्तान की स्थापना ही भारत के प्रति घृणा उत्पन्न करके की गई है। यह सब जानते हुए भी हमारा पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम करने का प्रयत्न करना मेरी समझ में निरर्थक है। इस प्रसंग में मुझे पुराण की एक कथा याद आ जाती है : भगवान् शंकर ने भस्मासुर को एक के बाद एक वरदान दिया और उसे इतना बलवान बना दिया कि भस्मासुर ने एक दिन शंकर को ही नष्ट करने की ठान ली। फिर शंकर ने भगवान् विष्णु के पास जाकर शरण ली और फिर उन्होंने शंकर की प्राण-रक्षा की। उसी तरह मैं समझता हूं कि इस कांग्रेस सरकार को सहायता के लिये हिन्दू महासभा के पास जाना पड़ेगा। अन्यथा इस देश का भविष्य खतरे में है। मेरी राय में भारत को काश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ से वापस ले लेना चाहिए और हिन्दू महासभा के कार्यक्रम व नीति का अनुसरण करना चाहिये।

चाणक्य एक महान् राजनीतिज्ञ था। उसका कहना यह था कि यदि आपका पड़ौसी आपका शत्रु है तो आप को चाहिये कि आप अपने पड़ौसी के मित्रों को भी अपना शत्रु ही मानें। इसी प्रकार आपके पड़ोसी के शत्रु आपके भावी मित्र हैं। मैं समझता हूं कि अमेरिका-पाकिस्तान सैनिक संधि में एक गहरी चाल है। अमेरिका रूस के विरुद्ध युद्ध करने के लिये पाकिस्तान में हवाई अड्डे प्राप्त करना चाहता है। मुझे यकीन है कि रूस भारत की मित्रता प्राप्त करना चाहेगा। हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत को सभी राष्ट्रों से मित्रता रखनी चाहिये। मैं यह बात स्वीकार करता हूं। परन्तु फिर भी यदि रूस हमारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता है तो हमें पीछे नही हटना चाहिये। रूस से मित्रता हमारे लिये अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हो सकती है। हमें रूस से डरना नहीं चाहिये। आखिर, हम साम्यवादियों से क्यों भयभीत हों? हिटलर के विरुद्ध लड़ने के लिये अमेरिका और इंगलैण्ड तक ने रूस से मित्रता की थी। मुझे यकीन है कि हम पूर्ण तटस्थता की नीति सदैव कायम नहीं रख सकते। इस परिस्थिति में, हम रूस व चीन को अपना मित्र बना सकते हैं। आखिर, हम सब ही एशियाई देश हैं। रूस तथा चीन की स्वास्थ्य मंत्रिणियों के भारत आगमन से तथा भारत व रूस के बीच एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने से वह चीज़ हासिल हुई है जो पहले कभी नहीं हुई। इन सब बातों से प्रकट होता है कि रूस हमारी मित्रता का इच्छुक है। रूस के साथ हमारी मित्रता का यह अर्थ नहीं है कि हम भी साम्यवादी हो जायेंगे।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि हिन्दू महासभा ही कांग्रेस को इन सब खतरों से बचा सकती है।

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : विरोधी दल ने देश की आर्थिक समस्या को सुलझाने, सुरक्षा सम्बन्धी कानूनों तथा देश की आन्तरिक समस्याओं को सुलझाने के मामले में सरकार की अनेक बार आलोचना की है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता तथा तटस्थता के मामले में सरकार की विदेश नीति से सभी सहमत हैं।

साम्राज्यवाद, पूंजीवाद तथा जातीय भेद-भाव ने संघर्षपूर्ण राजनीति को जन्म दिया है। किन्तु भारत अपने अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के इस

सिद्धान्त पर दृढ़ रहा है कि प्रत्येक देश को आत्म निर्णय का अधिकार है तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्यायें पारस्परिक विचार विमर्श और समझौतों से सुलझाई जा सकती हैं। भारत ने शक्तिशाली राष्ट्र के विरुद्ध कमज़ोर राष्ट्र की सहायता की। भारत अन्य राष्ट्रों से निष्पक्ष रहने के लिये भी कहता रहा है। भारत ने अपनी यह भावना कोरिया शान्ति प्रश्न को सुलझाने के प्रयत्नों से सिद्ध कर दी है। ऐसा उसन संयुक्त राष्ट्र संघ में भी किया है। यूरोप निवासी भारत से प्रेरणा लेते हैं और वे भारत की शान्ति नीति का सम्मान करते हैं। हमने अपनी विदेश नीति के सम्बन्ध में निश्चित सिद्धान्त बना लिये हैं और हमने कोरिया में उन्हें कार्यरूप में परिणत भी किया है। कोरिया में शान्ति स्थापना तथा स्थानीय मामलों में हमारे जनरल थिमैय्या तथा उनके सहयोगियों को अनेक बाधाओं तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किन्तु फिर भी वे अपनी तटस्थ और शान्ति नीति का पालन कर रहे हैं।

भारत और पाकिस्तान दोनों भाई भाई हैं और दोनों देशों में बड़ा गहरा सम्बन्ध है। हाल ही में दोनों देशों के सम्बन्ध अच्छे हो रहे थे किन्तु विदेशी अपनी कुचालों द्वारा पाकिस्तान और भारत के बीच अच्छे सम्बन्ध नहीं बने रहने देना चाहते। हमें आशा है कि पाकिस्तान इस बात को समझ सकेगा। थोड़े समय पूर्व भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। दोनों देशों को यह आशा थी कि उनके पारस्परिक मतभेद दूर हो जायेंगे और काश्मीर का मामला भी सुलझाया जा सकेगा। यदि दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बने रहते तो दोनों प्रधान मंत्री पूर्व की समस्याओं को सुलझाने का भी प्रयत्न करते। किन्तु कुछ दूसरे देशों ने समझा कि ऐसा हो जाना उनके हित में न होगा। पाक-अमरीकी सैनिक सम्बन्ध के बारे में यह तर्क दिया जाता है कि यह पाकिस्तान की सुरक्षा के लिय है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और फारमूसा को सैनिक सहायता दी। उसका कितना भयंकर परिणाम हुआ यह सर्वविदित है। अमेरिका अलास्का में भी रूस के विरुद्ध सैनिक तैयारियां कर रहा है। अब अमेरिका पाकिस्तान को सैनिक सहायता दे रहा है। इससे एक ओर भारत तथा दूसरी ओर रूस को खतरा पैदा हो जायेगा। अमेरिकावासी विश्व में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं और वे किसी अन्य राष्ट्र को बढ़ने नहीं देना चाहते। अमेरिका को डर है कि भारत की नीति के कारण मध्य पूर्व तथा पूर्व में उसकी दुरभि सन्धियां खत्म हो जायेंगी।

माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि हमें पूर्व तथा मध्यपूर्व का नेतृत्व अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये। मैं इस बात को नहीं मानती। शान्ति स्थापना के लिये हमें अरब एशियाई देशों का संगठन करना चाहिये तथा विश्व शान्ति के लिये एक तीसरा गुट्ट बनाना चाहिये।

श्री थानू पिल्ले (तिरुनलवेली) : जब हम विदेशी नीति की चर्चा करते हैं तो राष्ट्र मण्डल सम्बन्धों के बारे में हमारी आलोचना की जाती है। आज माननीय प्रधान मंत्री ने कोरिया में हमारे उत्तरदायित्व तथा पाक-अमरीकी गठबन्धन के बारे में बहुत स्पष्ट भाषण दिया। मुझे आश्चर्य है कि उसके होते हुए भी विरोधी दल के सदस्य अपनी असहमति प्रकट करते हैं।

डा० खरे तथा अन्य सदस्यों ने अपने ही तरीकों से सरकार की आलोचना की। कुछ सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस जनता से निकट सम्पर्क क्यों स्थापित कर रही है और लोगों को इन मामलों के बारे में सचेत कर रही है। वे इस स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि सरकार संकट

[श्री थानू पिल्ले]

काल में किस प्रकार कार्य करेगी । सरकार उचित अवसर पर जनमत को जाग्रत कर सकती है और लोगों को बता सकती है कि उन्हें क्या करना चाहिये और उन्हें अपनी सम्मति सरकार को किस प्रकार से व्यक्त करनी चाहिये । फिर ऐसे मामलों में सरकार की आलोचना क्यों की जाय ? कांग्रेस दल के लोग बहुत कम परेशान हैं । वे साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिये तैयार हैं । हमने तो इस मामले को इसलिये लिया है कि हम दूसरों को यह बता दें कि वे क्या कर रहे हैं ।

युद्ध से पूर्व भारत में आने वाले अमेरिकन स्वाधीनता प्राप्त करने के मामले में भारतीयों की प्रशंसा करते थे और वे भारत तथा अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम की तुलना करते थे । भारतवासी भी अमेरिकावासियों को अपना मित्र समझते थे । अमेरिका रूस के विरुद्ध पाकिस्तान को सैनिक सहायता दे रहा है और पाकिस्तान इसका उपयोग भारत के विरुद्ध कर सकता है । ऐसा करने से पहिले अमेरिका को यह बात समझ लेनी चाहिये थी कि निश्शस्त्र भारत किस प्रकार अपनी रक्षा करने का प्रयत्न कर रहा है । वह हमारे सिद्धांत और दृष्टिकोण को समझ नहीं सकता । हम ये बातें जनता को इसलिये बता रहे हैं कि वह अपना विरोध प्रकट कर सके । ऐसा हम अमेरिका या पाकिस्तान के प्रति घृणा की भावना से नहीं कर रहे । हम उन लोगों को केवल यह बताना चाहते हैं कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं ।

यूरोपवासी एशियावासियों के विरुद्ध जो जातीय भेदभाव की भावना रखते हैं । हमारे प्रधान मंत्री और हम उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते । उसी प्रकार जब एशियावासी भी भारतीयों के विरुद्ध रंगभेद या साम्राज्यवाद की नीति से काम लेते हैं या उनके प्रति दुर्व्यवहार करते हैं तब हमउसे भी बहुत बुरा समझते हैं । पिछले २०० वर्षों में अफ्रीका, फिजी आदि देशों में भारतीय मज़दूरों के रूप में ले जाये गये थे । वे वहां बस गये हैं । उनके साथ वहां अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है । हम इसे सहन नहीं कर सकते ।

हम एशियाई मित्रता तथा एशियाई प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन की बात करते हैं । क्या उसमें हम अमेरिकन सहायता तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ही चर्चा करें और भारतीयों के साथ किये जाने वाले व्यवहार की बात को न उठायें ? हमारे पड़ौसी देश लंका में बसे हुए भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें वहां से निकालने की चेष्टा की जा रही है । लंका के स्वतन्त्र हो जाने के बाद भारतीयों को दिये गये वचनों का पालन नहीं किया जा रहा है । इस मामले में हमारा दृष्टिकोण यह रहा है कि वे वहां बहुत समय से बस गये हैं और वे भारतीय नहीं हैं और अब लंका के निवासी हो गये हैं । यदि उन लोगों को उनके अधिकार नहीं दिये जाते हैं तो हमें इसके विरुद्ध अपनी भावनायें लंका के प्रशासकों को बतानी चाहियें जैसा कि हमने कोरिया और बुचुआनालैण्ड में किया । दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन होने वाला है । मैं चाहता हूं कि उसमें इस मामले के सम्बन्ध में एक मित्रतापूर्ण समझौता हो सके । हमारी सरकार ने इसमें बहुत अधिक सहनशीलता से काम लिया है किन्तु इसमें और अधिक झुकना उचित नहीं ।

लंका में ऐसा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया है जिसके अन्तर्गत ९$\frac{1}{2}$ लाख भारतीयों में से ८$\frac{1}{2}$ लाख लंका के नागरिक होंगे तथा एक लाख भारतीय नागरिक ही बने रहेंगे । ये ८,५०,००० व्यक्ति भारत इस कारण नहीं आये क्योंकि ये अब भारतीय नहीं हैं । हमने पारपत्र प्रणाली जारी

कर दी है। इसके कारण ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो भारतीय या लंकावासी नहीं है और जिसके पास पारपत्र न हो, भारत नहीं आ सकता। इस प्रकार इन लोगों को वहां बहुत से अधिकार नहीं मिलेंगे। यह हमारे लिये बड़ी अपमान की बात है कि हम इन लोगों के साथ मलान द्वारा दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किये जाने वाले व्यवहार से भी बुरा व्यवहार होने दें।

वहां भारतीयों के साथ किस प्रकार का न्याय किया जा रहा है मैं उसका एक उदाहरण देता हूं। श्री टॉमस लंका में ही पैदा हुए थे। उनके माता-पिता भी वहीं पैदा हुए थे। उनकी शिक्षा वहीं समाप्त हुई और उनका विवाह भी वहीं हुआ और उनका लड़का भी वहीं पैदा हुआ था। इन सब बातों के होते हुए भी भारत तथा पाकिस्तान निवासियों के रजिस्ट्रेशन आयुक्त ने उनके नागरिकता के आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते किन्तु वहां इस प्रकार का न्याय किया जाता है। यदि इन भारतीयों को नागरिकता तथा मतदान के अधिकार नहीं दिये जायेंगे तो वहां एक प्रकार अव्यवस्था सी हो जायेगी। हमारा सम्मान तथा प्रतिष्ठा इसी में है कि हम इस प्रश्न को बहुत सम्मान पूर्वक तय कर लें।

सेठ गोविन्द दास: पंडित जी ने अपना प्रस्ताव उपस्थित करते हुए यह बात कही थी कि हम संसार के नेतृत्व के इच्छुक नहीं हैं और हम संसार की ओर से बोल भी नहीं रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संसार के नेतृत्व के हम इच्छुक नहीं हैं यह बात तो सही है लेकिन यह कहना कि हम संसार की ओर से बोल नहीं रहे हैं मुझे कुछ बहुत युक्ति संगत नहीं जान पड़ा। इसका कारण है मैंने अभी हाल ही में दुनिया के बहुत से देशों को देखा और मैंने महसूस किया कि शान्ति की जो भावनायें हमारे देश में हैं, जिस प्रकार से हम शान्ति को स्थापित रखना चाहते हैं, उसमें सारे संसार के देश भी सम्मिलित हैं। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि अमेरिका और रूस भी युद्ध नहीं चाहते। आश्चर्य की बात यह है कि वे युद्ध न चाहते हुए भी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो आज इस विषय में हम जो कुछ कहते हैं एक प्रकार से संसार की ओर से कह रहे हैं। अभी जो श्रीमती विजय-लक्ष्मी पंडित का भाषण हुआ उसमें भी उन्होंने इस बात को यदि मुक्त कंठ से नहीं तो परोक्ष रूप से स्वीकार किया है।

यह भी हर्ष की बात है कि अब हमारे देश के साम्यवादी दल के लोग भी हमारी इस नीति की सराहना करने लगे हैं। इस संसद् के साम्यवादी दल के नेता श्री गोपालन ने भी इस विषय में कुछ बातें कही हैं, पर उनका समर्थन अभी भी जैसा होना चाहिये वैसा नहीं है। आज यहां पर जो श्री हीरेन मुकर्जी का भाषण हुआ उससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है। श्री हीरेन मुकर्जी ने हमारी वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में 'हाफ हार्टेड' शब्द का उपयोग किया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारी वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है वह तो हाफ हर्टेड नहीं। लेकिन जहां तक साम्यवादी समर्थन का सम्बन्ध है, वह अवश्य हाफ हार्टेड है। यह बात हमें आज और इसके पहले भी अनेक अवसरों पर ज्ञात हुई है।

श्री हीरेन मुकर्जी ने अमेरिकन इम्पीरियलिज्म का कुछ जिक्र किया और उन्होंने यह कहा कि अमेरिकन इम्पीरियलिज्म को हमें अपना फर्स्ट ऐनीमी मानना चाहिये। मैं अमेरिका गया था। अमेरिका की थोड़ी बहुत नीति से भी मैं परिचित हूं। अमेरिका की नीति शान्ति को स्थापित रखने में बहुत दूर तक नहीं बढ़ रही है, इसे स्वीकार करते हुए भी मैं यह बात मानने को तैयार नहीं हूं कि अमेरिका में कोई विशेष प्रकार का इम्पीरियलिज्म है।

[सेठ गोविन्द दास]

अगर अमेरिका की नीति को इम्पीरियलिज्म की नीति माना जाता है तो फिर रूस की नीति को भी उसी विशेषण से पवभूषित करना चाहिये। हमें उन में कोई अन्तर दिखाई नहीं देता। जो नीति हमें अमेरिका की दिखाई दे रही है वही रूस की भी। मैं श्री मुकर्जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की नीति का भारत विरोधी रहते हुए भी अमेरिका और रूस, सबसे मित्रता रखने का इच्छक है।

स्वतन्त्र वैदेशिक नीति के लिये हमें जो कुछ करना चाहिये वह हम नहीं कर रहे हैं इस विषय में श्री हीरेन मुकर्जी ने बहुत सी बातें कहीं और उन्होंने एक सूची उपस्थित की कि भारत न यह नहीं किया, भारत ने वह नहीं किया। मैं उन से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई निष्पक्ष दृष्टि से देखेगा तो उस को मालूम होगा कि स्वतन्त्र वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में हम जो कुछ कर सकते थे वह सब कुछ हमने करने का प्रयत्न किया है। चीन के वह बड़े भारी पक्षपाती हैं और उनका दल बड़ा भारी पक्षपाती है, मैं भी चीन का विरोधी नहीं, मैं भी चीन का पक्षपाती हूं, लेकिन जब वह चीन का दृष्टांत देकर यह कहते हैं कि हमारी योजनाएं कुछ नहीं हैं हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं चीन की योजनायें हम से बड़ी हैं और वह हम से आगे बढ़ रहा है तो मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह निष्पक्ष राय नहीं है। मैं यह दावा करता हूं कि चीन में जो कुछ हो रहा है उससे भारत बहुत आगे बढ़ कर काम कर रहा है।

साम्यवादी दल तथा अन्य दलों के विषय में मुझे एक बात और निवेदन करनी है। भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के होते हुए भी क्या कुछ बातें ऐसी नहीं हैं कि जिन में हम सम्मिलित होकर काम कर सकें? मैंने पहले भी एक बार कहा था और मैं फिर यह दोहराना चाहता हू कि भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के होते हुए भी, भिन्न भिन्न सिद्धान्तों को मानते हुए भी, अनेक बातें ऐसी हैं कि जिनमें हम मिल कर काम कर सकते हैं। जहां तक वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है यह एक ऐसा विषय है कि जिस विषय पर हम एकमत होकर काम कर सकते हैं। इसमें क्यों मतभेद होता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसी प्रकार से हमारे निर्माण की योजनाएं हैं, भ्रष्टाचार का विरोध है, भूदान के सदृश्य अनेक दूसरे काम हैं। तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि भिन्न भिन्न दलों के रहते हुए भी और भिन्न भिन्न मतों के रखते हुए भी जो बातें ऐसी हैं उनके विषय में एकमत हो कर एक साथ काम क्यों न करें। मैं वैदेशिक नीति को भी एक ऐसी ही चीज़ समझता हूं कि जिसमें हम सब मिल कर काम कर सकते हैं।

यहां पर पंडितजी ने यह कहा था कि यों तो वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में सारे संसार की बातों की चर्चा की जा सकती है, लेकिन तीन बातें इस सम्बन्ध में आज सबसे आवश्यक हैं, एक कोरिया का प्रश्न, दूसरा यह जो अमेरिका और पाकिस्तान का समझौता हो रहा है, यह विषय और तीसरा उपनिवेशों के सम्बन्ध का विषय। मैं पंडितजी से बिल्कुल सहमत हूं। कोरिया के विषय में और इन दूसरे दोनों विषयों में भी पंडितजी ने बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला है। मुझे यह जो अमेरिका और पाकिस्तान का फौजी समझौता हो रहा है उसके विषय में एक ही बात निवेदन करनी है। हमें इस समझौते के कारण अपनी वैदेशिक नीति बदलने की कोई आवश्यकता नज़र नहीं आती, न हमें इस विषय में कोई चिन्ता की बात नज़र आती है।

आज वह ज़माना चला गया है कि जब केवल हथियारों से ही दुनिया का शासन किया जा सकता था। आज लोकमत की जागृति प्रधान है, तमाम दुनिया में, पूर्व से

पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक, और वह लोकमत हमारे सिद्धान्तों का इतना पोषक है कि हमें कोई चिन्ता की बात नजर नहीं आती। मैं तमाम स्थानों में देख कर आया हूं यदि हम सच्चे ढंग से इस लोकमत को जागृत रख सकें, क्योंकि हमें दुनिया के नेतृत्व की कोई इच्छा नहीं है, न हम कोई अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं, तो इस पाकिस्तान और अमेरिका के फौजी समझौते के बावजूद भी हमारे ऊपर कोई आपत्ति आने वाली नहीं है। हम उस समय को भूल नहीं सकते कि जिस समय हमारे पास न फौज थी, न हुकूमत थी, न कोई और चीज़ थी। लेकिन हमने देखा कि इसके बावजूद भी गांधी जी के सिद्धान्तों पर चल कर हम ने स्वराज्य की स्थापना की। चूंकि आपने घंटी बजा दी है, इसलिए और अधिक न कह कर एक शब्द में उपनिवेशों के सम्बन्ध में अवश्य कहा चाहता हूं, क्योंकि उसका मेरे से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है।

उपनिवेशों के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि अफ़्रीका में इस समय जो कुछ हो रहा है, वह शायद अब तक मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ। हम जलियांवाला बाग का स्मरण करते हैं, लेकिन कीनिया के जो समाचार हमें प्राप्त हुए हैं और हो रहे हैं, उनसे मालूम होता है कि वहां पर जालियांवाला बाग से भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। यद्यपि दक्षिण अफ़्रीका और पूर्वी अफ़्रीका ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन कीनिया में और पूर्वी अफ़्रीका में जो कुछ हो रहा है, उसको सारी प्रेरणा दक्षिण अफ्रीका से मिलती है। पर यह स्थिति बहुत दिन तक चल नहीं सकती, असम्भव है इसका चलना। वहां पर कितनी आबादी श्वेतांगों की है, कितनी भारतीयों की और रंगीन लोगों की हैं और कितनी आबादी वहां के मूल निवासियों की है, इस पर यदि आप ध्यान दें तो आपको मालूम हो जायगा कि यह स्थिति नहीं चल सकती। इस विषय में दक्षिण अफ़्रीका और पूर्वी अफ़्रीका के अंकों को यहां पर उपस्थित करके मैं आपका समय नहीं लूंगा, और इस सम्बन्ध में इतना ही कहूंगा कि श्वेतांगों की आबादी वहां दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। मैं न्यूजीलैंड भी गया था, वहां की मैं आपको एक बात बताता हूं। वहां पर १९–२० लाख श्वेतांग थे और केवल डेढ़ लाख मावरी थे, वहां के १९, २० लाख श्वेतांग डेढ़ लाख मावरियों को कुचल कर नहीं रख सके तो यह कभी सम्भव नहीं हो सकेगा कि यह दाल में नमक के बराबर श्वेतांग अफ्रीका की इतनी बड़ी आबादी को कुचल कर रख सकें। इसके जितने पाप बढ़ते जायेंगे, उतना ही यह पाप का घड़ा जल्दी फूटेगा।

अन्त में मैं सिर्फ़ इतना ही कहूंगा कि जो हमारी वैदेशिक नीति है, उसका मैं सदा समर्थक रहा हूं, आज भी उसका समर्थन करता हूं और पंडितजी को अन्त में बधाई देता हूं कि इस वैदेशिक नीति के कारण उन्होंने संसार में भारतवर्ष का सिर काफ़ी ऊंचा किया है।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार, २४ दिसम्बर, १९५३ के डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।